लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र
Seventh Session]

18-8-92

[खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची CONTENTS

अंक 19, गुरुवार, 15 मार्च, 1973/24 फाल्गुन, 1894 (शक)

No. 19, Thursday, March 15, 1973/Phalguna 24, 1894 (Saka)

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
341	बीमारी तथा अन्य कारणों के आधार पर पाकिस्तानी युद्धबन्धियों को पाकिस्तान को वापस किया जाना	Repatriation of P.O.Ws., to Pakistan on grounds of illness and other causes.	1
342	खनिजों की खोज के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आवर्तक निधि का गठन	Constitution of a Revolving Fund by UNO for Mineral Exploration . .	3
344	मैसूर में खनिज विकास बोर्ड के लिये आरक्षित की गयी भूमि	Land Reserved for Board of Mineral Development in Mysore . . .	4
346	बोकारो इस्पात संयंत्र में तेल धमन भट्टी के कारण रिकार्ड उत्पादन	Record production due to Oil Blast Furnace in Bokaro Steel Plant . .	5
347	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 को मैसर्स चम्पारन सॉ मिल, बडचकिया, चम्पारन पर लागू करना,	Covering of M/s Champaran Saw Mill, Barachakia, Champaran under EPF Act, 1952	6
350	भारत कोकिंग कोल कम्पनी द्वारा विहार बिल्डिंग का खरीदा जाना	Purchase of Vihar Building by Bharat Coking Coal Company . . .	7
351	भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दी	Pak P.O.Ws in India	9
353	पाकिस्तानी जेलों में बन्द बंगालियों के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना	Raising in U.N. the Question of Bengalis in Pakistan Jails	12
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
343	कोयला बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कोयला खान श्रमिकों को मजूरी का भुगतान	Payment of Wages to Coal Mines Workers according to Coal Board's Recommendations	15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
345	रांची के सैनिक अस्पताल से पाकिस्तानी युद्धबन्दी का भाग जाना	Pakistani P.O.W. Escaped from Military Hospital of Ranchi . . .	16
348	अभ्रक खान कल्याण आयुक्त के भीलवाड़ा स्थित कार्यालय में अनावश्यक स्टाफ	Unnecessary Staff in Mica Mines Welfare Commissioner's Office, Bhilwara	16
349	इस्पात तथा अन्य धातु संयंत्रों के लिये रूसी सहायता की पेशकश	Offer of Soviet Assistance for Steel and other Metal Plants	17
352	हिन्द चीन में शांति बनाए रखने के लिये स्थायी व्यवस्था करने के बारे में अमरीकी प्रस्ताव	U.S. Proposal for permanent Machinery to Maintain peace in Indo-China	17
354	काम के अनुसार मजूरी देना	Wages according to Work done .	18
355	इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड सहारनपुर द्वारा अग्रनीत और मुजरा (सेट-आन और सेट-आफ) लेखों का रखा जाना	Maintenance of Set on and Set Off Accounts by Indian Tobacco Company Ltd. Saharanpur . .	18
356	काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में मानना	Right to Work a Fundamental Right	18
357	कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की कतिपय धाराओं का रद्द किया जाना	Declaring of Certain Sections of Industrial Disputes Act as Nul and Void by Calcutta High Court . .	19
358	मजूरी अदायगी अधिनियम के अधीन समयोपरि भत्ते को वेतन का एक अंग मानना	Overtime as Part of Pay Under Payment of Wages Act	19
359	प्रतिरक्षा एककों में बिजली की कटौती	Power Cut in Defence Units .	20
360	कोयले की कमी तथा नियंत्रित मूल्य पर इसकी सप्लाई	Shortage of Coal and its supply on Controlled Price	20
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
3390	देश में साम्यवादी साहित्य का आयात	Import of Communist Literature into the Country	21
3391	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा आयातित ट्रैक्टरों के लिये भारतीय पुर्जे	Indian Components for Tractors imported by HMT . .	21
3392	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का विस्तार	Expansion of HEC Ranchi .	22
3393	एल्यूमीनियम उद्योग का लायसेंस क्षमता के अनुरूप उत्पादन	Production according to Licensed capacity of Aluminium Industry . .	22

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3395 पिंजौर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के संयंत्र में ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors at H.M.T. Plant at Pinjore	22
3396 फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास पर वर्ष 1971-72 के दौरान व्यय	Expenditure on Indian Embassy in France during 1971-72 . . .	23
3397 इलाहाबाद स्थित आर्डनेन्स डिपो के गैर औद्योगिक कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी	Payment of overtime allowance to non-industrial employees of Ordnance Depot, Allahabad	23
3398 युगांडा से निष्कासित विभिन्न देशों में बसे भारतीय	Indians migrated to various countries on expulsion from Uganda . .	23
3399 युगांडा से भारतीयों को निष्कासित करने के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना	Raising of question of expulsion of Indians from Uganda in U.N. . .	25
3400 दण्डकारण्य में आदिवासी लोगों को रोज़गार देने की योजना	Scheme to provide employment to tribal people in Dandakaranya . . .	25
3401 राजस्थान में खानों का पता लगाना	Location of Mines in Rajasthan	25
3402 ग्रेफाइट के खनन के बारे में वल्लनाड मण्डलम कांग्रेस कमेटी की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Vellanad Mandalam Congress Committee regarding mining of Graphite	26
3403 अखिल भारतीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करना	According of recognition to All India Provident Fund Commissioner's Staff Association	26
3404 खास धर्माबाद कोयला खान के मालिक तथा उस खान का उत्पादन	Owners of Khas Dharmabad Colliery and its production	27
3405 न्यू-मजरी कोयला खान के विस्तार के लिये लाइसेंस देना	Licence given for expansion of new Majri Colliery . .	27
3407 राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का भारतीय कोयला खान प्राधिकार में विलय	Merger of NCDC with Indian Coal Mines Authority . . .	27
3408 खेतड़ी तांबा उद्योग-समूह की खानों और संयंत्रों की क्षमता	Capacity of Mines and Plants of Khetri Copper Complex	28
3409 जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा का रेखांकन	Delineation of Line of Control in Jammu and Kashmir	28
3410 वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का भविष्य	Future of International Control Commission in Vietnam	29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
3411	आसाम शूगर मिल्स लिमिटेड को आवंटित किए गए इस्पात का कथित दुरुपयोग	Alleged Misuse of Steel Allotted to Assam Sugar Mills Limited . .	29
3412	इस्पात और खान मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में कर्मचारी	Employees in Public Undertakings under Ministry of Steel and Mines . .	30
3413	युद्ध अपराधों के लिये उत्तरदायी पाकिस्तानी युद्धबंदियों की सूची तैयार करना	Preparation of List of P.O.Ws Responsible for War Crimes	30
3414	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सैयद थांगल की हज यात्रा के दौरान मृत्यु	Passing away of Syed Thangal, President of Indian Union Muslim League on His Haj Pilgrimage . .	30
3415	भारत नेपाल की सीमा पर पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर पुल को तोड़ देना	Demolition of Bridge on Kali River in Pithoragarh District on Indo Nepal Border	31
3416	भारत और बंगला देश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में करार	Agreement for Increasing Economic Co-operation between India and Bangladesh	31
3417	गार्डन-रीच वर्कशाप कलकत्ता में समुद्रगामी (ओशन गोइंग) जहाजों का निर्माण	Construction of Ocean-going Ships at Garden Reach Workshop Calcutta	31
3418	कोयला खान क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानें और उपभोक्ता सहकारी समितियां	Fair Price Shops and Consumer Co-operatives in Coal Mine Areas . .	32
3419	इम्फाल दीमापुर रोड पर रक्षा सेवाओं और विद्रोही नागाओं में झड़प	Encounter between Security Forces and Hostile Nagas on Imphal Dimapur Road	33
3420	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा समुद्री टरबाइन का निर्माण	Manufacture of Marine Turbines by Heavy Electricals Limited, Bhopal	33
3421	सेना की कमान के ढांचे में परिवर्तन	Change in Structure of Army Command	33
3422	हल्की मशीनगनों में प्रयोग के लिये तेल की सप्लाई	Supply of Oil for use on Light Machine Guns	33
3423	पाकिस्तानी युद्धबंदियों की वापसी के लिये श्रीलंका का प्रस्ताव	Move by Sri Lanka for Repatriation of P.O.Ws.	34
3424	विदेशों में भारतीय मिशनों में मितव्ययता	Economy in Indian Missions Abroad	34
3425	कूटनीति के अध्ययन के लिये पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal for Introducing a Study Course in Diplomacy	35
3427	बेरोजगारी बीमा योजना के बारे में प्रस्ताव	Proposal regarding unemployment Insurance Scheme	36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3428	नेपाल को आर्थिक सहायता	Economic Assistance to Nepal	36
3429	नैपाल में शिक्षकों के रूप में सेवा करने वाले भारतीय राष्ट्रिक	Indian Nationals Serving as Teachers in Nepal	37
3430	तीनों रक्षा सेवाओं में विभिन्न खेल कूदों के लिये प्रशिक्षण शिविर	Coaching Camps for various Sports in Three Defence Services . . .	38
3431	मधुमती मालवाहक पोत को बंगला देश को सौंपा जाना	Handing over Madhumati Freighter to Bangladesh	38
3432	अमरीका की बैचल कारपोरेशन को कुन्द्रामुख और बैलाडिला परियोजनाओं के लिये सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया जाना	Inviting Bechtel Corporation of USA as Consultants for Kundramukh and Bailadila Projects	39
3433	एल्यूमीनियम उद्योग के उत्पादन में गिरावट	Decline in Output of Aluminium Industry	39
3434	देश में बनाई जाने वाली मोटर गाड़ियों की किस्म	Quality of Automobiles produced in the country	39
3435	एस्ट्रैला बैटरीज लिमिटेड द्वारा श्रम अधिनियम का उल्लंघन	Contravention of Labour Act by Estrella Batteries Ltd. . . .	40
3436	टिन पाट्स (पीपे) जैसी दिखने वाली भारत की कारें	Indian made Cars Tin Pots .	40
3437	बोनस को उत्पादन के साथ जोड़ना	Linking of Bonus with Production	41
3438	आणविक अस्त्रों में आत्म निर्भरता	Self Reliance in Nuclear Arms . .	41
3439	केरल के मालाबार क्षेत्र में चीनी मिट्टी के निक्षेप	China Clay Deposits in Malabar Region of Kerala	41
3440	डीजल पावर सेट्स का उत्पादन	Manufacture of Diesel Power Sets .	42
3441	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन	Comparative Study of Production at Heavy Electricals Ltd. and BHEL	42
3442	बिजली के सामान का उत्पादन	Production of Electrical Goods	43
3444	महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव	Proposal for Military Training for Women	44
3445	हिन्दुस्तान कापर में हानि और उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही	Loss in Hindustan Copper and steps taken to improve Production .	44
3446	उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा हड़ताल की धमकी	Threatened Strike by Workers of Sugar Mills in U.P.	45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3447	भोपाल के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'हितवाद' के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि जमा न करना	Non deposit of P.F. by the Employees of Hitawada	45
3448	मित्र देशों को शस्त्रों की सप्लाई	Supply of arms to freindly countries	46
3449	चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण	Testing of ICBM by China	46
3450	विद्युत संकट के कारण कारखानों के बंद कर दिये जाने के परिणामस्वरूप श्रमिकों की जबरन छुट्टी	Laying off of workers due to closure of Factories following Power Crisis .	47
3451	देश में नौसैनिक कमानें	Naval Commands in the country .	47
3453	श्रीलंका द्राविड़ मुनेत्र कषगम द्वारा भारतीय नागरिकता रजिस्टर को खोलने का अनुरोध	Request by Sri Lanka Dravid Munnetra Kazhagam to Reopen Indian Citizenship Register . . .	47
3455	पांचवीं योजना के दौरान कोयला उत्पादन बढ़ाने की योजना	Plan for increasing Coal Output during Fifth Plan . . .	48
3456	राष्ट्रीय मजूरी नीति	National Wage Policy .	48
3457	भारत-बर्मा सीमा पर कर्फ्यू का लगाया जाना	Curfew imposed on Indo-Burma Border	49
3458	मेहरचन्द शर्मा एंड कम्पनी, झरिया पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का लागू किया जाना	Covering of Meharchand Sharma & Co. Jharia under EPF Act, 1952	49
3459	खान श्रमिकों के श्रम कल्याण हेतु निधि का आंवटन	Allocation of Funds for Labour Welfare for Workers in Mines . . .	50
3460	राष्ट्रीय श्रम संस्थान, पूना	National Labour Institute, Poona .	51
3461	कर्वीट किस्म के लड़ाकू जहाज बनाने का प्रस्ताव	Proposal to build Corvette Type Combat Ships	51
3462	कलकत्ता और बम्बई में दो सिनेमा हालों का स्वामित्व	Ownership of two Cinema Halls to Calcutta and Bombay . . .	51
3463	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की अधिष्टापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन	Installed capacity and actual production in Public Sector and Private Sector Steel Plants	52
3464	"मजूरी में वृद्धि की मांगें—दृढ़ रवैया अपनाने की सिफारिश"	"Wage rise demands—tough line favoured . .	53
3465	पश्चिमी सीमा क्षेत्रों के व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Persons of Western Border Areas . .	53

अता० प्र० संख्या U.S.G. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
3466	इंस्पैक्टोरेट आफ जनरल स्टोर्स (डिफेंस) आनन्द पर्वत, दिल्ली के इंस्पैक्शन स्टाफ के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Enquiry by CBI against the Personnel of Inspection of Inspectorate of General Stores (D) Anand Parbat, Delhi	53
3467	देश में बनी वस्तुओं को खरीदने की योजना	Scheme to make purchase of indigenous Goods	53
3468	बोकारो इस्पात संयंत्र में बिहारियों को रोजगार देना	Employment of Biharis in Bokaro Steel Plant .	55
3469	उड़ीसा में लघु इस्पात संयंत्रों के लिये नींव डालना	Laying of foundations for Mini-Steel Plants in Orissa . .	55
3470	भिलाई इस्पात संयंत्र में 'मड कप' स्क्रैप की बिक्री के बारे में 'प्रतिपक्ष' में प्रकाशित समाचार	Report in 'Pratipaksha' regarding Sale of Mud Cup Scrap in Bhilai Steel Plant . . .	55
3471	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में शिक्षुता करने वाले मारुति के कर्मचारी	Maruti Personnel who took Apprenticeship at HAL . .	56
3472	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में तदर्थ नियुक्तियां और पदोन्नतियां	Ad Hoc Appointment and Promotion in Various Offices of Ministry of Labour and Rehabilitation .	56
3473	भारी मशीनी उपकरणों का निर्माण कर रहे सरकारी उपक्रम	Public Undertakings Manufacturing Heavy Machine Tools . . .	56
3474	जापान से इस्पात का आयात	Import of Steel from Japan . .	57
3475	पुनर्वास निदेशालय की गतिविधियों संबंधी प्रचार	Publicity regarding activities of Directorate of Resettlement .	57
3476	पीकिंग में एक स्वागत समारोह में बेगम भुट्टो के भाषण पर भारतीय प्रतिनिधि का बाहर चला जाना	Walkout by Indian Delegate over Speech by Begum Bhutto at a Reception in Peking	57
3477	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रथम श्रेणी के रक्षा कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाना	Cases of Class I Defence personnel detected by CBI for Corruption .	58
3478	विभिन्न सरकारी क्षेत्र के एककों में हड़तालें तथा श्रम दिनों की हानि	Strikes in various Public Sector Units and number of Man days Lost .	58
3479	विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को पुन: रोजगार देना	Re-employment of Disabled Ex-servicemen	59
3480	हानि पर चल रहे सरकारी उपक्रम	Public Undertakings running in Loss	60
3481	उपक्रमों में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes working in Undertakings . .	62

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3482	स्टील एथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड) द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना	Training of Staff by SAIL	63
3483	हिन्द महासागर के सम्बन्ध में नाटो के साथ पाकिस्तानी करार	Pak Agreement with NATO on Indian Ocean . . .	63
3484	गैर कोकिंग कोयला खानों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के उपरान्त कोयला मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Coal after taking over of non-coking coal Mines .	64
3485	बंगलादेश सहायता योजना	'Aid Bangladesh Plan' . .	64
3486	मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स को व्यापार विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिये विधेयक	Bill to cover Medical Representatives under Trade Dispute Act . . .	64
3487	खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in prices of Coal after Nationalisation of Mines .	65
3488	अध्यादेश में कोयला खान मालिकों के गलत नामों का उल्लेख	Incorrect Names of Coal Mine Owners included in the Ordinance .	65
3489	पाकिस्तान में नजरबन्द बंगाली	Bengalis detained in Pakistan .	66
3490	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में नेताजी का जन्म दिवस मनाया जाना	Celebration of Netaji's Birthday by Indian Missions Abroad . . .	66
3491	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का जन्मदिन मनाना	Celebration of Birthday of Netaji Subhash Chandra Bose in Defence Establishments	66
3492	कृष्ण ग्लास फैक्टरी, जादवपुर का फिर से खोला जाना	Reopening of Krishna Glass Factory, Jadavpur, Calcutta	67
3493	भूतपूर्व सैनिकों को मनीआर्डर द्वारा पेंशन की अदायगी	Payment of Pensions to Ex-servicemen by money orders . . .	67
3494	इस्पात संयंत्रों के लिये प्राप्त किये गये ऋण तथा उनकी अदायगी	Loan received for Steel Plants repayment thereof	68
3495	इस्पात संयंत्रों के यार्डों में इस्पात तथा इस्पात की प्लेटों का जमा हो जाना	Accumulation of Steel and Steel Plates at Yards of Steel Plants .	68
3496	पुनःस्थापन उद्योग निगम द्वारा चलाए जा रहे कारखाने	Units run by Rehabilitation Industries Corporation . . .	68
3497	मारुति लिमिटेड द्वारा बनाई गई कार के प्रोटोटाइप का परीक्षण	Testing of the Proto type of Car produced by Maruti Ltd.	69
3498	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के विकास सम्बन्धी योजना	Scheme for development of the Nationalised Coal Mines . .	70

अता प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3499	बंगलादेश के प्रधान मंत्री की यू० एन० श्रो. से सहायतार्थ अपील	Bangladesh Prime Minister's appeal to UNO for Aid	70
3500	रूस अथवा मिस्र के माध्यम से भारत को हथियारों की सप्लाई होने के बारे में आरोप	Alleged Supply of Arms to India through USSR or Egypt	70
3501	वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रौद्योगिकी प्रगति के अध्ययन के संबंध में भूतपूर्व नौ सेनाध्यक्ष का व्यक्तव्य	Statement made by former Chief of Naval Staff regarding study of Technological Advances by Senior Officers . .	71
3502	अरब देशों के प्रति नीति में कथित परिवर्तन	Reported change in Policy towards Arab countries	71
3504	एम०ए०एम०सी० में उत्पादन	Production at MAMC .	71
3505	पश्चिम बंगाल में मोटर गाड़ियां और ट्रैक्टर बनाने के उद्योग की स्थापना	Setting up of Auto and Tractor Industry in West Bengal .	72
3506	ब्रिटिश आप्रवास नियमों में संशोधन	Revision of U.K. Immigration Rules .	72
3507	कानपुर में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा एच०एम० 748 एवरो विमानों का उत्पादन	Production of HS 748 Avro by HAL at Kanpur	72
3508	पाकिस्तान द्वारा मिराज और मिग विमानों की खरीद	Purchase of Miraj and MIGs by Pakistan	73
3510	युद्ध में मारे गये केरल राज्य के सैनिकों की विधवाओं को सहायता	Assistance to War Widows of Kerala	73
3511	केरल में खनिजों की खोज	Exploration of Minerals in Kerala .	73
3513	केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करना	Implementation of Employees State Insurance Scheme in Kerala	74
3514	नैपाल के साथ किया गया समझौता	Agreement entered into with Nepal .	74
3516	वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में बंगलादेश को सहायता	Assistance to Bangladesh during 1972-73 and 1973-74 . . .	75
3517	नेपाल होकर पिण्डी जाना	Nepal Escape Route to Pindi	75
3518	मध्य प्रदेश में खनिजों के लिये सर्वेक्षण	Survey for Minerals in Madhya Pradesh	75
3519	बिजली की कमी के कारण कोयले के उत्पादन में कमी	Decline in Coal Production due to Power Shortage . . .	76
3520	कच्छ जिले के एक ग्राम में उच्च कोटि के सिडराइट खनिज के निक्षपों का पाया जाना	Locating of Deposits of High Grade Siderite Mineral in a Village of District Kutch . .	76

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3521	इस्पात के निर्यात के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और दक्षिण कोरिया के बीच समझौता	Contract between HEL and South Korea for Export of Steel . . .	76
3522	उत्तर प्रदेश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Steel Plants in Uttar Pradesh	77
3523	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Steel Plants in Hilly Regions of Uttar Pradesh . . .	77
3524	टेल्को एण्ड ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर (बिहार) के कर्मचारियों को तंग किया जाना	Victimization of Workers of Telco and Tube Company Jamshedpur (Bihar)	77
3525	देश में नौसैनिक स्कूलों का खोला जाना	Opening of Naval Schools in the Country	78
3526	कोयला खान (प्रबन्ध अधिग्रहण अध्यादेश) 1973 की संवैधानिक वैधता	Constitutional Validity of Coal Mines (Taking Over of Management Ordinance) 1973 . . .	78
3527	मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में पदोन्नतियां	Promotions in Chief Labour Commissioner's Office	79
3528	राष्ट्रपति भुट्टो को बंगलादेश आने का निमंत्रण	Invitation to President Bhutto to visit Bangladesh . .	79
3529	बंबई नेवल शो	Bombay Naval Show . . .	79
3531	मालंजखंड, मध्य प्रदेश में तांबे का पाया जाना	Availability of copper in Malanjkhand, Madhya Pradesh . . .	80
3532	भारत के लिये हैरियर विमान	Harriers Aircraft for India . .	80
3533	विदेशों से राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए करार	Agreements with Foreign Countries for Political, Economic and Social Relations	80
3534	आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात की जरूरतों को पूरा करने हेतु इस्पात संयंत्रों की क्षमता	Capacity of Steel Plants to meet Steel Requirements during next Five Year Plan . . .	81
3535	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में बनाये गये उपकरण	Equipment produced at Heavy Engineering Corporation and Heavy Electricals Limited . . .	81
3536	मारे गये अथवा अपंग हुए सैनिकों और उनके परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Families of Killed Soldiers and Crippled Soldiers . .	82
3537	सशस्त्र सेना के असैनिक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase the Pay of Non-combatants of Armed Forces . .	82
3538	विभिन्न स्टेशनों पर फैमिली क्वार्टरों की संख्या में वृद्धि	Increase in Family Quarters at various Stations	83

अता. प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3539	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के विस्तार के लिये अपेक्षित धन	Financial requirements for Expansion of Public Sector Steel Plants . .	83
3540	सड़क रोलरों का निर्माण	Manufacture of Road Rollers .	84
3541	दुर्गापुर इस्पात कारखाने और मिश्र इस्पात कारखाने में घाटा	Loss in Durgapur Steel Plant and Alloy Steel Plant . . .	85
3542	एम.ए.एम.सी. में कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment in MAMC	85
3543	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से सामान की चोरी	Theft of Materials from Durgapur Steel Plant . . .	86
3544	पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों का अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में पुनर्वास	Rehabilitation of East Bengal Refugees in Andaman Nicobar Islands .	86
3545	एम.ए.एम.सी. लिमिटेड, दुर्गापुर के तैयार माल का अधिक मूल्यांकन	Over Valuation of Finished Products of MAMC Durgapur . . .	87
3546	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मजदूर संघों के बीच विवाद	Inter Union Rivalries in Durgapur Steel Plant	88
3547	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को रियायशी आवास उपलब्ध किया जाना और मकान किराया भत्ता दिया जाना	Residential Accommodation and House Rent Allowance provided to employees of Durgapur Steel Plant	88
3548	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों का बसाया जाना	Rehabilitation of Ex-Servicemen Families in Andaman Nicobar .	89
3549	दुर्गापुर स्थित उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों को नगरप्रतिकर भत्ते की अदायगी	Payment of City Compensatory Allowance to workers in Industries at Durgapur	89
3550	एम.ए.एम.सी. लि. दुर्गापुर द्वारा अदा किया गया समयोपरि भत्ता	Over time Allowance paid by MAMC Durgapur . . .	90
3551	त्रिचूर, केरल में कर्मचारी भविष्य निधि के उप-क्षेत्रीय कार्यालय का खोला जाना	Opening of a Sub-Regional Office of EPF at Trichur, Kerala . .	90
3552	शिमला में तीन जवानों की मृत्यु	Death of Three Jawans in Simla	91
3553	पाकिस्तान में कैदी बनाये गए इण्डियन मर्चेंट के नाविकों को रिहा करना	Release of Indian Merchant Sea Men Imprisoned in Pakistan .	91
3554	मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलों में हड़ताल	Strike in Textile Mills in M.P.	92
3555	भारी मशीनरी का निर्माण करने वाले उद्योगों की क्षमता	Capacity of Heavy Machinery Manufacturing Industries . .	92

विषय	Subject	Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	92
पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्रों की सप्लाई पुनः आरम्भ किये जाने का समाचार	Proposed Resumption of U.S. Arms Supplies to Pakistan	92
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	93
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	93
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	99
नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग के बारे में	Re. Demand for Inclusion of Nepali in the Eighth Schedule of the Constitution	100
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	100
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	101
मुर्शिदाबाद जिले में गंगा से हो रहे भूमि-कटाव के बारे में	Re. Land Erosion by Ganges in Murshidabad District	101
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	101
डा० के० एल० राव	Dr. K.L. Rao	101
कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में संविधिक संकल्प तथा कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	Statutory Resolution Re. Disapproval of the Coal Mines (Taking Over of Management) Ordinance and Coal Mines (Taking Over of Management) Bill Motions to consider	102
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G.P. Yadav	102
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	103
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	106
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R.N.Sharma	107
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	108
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh	109
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	110
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	110
श्री एम० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam	110
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	110
श्री दामोदर पांडेय	Shri Damodar Pandey	111

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	112
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	112
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	113
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	113
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	114
श्री रामसिंह भाई वर्मा	Shri Ramsingh Bhai Verma	114
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	115
आन्ध्र प्रदेश बजट 1973–74 –**प्रस्तुत किया गया**	Andhra Pradesh Budget, 1973-74-**Presented.**	117
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh	118

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 15 मार्च 1973/24 फाल्गुन 1894 (शक)

Thursday, March 15, 1973/Phalguna 24, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Repatriation of P.O.Ws., to Pakistan on Grounds of illness and other causes

*341. **Shri Hukam Chand Kachwai :†**

Shri Arjun Sethi :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state the number of Pakistani Prisoners of War repatriated to Pakistan so far on grounds of illness and other causes?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : The number of Pakistani prisoners of War repatriated to Pakistan so far on grounds of illness and other causes is 1276.

Shri Hukam Chand Kachwai : What action has been taken by the government regarding the false propaganda to the effect that India is treating the P.O.Ws. badly? How far the list supplied by Pakistan regarding the missing soldiers tallies with the number assessed by our forces.? I would like to know as to how many of our prisoners are missing? How many Indian P.O.Ws. are in Pakistan? What was the number of wounded soldiers at the time of their being taken prisoner, how many of them have died and how many are alive at present?

Shri Vidya Charan Shukla : It is correct that this type of propaganda is being done by Pakistan. In this connection we have supplied the facts and figures in a convincing way. The propaganda being done does not affect our prestige in any way.

Pakistan has released all the prisoners whose list they had submitted to the International Committee of Red Cross. We have about 200 soldiers in the missing list. Pakistan has not given any information about them. We have asked Pakistan through International Committee of Red Cross about them, but so far they have not given us any information.

Shri Hukam Chand Kachwai : I asked as to what the government has to say about the list given by Pakistan in view of the assessment of our forces.?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already told that we have sent the list to the International Committee of Red Cross and they are examining it. We will come to know only after getting their reply.

3 LSS—73—2

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it correct that the Indian P.O.Ws. in the Pakistan jails are getting inhuman treatment? Have they any information that poisonous gas is released after putting them in closed rooms so that their minds are changed? Not only this, quite a number of them are being rendered disabled? If they have any such information what action they are going to take in this regard?

Shri Vidya Charan Shukla : The difficulty is that the hon. member does not listen my answer carefully. I said that there was not a single prisoner of war in the Pakistani Camps. As such, question of this type of treatment does not arise.

श्री अर्जुन सेठी : हमारे युद्ध बन्दी शिविरों से कितने बन्दी अब तक भाग गये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : भागे हुए युद्ध बन्दियों के संबंध में एक अलग प्रश्न है । यदि आप आज्ञा दें तो मैं वह वक्तव्य जो उस प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखने वाला हूं पढ़कर सुना दूं ।

Mr. Speaker : At least there should be one percent connection with the original question.

श्री जी० विश्वनाथन : हमारे शिविरों से भागने वाले कुछ युद्ध बन्दियों को चोटें आई हैं अथवा कुछ की मृत्यु हुई है । क्या इस प्रकार घायल हुए बन्दियों को वापिस भेज दिया गया है अथवा उन्हें जेलों में रखा गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जेनेवा अभिसमय के अनुसार प्रत्येक उस युद्ध बन्दी को जो गंभीर रूप से घायल हो वापिस भेज दिया जाता है । मेरे पास इस समय यह ब्यौरा नहीं है कि क्या वापिस भेजें गय युद्ध बन्दियों में भागने का प्रयत्न करने में घायल हुआ कोई युद्ध बन्दी भी शामिल है । यदि उन्हें शामिल भी किया गया हो तो भी उनकी संख्या बहुत कम है ।

श्री जगन्नाथ राव : कुछ दिन पूर्व यह समाचार छपा था कि एक सैनिक डाक्टर युद्ध बन्दी भाग गया था ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विषय पर एक अलग प्रश्न है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या युद्ध बन्दियों को मानवीय आधार पर वापिस भेजने के लिए लोगों से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का समबन्ध बीमार युद्ध बन्दियों के विषय में हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें अन्य कारणों का भी उल्लेख है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि माननीय सदस्य सूचना दें तो मैं उनकी सख्या ज्ञात करके उन्हें बता दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न बीमारी और अन्य कारणों से सम्बन्धित है । क्या अन्य कारणों में मानवीय आधार नहीं आता

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं फिर अपना उत्तर दोहराता हूं । यदि माननीय मंत्री अलग से सूचना देंगे तो मैं जानकारी प्राप्त करके उन्हें बताऊंगा ।

खनिजों की खोज के लि संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा आवर्तक निधि का गठन

***342 श्री राम सहाय पांडे** : †

श्रीमती सावित्रि श्याम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विश्व के विभिन्न देशों में खनिजों की खोज के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक आवर्तक निधि का गटन किये जानें की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो खनिजों की खोज के लिए जिन देशों को आवश्यक सहायता दी जायगी क्या भारत को भी उस सूची में शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उस सहायता का कितना हिस्सा उत्तर प्रदेंश और राजस्थान में खर्च किया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। एक परिक्रामी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है । प्राकृतिक संसाधन विषयक संयुक्त राष्ट्र समिति प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेंषण के लिए संयुक्त राष्ट्र परिक्रामी निधि गठित करने पर सिद्धान्ततः सहमत है । नई दिल्ली में 6 से 17 फरवरी 1973 तक आयोजित तृतीय अधिवेंशन में समिति नें इस तरह की निधि की आवश्यकता का समर्थन किया तथा महा सचिव से अनुरोध किया कि प्रस्तावित निधि के विधान पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा और आगें विस्तृत विचार करने के लिए तकनीकी आंकड़ें उपलब्ध करानें की व्यवस्था की जाय । इन आंकड़ों में इस निधि को व्यावहारिक बनाने के लिए अपेंक्षित न्यूनतम राशि, पुनर्अदायगी के फार्मूलें आदि बातें भी शामिल होंगी । आशा है कि इस वर्ष महासभा के 28वें अधिवेशन में इस विषय पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा ।

(ख) एक बार इस निधि के स्थापित हो जाने के पश्चात भारत भी इससे लाभान्वित होगा ।

(ग) इस योजना की विस्तृत रूप रेंखा को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । स्वाभावतः इस संबंध में विभिन्न देंशों द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट परियोजनाओं की जांच एवं उनकी स्वीकृति निधि का कार्य शुरू होने के बाद ही की जाएगी ।

श्री राम सहाय पांडे : हमारें देश के खनिज संसाधनों के प्रस्तावित उपयोग के बारे में सूचना प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता हुई है । क्या सरकार ने मध्य प्रदेंश, राजस्थान और बिहार जैसे विभिन्न राज्यों के खनिज संसाधनों की विस्तृत सूची तैयार की है ? उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेंश में तांबा उपलब्ध है । यदि हमारें पास विस्तृत सूची होगी तभी हम धनराशि का, जब भी वह उपलब्ध होगी, उपयोग कर सकेंगें ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैंन प्रश्न के मुख्य उत्तर में बता दिया है कि हमारें पास कई योजनाएं हैं और एक बार कोष स्थापित होने पर हम अपनी ओर से प्रस्ताव लाकर इस कोष का लाभ उठाना चाहेंगें ।

श्री राम सहाय पांडे : खनिज खोज-कार्य के लिए प्राथमिकता किस प्रकार नियत की जायगी ?

श्री सुरेंद्रपाल सिह : यह प्रश्न वस्तुतः मुख्य प्रश्न से संबद्ध नहीं है। मुख्य प्रश्न संयुक्त राष्ट्र निधि के बार में है न कि प्राथमिकताओं के बार में ।

श्री भागवत झा आजाद : यह प्रश्न गत प्रश्न से संबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र निधि के विचार का समर्थन करते हुए क्या भारत सरकार ने एसी योजनाओं की वांछनीयता के संबंध में तकनीकी आधारों पर कोई तर्क दिए थे ? ऐसी निधि के लिये सरकार ने क्या आंकड़ें एवं तर्क दिए थे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : भारत प्राकृतिक संसाधनों संबंधी समिति का सदस्य है। गत फरवरी में नई दिल्ली में इस समिति की बैठक हुई थी जिसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया था और भारत ने अपना मत प्रकट किया था। मुख्य प्रश्न यह है कि खनिज खोज कार्य में काफी धन राशि की आवश्यकता होती है और वृहत खनिज भंडार वाला कोई भी विकासशील देश ऐसी परियोजनाओं पर धन व्यय नहीं कर सकता।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय वांछनीयता की बात कर रहे हैं। लेकिन तर्क देते समय भारत सरकार ने शीघ्र से शीघ्र वृहत् धन राशि के आवंटन के लिए समिति के समक्ष क्या तकनीकी विवरण और अन्य सूचना रखी थी। ताकि हम इस पेशकश का लाभ उठा सकें ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : समिति की बैठक में ऐसी निधि की आवश्यकता की बात कही गई थी और महासचिव से अनुरोध किया गया था कि वह अपेक्षित तकनीकी विवरण उपलब्ध कराएं ताकि इस पर आगे विचार किय जा सके। ऐसा किया जा रहा है।

मैसूर में खनिज विकास बोर्ड के लिये आरक्षित की गई भूमि

*344. **श्री वी० वी० नायक : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में खनिज विकास बोर्ड के लिए कितनी भूमि आरक्षित की गई है ;

(ख) इस बोर्ड ने खनन कार्य के लिए कितनी भूमि का उपयोग किया है ; और

(ग) क्या अप्रयुक्त भूमि अन्य इच्छुक पार्टियों को खनन कार्य के लिये दी जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग): इस समय मैसूर राज्य में कोई भी खनिज विकास बोर्ड नहीं है। मैसर्स मैसूर मिनरल्स लिमिटेड, मैसूर सरकार द्वारा राज्य में खनिजों के समुपयोजन के लिए स्थापित किया गया उपक्रम है। मैसर्स मैसूर मिनरल्स लिमिटेड के लिए कोई भी भूमि अन्यत: आरक्षित नहीं की गई है। इस उपक्रम को 34.57 वर्ग मील क्षेत्र पर विभिन्न खनिजों के लिए खनिज रियायत अधिकार प्राप्त है जिसमें से 1.25 वर्ग मील क्षेत्र पर खनन प्रयोजनार्थ कार्य किया जा रहा है। वह क्षेत्र, जिस पर खनन संक्रियाएं आरम्भ नहीं की गई हैं और जिस पर उपक्रम को खनन पट्टा प्राप्त है, तब तक अन्य पार्टियों को अनुदत्त नहीं किया जा सकता जब तक उपक्रम उसे औपचारिक रूप से अभ्यर्पित न करे अथवा पट्टों की अवधि समाप्त हो जाए और उन्हें नवीकृत न किया जाए।

श्री बी०वी० नायक : क्या विकल्प के लिए कोई मांग की गई है क्योंकि ऐसा लगता है कि 22,000 एकड़ भूमि में से केवल 800 एकड़ भूमि पर अर्थात् केवल 5 प्रतिशत भूमि पर कार्य किया जा रहा है। क्या इतनी सी भूमि पर कार्य करना पर्याप्त कहा जाएगा जबकि 34 वर्गमील भूमि में से केवल 1.25 वर्गमील भूमि पर कार्य किया जा रहा है ? क्या मैसर्स मैसूर खनिज लिमिटेड को पट्टे पर दी गई भूमि का सही उपयोग किया जा रहा है ?

श्री सुबोध हंसदा : पार्टियों ने हाल ही में पट्टे संबंधी करार किया है। उन्होंने खनिज की संभावनाओं का अनुमान अभी नहीं लगाया है। अभ्यर्पण या ऐसी किसी बात का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्य पार्टियों के शामिल होने का भी प्रश्न नहीं उठता।

श्री बी०बी० नायक : मैंने पूछा था कि क्या भूमि की उपलब्धता और इसके उपयोग का 25 : 1 का अनुपात संतोषजनक है।

श्री सुबोध हंसदा : मैंने पहले ही बता दिया था कि मैसर्स मैसूर खनिज लिमिटेड को कुछ मास पूर्व ही पट्टा दिया गया है। यह केवल क्षेत्रों की संभाव्यता का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। यह सच है कि उन्होंने केवल 1.25 वर्गमील का उपयोग किया है। लेकिन उन्होंने इन क्षेत्रों की संभाव्यता का अनुमान अभी लगाना है।

श्री एन० शिवप्पा : गैर सरकारी पार्टियों को ठेके पर दी गई भूमि में से कितनी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : मैसर्स मैसूर खनिज लिमिटेड के पास 3 प्रतिशत भूमि है। गैर-सरकारी पट्टाधारियों के पास 90 प्रतिशत भूमि होगी।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने श्री बी०वी० नायक द्वारा उठाई गई समस्याओं को नहीं समझा। मैसूर राज्य में निक्षेपों की संभावनाओं के लिए सर्वेक्षण किया गया था जिससे पता लगता है कि मैसूर में खनिजों की उपलब्धता इतनी अधिक है कि उससे वह राज्य समृद्ध हो सकता है। लेकिन सरकार राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त के अनुरूप स्थिति को नहीं संभाल रही। लगभग तीन चौथाई भूमि गैर-सरकारी लोगों के पास है और वे मैसूर राज्य के केन्द्रीय कर्मचारियों की सांठगांठ के कारण भूमि पर कार्य नहीं कर रहे हैं। खनन कार्य को ठीक ढंग से चलाने, गैर-सरकारी लोगों के हाथों में भूमि को न दिए जाने के संबंध में मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य को इस बात से आश्वस्त होना चाहिए कि मामले में सही, उपयुक्त और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

Record Production due to oil blast furnace in Bokaro Steel Plant

*346. **Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether oil blast furnace of Bokaro Steel Plant has set up a new record in the field of production; and

(b) if so, the main features thereof and the estimated production after completion of the remaining plant?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : बोकारो इस्पात कारखाने की प्रथम धमन भट्टी जो 3 अक्तूबर, 1972 को चालू की गई थी काफी अच्छी तरह कार्य कर रही है और इसने निर्धारित क्षमता का लगभग 90 प्रतिशत उत्पादन स्तर प्राप्त कर लिया है। कई बार इसने निर्धारित क्षमता से भी अधिक उत्पादन किया है। 26 जनवरी, 1973 को 3,005 टन गर्म धातु का उत्पादन हुआ जो निर्धारित क्षमता से 14% अधिक था। प्रथम धमन भट्टी की अन्य मुख्य विशेषताएं प्रति टन गर्म धातु के उत्पादन के लिए कोक की खपत की दर में कमी और धमन भट्टी में सिन्टर के प्रयोग की प्रतिशतता में वृद्धि है।

प्रथम चरण के पूर्ण हो जाने के पश्चात् कारखाने में 880,000 टन फाउंड्री ग्रेड के कच्चे लोहे और 17 लाख टन इस्पात पिण्ड का उत्पादन होने की संभावना है जिससे 13.64 लाख चपटे उत्पाद तैयार होंगे ।

Shri Shiv Kumar Shastri : It is a matter of pleasure that first blast furnace is producing beyond expectations. I would like to know whether the credit goes to the employees or those who have constructed it? Is the hon. Minister contemplating to allow the benefit of this plant to other steel plants also?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : बोकारो की प्रथम धमन भट्टी के उत्तम संचालन का श्रेय कर्मचारियों, इंजीनियरों, संचालन कर्ताओं, निर्माताओं तथा लगाए गए उपकरणों की किस्मों को जाता है । माननीय सदस्य को इस बात का यकीन होना चाहिए कि हम 2,000 क्यूबिक मीटर के परिमाण वाली देश की सबसे बड़ी प्रथम धमन भट्टी के संचालन से सभी संभव लाभ उठा रहे हैं ।

जहां तक भिलाई एवं बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार और अन्य संयंत्रों के निर्माण का प्रश्न है, हमने फिलहाल 2000 क्यूबिक मीटर परिमाण की धमन भट्टी के निर्माण का मानकीकरण कर दिया है ।

Shri Shiv Kumar Shastri : I would like to know whether the production of 880,000 tonnes of pig iron and 1.7 million tonnes of steel ingots will make us self-sufficient?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मुझे आशंका है कि प्रथम चरण के पूरा होने पर बोकारो इस्पात संयंत्र में 17 लाख टन इस्पात पिण्डों तथा 880,000 टन कच्चे लोहे का उत्पादन हमें आत्म निर्भर तो नहीं बनाएगा परन्तु उस दिशा में अवश्य ले जाएगा ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 को मैसर्स चम्पारन सा मिल बड़चकिया, चम्पारन पर लागू करना

*347. **श्री रामवतार शास्त्री :** †

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 को मैसर्स चम्पारन सा मिल, बड़चकिया, चम्पारन पर लागू किया गया था और उसके अधीन बनाई गई योजना वर्ष 1965 से लागू की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रतिष्ठान से इसका पालन करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसके पालन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) मैसर्स चम्पारन सा मिल, चम्पारन, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत 28-2-66 से लाई गई थी ।

(ख) प्रबंधतंत्र ने भविष्य निधि को देय राशियों के भुगतान और विवरणियों को प्रस्तुत करने में चुक की है । भविष्य निधि की देय राशियों के निर्धारण करने और प्रबंधतंत्र पर अभियोजन चलाने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । मार्च, 1966 से नवम्बर, 1966 की अवधि संबंधी अभियोजन मामले न्यायालय में लंबित है ।

Shri Ramavatar Shastri : I want to know the number of workers therein and whether all the records and other relevant papers were checked before the Act was enforced there? Why this Scheme was made applicable only in 1966, why not earlier?

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी : मजदूरों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है जिसके बारे में माननीय सदस्य को बता दिया जाएगा । दूसरे प्रश्न के बारे में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया है कि मार्च, 1966 से नवम्बर, 1966 तक राशि जमा न करने के लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14(2) के अधीन मुकदमें चलाए गए हैं । सिब्बन्दी निरन्तर काम नहीं करती रही है अतः भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा देय राशि का काफी समय तक पता नहीं लगाया जा सका । क्षेत्रीय भविष्य निधि निरीक्षक ने अब उनके द्वारा दिसम्बर, 1968 तक देय राशि बताई है और 13-3-73 तक देय राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबन्धकों को नोटिस भेजा जा चुका है । क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रबन्धकों द्वारा अब तक देय राशि निर्धारित करना संभव नहीं था क्योंकि वे निरन्तर कार्य नहीं करते रहे और मिले बन्द रहीं और न ही विवरणियां भेजी गई, अतः प्रबन्धकों के विरुद्ध न तो वसूली की कार्यवाही की जा सकी और न ही हर्जाना वसूल किया जा सका ।

Shri Ramavatar Shastri : I want to know the P.F. dues of workers with the establishment and the action taken or proposed to be taken to realise the amount due apart from that in respect of which prosecution has been launched?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और यद्यपि मेरे पास कुछ सूचना है परन्तु मैं इसका सत्यापन करना चाहता हूं । मैं बाद में सदस्य महोदय को यह जानकारी दे दूंगा ।

Shri Ramavatar Shastri : Sir, this shows how inefficient the Regional office is. It has not been able to give information in 21 days. The workers suffer but Government do not care at all.

भारत कोकिंग कोल कंपनी द्वारा 'बिहार' बिल्डिंग' का खरीदा जाना

*350. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल कंपनी ने हाल ही में झरिया नगर के निकट 'बिहार बिल्डिंग' खरीदी है और यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये ;

(ख) इस इमारत के मालिक का नाम क्या है और इसका फर्श क्षेत्रफल कितना है ; और

(ग) इस इमारत का ह्रसित बही मूल्य क्या है और इसको किस मूल्य पर खरीदा गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड ने 'बिहार बिल्डिंग' खरीदी नहीं है । केवल कार्यालय के काम के लिए केवल इस के एक भाग को 40 पैसे प्रति वर्गफुट की दर से (धरातल क्षेत्रफल) किराए पर लिया गया है ।

(ख) यह भवन चनचनिस का है । सही सही धरातल क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) चूंकि इसे खरीदा नहीं गया है अतः इसके ह्रसित बही मूल्य और कीमत का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने बताया है कि पूरे भवन को किराये पर ले लिया गया है और उसका किराया 40 पैसे प्रतिफुट छत वाले क्षेत्र के लिये है । फिर, क्या उन्हें इस क्षेत्र का पता नहीं है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम): हमारे और उक्त कम्पनी में सम्पर्क अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं इसीलिए हमें ठीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई । क्योंकि मैं गलत सूचना नहीं देना चाहता था अतः इस प्रकार का उत्तर दिया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम ने तो पर्याप्त सूचना दी थी यह उनकी गंभीर गलती है । वे कुल कितना वार्षिक किराया दे रहे हैं और इसे नगरपालिका ने निश्चित किया था अथवा स्थानीय एस० डी० ओ० ने?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जहां तक मुझे पता है मैं सभी मूल्यांकन इस भवन और एक और भवन की खरीद के बारे में तथा किराये के बारे में—राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सिविल इंजीनियर तथा राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए हैं । उन्हीं की सलाह पर यह निर्णय किया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम जानना चाहते हैं कि इस भवन का कुल वार्षिक किराया क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न में तो यह नहीं पूछा गया था ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जैसा मैंने पहले बताया है, हम से भूल हुई है और हम यह सूचना शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लेंगे । मूल प्रश्न में यह नहीं पूछा गया था, मैं दूसरा सहारा नहीं लेना चाहता अपितु मैं माननीय सदस्य से यह सूचना न दे सकने के लिए क्षमा चाहता हूं । उपलब्ध होते ही सूचना दे दी जाएगी ।

श्री ए० पी० शर्मा : सरकार ने चनचनियों की कोयला खानें अपने हाथ में ले ली है । क्या कार्यालय जिस भवन में है वह भी कोयला खान की सम्पत्ति है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जो भवन हमने किराये पर लिया है, वह इस अधिनियम में नहीं आता और इसमें दी गई परिभाषा में वह भवन नहीं आता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कोकिंग कोयला खान अधिनियम में तो नहीं आता परन्तु बाद में अकोककर खानें भी तो हाथ में ली गई हैं । क्या श्री चंचानी अकोककर खानों से संबंधित हैं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : यह भवन कोयला खान प्राधिकरण द्वारा नहीं लिया गया अपितु भारत कोकिंग कोल कंपनी द्वारा लिया गया है । इस अध्यादेश जारी करने से पूर्व किराये पर लिया गया था । इसके जारी होने के बाद की स्थिति का मुझे पता नहीं है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो बाद में यह सूचना दी जा सकती है ।

PAK P.O.Ws IN INDIA

*351. **Shri Nawal Kishore Sharma :**

Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Pak soldiers and Pak civilians held as Prisoners of War by India at present; and

(b) the number of officers, soldiers and employees out of them separately?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : एक प्रतिवेदन सदन के सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) युद्धबन्दी (पाकिस्तानी सेना पैरासेना कार्मिक) .	73,864
असैनिक	16,515
(ख) (1) युद्धबन्दी	
अफसर . . .	1,887
जूनियर कमीशन अफसर और समकक्ष	2,733
अन्य रैंक .	68,450
अयोधी नामांकित	794
	73,864
(2) असैनिक कर्मचारी	
पुलिस . .	4,849
असैनिक सरकारी कर्मचारी . . .	912
सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ कार्य कर रहे असैनिक .	1,457
पाक इन्टरनेशनल एयरवेज .	177
	7,395

Shri Nawal Kishore Sharma : Sir, International pressures can be there for the release of Pakistani P.O.Ws. detained in Camps in India. Recently, after America's withdrawal from Vietnam...(*interruptions*).......................This is a very relavant question.......................(*interruptions*) I simply want that we should not submit to international pressures. In view of the fact that America has started giving arms aid to Pakistan and there are possibilities of Pakistan's activities gaining momentum in the International field. We want an assurance against submitting to international pressures for the release of Pakistani P.O.Ws., because it may threaten the security of the Country.

Shri Vidya Charan Shukla : Question does not arise. We never act under pressures and there is no question of pressure at all, so far as this matter is concerned this should not have been asked.

Mr. Speaker : He is seeking an assurance, not asking a question.

Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Assurance is not given, only information is given, during Question hour.

Shri Nawal Kishore Sharma : What is the *per capita* monthly expenditure as well as the total expenditure incurred on these P.O.Ws, so far by the Government of India?

Mr. Speaker : You did not ask this question..................

Shri Vidya Charan Shukla : Sir, I have already replied to that .

Mr. Speaker : What can I do when you are prepared to reply? You reply to it, I won't disallow supplementaries.

Shri Vidya Charan Shukla : I have said, Sir, that this question has already been replied to. I do not have figures at present regarding the *per capita* expenditure . If the hon. Member requires this information, I can supply it again.

Shri Arvind Netan : Sir, May I know the number of Indian civilians held as prisoners of war in Pakistan.............................(*interruptions*) I have got proof..................

Mr. Speaker : The question is regarding "the member of Pak soldiers and Pak civilians held as prisoners of war................." How do Indian civilians come into it?

Shri Arvind Netan : The Indian civilians, who went to earst while East Pakistan either to see their relatives or to get some job there, were held as prisoners. Their names are there in the.......................(*interruptions*).........................

Shri Jagjivan Ram : There is no Indian Civilian there. Indians, who were in Pakistan, may be of pre-partition time. They were having Pakistani citizenship. To say that Indian civilians are there creates confusion.

श्री मोहनराज कालिंगारायर : मंत्री महोदय ने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जनेवा कन्वेन्शन के अनुसार जो भी युद्धबन्दी गम्भीर रूप से बीमार हो अथवा घायल हो उसे स्वदेश लौटा दिया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि छुपकर भाग निकलने के प्रयास में गम्भीर रूप से घायल हुये युद्धबन्दियों को भी स्वदेश लौटा दिया जायेगा अथवा उन्हें यहीं रखा जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। इसे मैं फिर से दोहराता हूं । चिकित्सा विशेषज्ञों के मतानुसार यदि इनकी स्थिति गम्भीर समझी जाती है तो इन्हें निश्चित रूप से स्वदेश लौटा दिया जायेगा ।

युद्धबंदियों पर होने वाले व्यय के आंकड़े मेरे पास आ गये हैं । हमने युद्धबंदियों पर जनवरी, 1973 तक लगभग 13 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या पश्चिमी सीमा पर पकड़े गये युद्धबन्दी स्वदेश लौटा दिये गये हैं और उनके बदले अपने सनिक ले लिये गये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, हां ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम बहुत बड़ी राशि व्यय कर रहे हैं और इससे वित्तीय तथा अन्य संकट पैदा हो रहे हैं तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि बंगला देश में निर्वाचन हो चुके हैं, क्या कम से कम ऐसे सैनिकों को स्वदेश लौटाने के लिये उपाय किये जायेंगे जो युद्ध अपराधी नहीं हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक अजीब प्रश्न है । पहली बात तो यह है कि यह मूल प्रश्न से उठता ही नहीं है ।

Shri Phool Chand Verma: The hon. Minister might have seen the newspapers today. The Minister of foreign affairs made a statement in Rajya Sabha yesterday and stated that America was supplying arms to Pakistan. May I know, in this connection, whether there is any change in our earlier stand regarding the release of Pakistani P.O.Ws. held in India, if so, what is that?

Shri Vidya Charan Shukla : There is no change.

श्री जी० विश्वनाथन: मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार 73,000 सैनिक तथा पारा सैनिकों के अतिरिक्त 7000 नागरिक भी युद्धबन्दियों के शिविरों में बन्दी हैं : क्या सरकार इन को रखने पर व्यय होने वाली बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए इन्हें स्वदेश लौटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन सभी प्रश्नों पर हमें बंगलादेश सरकार से परामर्श करना होगा और उनकी सहमति के पश्चात् ही इन मामलों में कोई निर्णय किया जा सकेगा ।

श्री जी० विश्वनाथन : मैंने पूछा है कि क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है । सरकार को इस बात का उत्तर देना चाहिये ।

श्री जगजीवन राम : यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । सदन को पता है कि हमने कुछ नागरिक लौटाये हैं और इस बारे में भी हमने बंगलादेश सरकार से परामर्श किया था । अतः यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।

श्री वसंत साठे : एक अन्तिम प्रश्न ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: सरकार ने इस की घोषणा नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस प्रश्न के लिये इतना ही पर्याप्त है । श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : युद्ध बन्दियों के संबंध में स्थिति कई बार स्पष्ट की गई है अर्थात बंगलादेश सरकार की सहमति के बिना उनको रिहा करने का प्रश्न तय नहीं किया जा सकता । माननीय मित्र विश्वनाथन ने जो प्रश्न पूछा है उसी सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या 7000 असैनिक कर्मचारियों ने भी सैनिकों की भांति ही भारत तथा बंगलादेश की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था ? स्थिति ऐसी नहीं है । असैनिक कर्मचारियों ने संयुक्त कमांड के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं किया था । वे वहां थे और उन्हें वहां से पकड़ा गया था । अतः पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा बन्दी बनाये गये बहुत बड़ी संख्या में असैनिक भारतीयों विशेषतया बंगालियों के प्रति होने वाली चिन्ता को ध्यान में रखते हुए क्या कोई ऐसा प्रस्ताव रखा गया है अथवा कोई ऐसा प्रयास किया गया है कि पाकिस्तानी असैनिकों के साथ बंगाली सिविलियन लोगों की जो अवैध रूप से पश्चिमी पाकिस्तान में बन्द हैं, अदला-बदली की जाय ।

श्री जगजीवन राम: सदन को इस बात का पता है कि पश्चिमी पाकिस्तान में बंगलादेश के लगभग 500,000 सिविलियन हैं और हमारे यहां उनकी तुलना में बहुत थोड़े असैनिक कर्मचारी तथा अन्य नागरिक बन्दी हैं । यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि बंगला देश सरकार से बात चीत किये बिना तथा उनकी सहमति के बिना कोई एक पक्षीय कार्यवाही हम नहीं कर सकते । जब तक बहुत बड़ी संख्या में असैनिक नागरिक पश्चिम पाकिस्तान के बन्दी शिविरों में हैं तब तक यह प्रश्न नहीं उठना चाहिये ।

श्री समरगुहा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान ने भारत में अपने युद्धबन्दियों को मुक्त कराने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार किया है तथा कुछ दिन पूर्व मंत्री महोदय द्वारा दिये गये इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर अपनी सेनाओं पर किये जाने वाले व्यय से भी अधिक व्यय कर रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है और यदि सच है तो उसका व्यौरा क्या है और क्या यह तथ्य विश्व के अन्य देशों को बताया गया है ? क्या युद्धबंदियों को मुक्त करते समय यह राशि पाकिस्तान से वसूल की जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : श्रीमन, यह बात आपके निर्णय करने की है कि क्या यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैं इस चर्चा को आगे चलाना नहीं चाहता था ।

श्री समरगुहा : मूल प्रश्न से बहुत से प्रश्न उठते हैं, मेरा ही प्रश्न नहीं उठता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मूल प्रश्न देखा है । यह मूल प्रश्न से नहीं उठता है । अगला प्रश्न ।

पाकिस्तानी जेलों में बन्द बंगालियों के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना

*353. **श्री हरी सिंह :**

श्री पी० के० देव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बचाव समिति के एक अधिकारी द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की जानकारी है कि पाकिस्तान की जेलों में 2,000 से अधिक बंगाली बिना किसी आरोप के बन्द हैं और उनमें से किसी भी व्यक्ति को बन्दियों के सामान्य अधिकार प्राप्त नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनको पाकिस्तानी जेलों से रिहाई के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठायेगी ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने यह पहले भी बताया है कि पाकिस्तान में रोक कर रखे गए बंगालियों की बंगलादेश की वापसी मूलतः एक ऐसी बात है कि जिसे बंगलादेश और पाकिस्तान की सरकारों को हल करना है । फिर भी बंगलादेश के राष्ट्रिकों के लिये वहां की सरकार की चिन्ता तथा उद्विग्नता के प्रति भारत सरकार सहानुभूति रखती है तथा उन्हें मुक्त कराने और बंगला देश वापिस लाने के लिए बंगलादेश की सरकार के प्रयासों का भारत सरकार समर्थन करेगी ।

श्री हरी सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय बचाव समिति के एक अधिकारी ने बताया है कि पाकिस्तानी जेलों में बंगालियों को परेशान किया जाता है, यातनाऐं दी जाती हैं और जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता है । उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है । क्या भारत सरकार इन बंगालियों को पाकिस्तानी जेलों से मुक्त कराने के लिये, और जब तक वे मुक्त किये जायें, यह सुनिश्चित कराने के लिये कि उन्हें आगे परेशान नहीं किया जायेगा और उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जायेगा, अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में कोई प्रस्ताव रखने का विचार कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह: ये मामले सीधी वार्ता से भली भांति तय होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में इन मामलों को उठाने से कोई लाभ होने की संभावना नहीं है।

श्री पी० के० देव: मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया है कि यह बंगला देश तथा पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है। और इसे दोनों की सीधी वार्ता द्वारा निपटाया जाना चाहिये। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान ने बंगलादेश को अभी तक मान्यता नहीं दी है और उन दोनों को निकट लाने में भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्या इस विवाद को तय कराना भारत सरकार का कर्त्तव्य नहीं है, और यदि वे मामले को तय नहीं कर सकते तो क्या मामले को मित्रराष्ट्र सम्मेलन में उठाना, क्योंकि बंगलादेश अभी तक संयुक्तराष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं है, भारत सरकार का कर्तव्य नहीं है ?

श्री स्वर्णसिंह: इस मामले में हम निरन्तर रूप से बंगलादेश सरकार की इस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं कि बंगलादेश मूल के ये सिविलियन तथा पाकिस्तानी सेना के कुछ भूतपूर्व सैनिक जो बंगलादेश के पैदाइशी हैं, बंगलादेश को लौटाये जाने चाहिये। हम दृढ़ता से इस बात का समर्थन करते हैं।

श्री पी० के० देव: यह एक पवित्र कामना है।

श्री स्वर्णसिंह: पवित्रता को हमें बिल्कूल ही नहीं भुला देना चाहिये। पवित्र विचार रखना बुरा नहीं है। अतः स्थिति ऐसी ही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार की जाये, यह एक ऐसा मामला है। जिस पर शीघ्र ही बातचीत की जायेगी। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि स्वदेश लौटाने के मामले में कुछ अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के बारे में भी गम्भीर रूप से विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार के तथा भारत और बंगलादेश सरकार के बीच कुछ सूचियों का अदान-प्रदान किया जा रहा है। जिनके अन्तर्गत कुछ अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को स्वदेश लौटाया जाना है। भारत से 5000 व्यक्तियों को लौटाने की पेशकश की गई और पाकिस्तान 10,000 अथवा 13,000 व्यक्ति लौटाने की बात सोच रहा है। यह प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। जब मैंने यह बात कही थी कि समस्या के समाधान का यही सर्वोत्तम ढंग है तब ये सभी बातें मेरे मस्तिष्क में थी। अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास तथा अन्य संगठनों की सेवायें उपलब्ध हैं। हमारे तथा माननीय सदस्य के सम्मुख जो उद्देश्य है, उसे किसी फोरम में उठाने से कोई हल नहीं निकलता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: मैंने पाकिस्तानी युद्धबन्दी शिविरों में बन्द बंगालियों की कुल संख्या के आंकड़ों को सही करने का प्रश्न किया है। पाकिस्तानियों द्वारा बंगलादेश में कुछ व्यक्ति उस समय पकड़े गये जब बंगलादेश उनके अधिकार में था। समाचारपत्रों के कुछ बंगाली संवाददाताओं को भी गिरफ्तार किया गया था जिनके बारे में सदन में कई बार प्रश्न पूछे गये हैं। क्या मंत्री महोदय ने उनके बारे में कुछ पता किया है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका क्या हुआ ? पाकिस्तान के बन्दीशिविरों में कुल कितने व्यक्ति बन्दी हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह: अपनी इच्छाओं के विरुद्ध पाकिस्तान में रखे गयें बंगलादेश मूल के निवासी लगभग 300,000 और 400,000 के बीच की संख्या में हैं। बिल्कुल सही आंकड़े देना बहुत कठिन है। कई हजार निवासी भागकर अफगानिस्तान चले गये हैं। उन्हें अफगानिस्तान से वापस लाने के लिये कार्यवाही की गयी है और उन्हें बंगलादेश भेज दिया गया है। उनमें से सभी बन्दी शिविरों में नहीं हैं।

यह सच है कि भूतपूर्व पाकिस्तानी सेना में जो पैदायशी बंगाली थे उन्हें संरक्षणात्मक शिविरों में रखा गया है । बहुत बड़ी संख्या में सिविलियन भी पाकिस्तान में हैं । उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें बन्दी शिविरों में रखा गया है । वे बंगलादेश जाने के इच्छुक हैं । बंगलादेश में भी पाकिस्तानी मूल के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं । इन श्रेणियों के व्यक्तियों को स्वदेश लौटाने के लिये बातचीत की जानी आवश्यक है ।

दो पत्रकारों के मामले में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं हम बार बार पाकिस्तान सरकार से बात उठाते हैं । पाकिस्तान सरकार ने उनके बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या वे जीवित हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री दीपक बनर्जी और घोषाल दो पत्रकारों के बारे में मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे हैं मैं उनके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं । क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि दीपक बनर्जी की माता जी ने प्रधानमंत्री को एक अभ्यावदन दिया है जिसमें सभी तथ्य दिये गये हैं और यह भी बताया गया है कि उन्हें पाकिस्तान में टेलीविजन पर दिखाया गया है ? क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो जांच पड़ताल के क्या परिणाम निकले ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उन दोनों पत्रकारों के सम्बन्धियों की भावनाओं तथा चिन्ता से परिचित हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने भी इस बारे में मुझसे कहा है । पाकिस्तानी अधिकारियों से उनका पता जानने के लिये हमने हर संभव प्रयत्न किया है परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैंने जो कुछ बताया है कि कोई जानकारी नहीं मिली है इसके अतिरिक्त और कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री दीपक बनर्जी की माता जी ने जो जानाकरी दी है मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके आधार पर क्या ज्ञात हुआ है ?

श्री स्वर्ण सिंह : उन्होंने एक पत्र मुझे भेजा है ।

श्री समरगुहा : मैं मंत्री महोदय का ध्यान बंगलादेश सेना के पाकिस्तान से भाग निकलने वाले 6 सैनिकों द्वारा दी गई जानकारी की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी भूतपूर्व सेना के 28,000 सैनिक 22 बन्दीशिविरों में रखे गये हैं । उन्होंने यह भी बताया है कि पाकिस्तानी सरकार के भूतपूर्व 50,000 कर्मचारी भी जो बंगलादेश के हैं, अन्य सिविलियनों सहित बन्दीशिविरों में हैं । क्या उन्हें वहां अमानवीय स्थिति में रखा जा रहा है और यदि हां, तो क्या इन तथ्यों को विशेषतया इन परिस्थितियों में जबकि युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में पाकिस्तान भारत विरोधी प्रचार कर रहा है, बंगलादेश के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय विचार के लिये रखा गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आंकड़े मेरे द्वारा अथवा माननीय सदस्य द्वारा बताये गये हैं, वे सभी अनुमानित हैं । मेरे सहयोगी, रक्षामंत्री ने संख्या 500,000 बताई है । मैंने यह संख्या 300,000 और 400,000 लाख के बीच बताई है । हो सकता है दोनों ही आंकड़े सही हों । 500,000 के आंकड़ों में बंगलादेश मूल के वे सभी व्यक्ति हो सकते हैं जो पश्चिमी पाकिस्तान में हैं । 300,000 और 400,000 के बीच की संख्या उन व्यक्तियों की है जिन्होंने बंगलादेश आने की इच्छा व्यक्त की है । ऐसे भी बहुत से बंगाली हो सकते हैं जिन्होंने अभी बंगलादेश जाने की इच्छा व्यक्त न की हो । जो कुछ भी ये आंकड़े हैं, ये सब अनुमानित हैं ।

श्री समरगुहा के प्रश्न के उत्तर में मेरा विचार यह है कि पाकिस्तान की संघीय सेना में बंगला-देश मूल के व्यक्तियों की संख्या 20,000 नहीं लगभग 30,000 है । परन्तु वे अभी भी पाकिस्तान में हैं क्योंकि वे पाकिस्तानी सेना में थे और वे बंगलादेश मूल के निवासी हैं । इसीलिये वे पाकिस्तान में हैं और उन्हें बंगलादेश वापस जाना है ।

उन्होंने सिविलियनों की संख्या 50,000 बताई है । मैं न तो इसकी पुष्टि करता हूं और ना ही खंडन, परन्तु संख्या काफी अधिक है । यह मेरे लिये बहुत कठिन है............... (**व्यवधान**) मैं जानता हूं कि कर्मचारियों की संख्या 50,000 नहीं है परन्तु मैं आंकड़े नहीं दे सकता हूं और न ही यह बता सकता हूं कि उनमें से कितनों ने जाने की इच्छा व्यक्त की है ।

श्री वसंत साठे : क्या हम आंकड़े बंगलादेश से प्राप्त नहीं कर सकते ? उन्हें पता होगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : हां, वे ठीक प्रकार जानते हैं और वहां से जानने के पश्चात ही मैं ने यह कहा है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अतः इस सम्बन्ध में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिये । यह सच है कि वे वापस जाना चाहते हैं और उन्हें बंगलादेश को लौटाने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाना चाहिये । हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए और युद्धबन्दियों के मामले में पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रचार से हमें बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने कुछ वक्तव्य दिये हैं परन्तु दुनिया के देशों को पता है कि इस मामले में पाकिस्तान का अपना रिकार्ड तो ठीक नहीं है । उनके यहां भी बहुता बड़ी संख्या में सिविलियन बन्दी हैं और वे उनको स्वदेश लौटाने में बाधा डाल रहे हैं । हमें समस्या से निपटना चाहिये न कि उनके प्रचार से बहुत अधिक परेशान होना चाहिये । यह एक मानवीय समस्या है और हमारा यही प्रयास होना चाहिये कि हम केवल प्रचार मात्र के उद्देश्य से इन मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय फारम में उठाने के बजाये समस्या का कोई संतुष्टिपूर्ण हल निकाल सकें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

कोयला बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कोयला खान श्रमिकों को मजूरी का भुगतान

*343. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन सब कर्मचारियों को जिन्हें कोयला बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गत श्रेणी −1 की मजूरी नहीं मिल रही थी, श्रेणी−1 की न्यूनतम मजूरी देने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह मजूरी कितने कोयला श्रमिकों को मिलेगी ; और यह कब तक लागू की जायेगी ; और

(ग) क्या सरकार उन कोयला खानों के नाम बतायेगी जहां श्रमिकों की श्रेणी एक की मजूरी के भुगतान से वंचित रखा गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) उन सब नियमित श्रमिकों को, जो मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम श्रेणी−1 मजूरियां नहीं पा रहे थे, उन के उचित श्रेणियों में निर्धारण होने तक अब कोयला खान प्राधिकरण द्वारा श्रेणी−1 की मजूरियों का भुगतान किया जाएगा ।

(ख) सभी नियमित श्रमिकों को, जिनकी संख्या उन कोयला खानों के संबंध में जिनका प्रबन्ध में लिया गया है, लगभग 2 1/2 लाख है इस आधार पर कोयला खान प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जा रहा है ।

(ग) कोयला खान प्राधिकरण द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है ।

रांची के सैनिक हस्पताल से पाकिस्तानी युद्धबन्दी का भाग जाना

*345. **श्री बी०के० दासचौधरी :**

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : रक्षा

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15, फरवरी, 1973 को रांची के सैनिक अस्पताल से एक पाकिस्तानी युद्धबन्दी कप्तान रियाजुल हक भाग गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) सरकार ने उसके भाग जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख) : जी हां, श्रीमन् । पाकिस्तानी सेना मैडीकल कोर का कप्तान रियाजुल हक 10 फरवरी, 1973 को भाग गया था । उसे 31 जनवरी 1973 को पैम्पटिक अल्सर के उपचार के लिये रांची के सैनिक अस्पताल में भर्ती किया गया था । युद्धबन्दी के दाढ़ी थी । 10 फरवरी, 1973 को उसने अपनी दाढ़ी बनवा ली और वार्ड से भारतीय सेना चिकित्सा अधिकारी के रूप में चला गया ।

(ग) जांच पड़ताल चल रही है और जो असावधान पाए जाएगें उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

अभ्रक खान कल्याण आयुक्त के भीलवाड़ा स्थित कार्यालय में अनावश्यक स्टाफ

*348. **श्री पी० वैकंटासुब्बया :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक खान कल्याण आयुक्त के भीलवाड़ा स्थित कार्यालय में तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ अनावश्यक स्टाफ है:

(ख) यदि हां, तो क्या कोई कार्य अध्ययन किया गया है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए, क्या कार्यवाही की जाएगी कि कल्याण योजनाएं एक ही इकाई वाले कार्यालयों द्वारा, बिना विभिन्न कर्मचारी स्तरों और इकाइयों के, चलाई जाएं ; और

(घ) इस संघटन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की यात्राओं और दौरों के पर व्यय में बचत करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संगठन, राजस्थान के कार्य का अध्ययन किया गया है । कुछ कर्मचारी फालतू पाये गये हैं ।

(ग) इन योजनाओं को कल्याण आयुक्त के निदेश पर कल्याण कर्मचारियों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है ।

(घ) यात्रा भत्ता सम्बन्धी खर्च 1969-70 से ऊपर नहीं जाने दिया गया है ।

इस्पात तथा अन्य धातु संयंत्रों के लिए रूसी सहायता की पेशकश

*349. **श्री रणबहादुर सिंह :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा इस्पात, तांबा, ऐल्यूमीनियम तथा अन्य अत्यावश्यक धातुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये रूस बड़े पैमाने पर महायता देने को तैयार है;

(ख) क्या किसी विशेषज्ञ दल ने भी भारत का दौरा किया है और यदि हां, तो रूसी विशेषज्ञ दल द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहनकुमारमंगलम) :

(क) बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों के विस्तार और तांबा तथा ऐल्यूमीनियम संसाधनों के विकास सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में भारत की सहायता करने की रूस ने इच्छा व्यक्त की है ।

(ख) और (ग) : रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने अक्तूबर, दिसम्बर, 1972 में भारत की यात्रा की थी और उसने भारत सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ बातचीत भी की । इस दल ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की ।

हिन्द चीन में शांति बनाए रखने के लिए स्थायी व्यवस्था करने के बारे में अमरीकी प्रस्ताव

*352. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द-चीन में शांति बनाये रखने के लिये स्थाई व्यवस्था कायम किये जाने के बारे में अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट श्री विलियम रोजर्स द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को पेरिस सम्मेलन से पूर्व श्री रोजर्स द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की जानकारी है जिसमें उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि इस सम्मेलन से वियतनाम स्थित अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण संगठन तथा सम्मेलन के सदस्यों के बीच कतिपय देश स्थायी सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं ।

(ख) 26 फरवरी से 2 मार्च 1973 तक वियतनाम पर हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये निर्णय भी लिये गये :—

(i) समझौता करने वाले चारों पक्ष अथवा दोनों दक्षिण वियतनामी पक्ष अलग-अलग अथवा साथ मिलकर इस ऐक्ट से सम्बद्ध अन्य पक्षों को समझौता तथा संलेखों के क्रियान्वयन के बारे में सूचित करेंगे ।

(ii) वियतनाम स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं अधीक्षण आयोग द्वारा प्रस्तुत विचारों तथा रिपोर्टों को इस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले चारों पक्षों को अथवा दोनों दक्षिण वियतनामी पक्षों के पास भेजा जायेगा जो चाहे अलग-अलग अथवा साथ मिलकर इन्हें इस ऐक्ट से सम्बद्ध अन्य पक्षों को तुरन्त भेज देंगे।

(iii) संयुक्त राज्य अमरीका और वियतनाम लोक गणराज्य सरकारों के संयुक्त अनुरोध पर अथवा पेरिस सम्मेलन में भाग लेने वाले 6 या उससे अधिक सदस्यों के अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन फिर बुलाया जा सकता है ।

भारत ऐसी हर व्यवस्था का स्वागत करता है जो शांति कायम रखने के लिये स्थापित की गई है और संबद्ध पक्षों को मान्य हो ।

Wages According To Work Done

*354. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) Whether Government are formulating any scheme to give wages to the labourers in accordance with their work; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Labour and Rehabilitation : (Shri Raghunatha Reddy): (a) and (b): Since conditions differ from industry to industry, no specific scheme for this purpose has been formulated. However, the piece-rates system, under which earnings are linked to the work done, are already in operation in several industries/establishments.

इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड सहारनपुर द्वारा 'अग्रनीत' और 'मुजरा' (सेट आन और सेट आफ) लेखों का रखा जाना

*355. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टोबेको कम्पनी, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित 'अग्रनीत' और 'मुजरा' लेखे रखने में असमर्थ रही है;

(ख) क्या उक्त कम्पनी ने अपने वास्तविक लाभ को छिपाने के उद्देश्य से बोनस देने के लिये वित्तीय वर्ष में बजाय 'कैलेण्डर वर्ष' को अपनाया है ; और

(ग) यदि हां, तो बोनस संदाय अधिनियम को प्रभावकारी रूप में लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ग) : यह विषय-वस्तु मूलतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आती है । तथापि, सूचना, जो कि राज्य के क्षेत्राधिकार में है, एकत्र की जा रही है ।

'Right to Work' a fundamental right

*356. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be Pleased to state :

(a) Whether at the time of inauguration of an exhibition of archives in Delhi on the 9th February, it was stressed that the right to work should be made a Fundamental Right; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri K.V. Raghunatha Reddy) : (a) The Honourable Member is presumably refering to the speech delivered by the President of India at the inauguration of the exhibition of documents relating to freedom struggle at the National Archives on February 9, 1973. The President observed in his speech that :

"Right to live and the right to work are basic and fundamental to every citizen. We are committed by our Constitution and by our own pledges to make these rights a reality for our common people."

(b) The Directive Principles of State Policy already contain the principle of right to work, which directs that "the State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work." In conformity with the objectives embodied in the Constitution, employment has been accorded a high priority in the successive Five Year Plans and constant efforts are being made to create more and more employment opportunities.

Declaring of certain sections of industrial disputes act as null and void by Calcutta High Court

*357. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Calcutta High Court has declared null and void some of the sections of the Industrial Disputes Act;

(b) if so, whether Government are facing great difficulties in solving industrial disputes as a result thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) The Calcutta High Court by a judgement of a single Judge has held section 2A of the Industrial Disputes Act, 1947 as void.

(b) and (c): In order to get over the difficulty, the West Beagal Government have filed an appeal in the High Court against the judgement of the single Judge. Government of India have also intervened in the matter.

मजूरी अदायगी अधिनियम के अधीन समयोपरि भत्ते को वेतन का एक अंग मानना

*358. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या समयोपरि भत्ता वेतन का एक अंग है तथा यह मजूरी अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत आता है;

(ख) क्या दिल्ली डिवीजन के कुछ असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ता नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो श्रम विभाग ने मजूरी अदायगी अधिनियम के उल्लंघन के लिये रेलवे प्रशासन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी):

(क) जी हां।

(ख) और (ग) : रेल प्रशासन से यह पता चला है कि दिल्ली प्रभाग के सहायक स्टेशन मास्टरों को 11-11-72 तक वर्तमान नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य समयोपरि का भुगतान पहले ही कर दिया गया है । जहां तक 11-11-72 के बाद की अवधि के समयोपरि का सम्बन्ध है, कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही भुगतान किया जायेगा ।

प्रतिरक्षा एककों में बिजली की कटौती

*359. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू व काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्यों तथा चण्डीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में मास दिसम्बर, 1972 तथा जनवरी और फरवरी, 1973 के दौरान, प्रतिरक्षा एककों में भी बिजली की कटौती की गई;

(ख) इस कटौती से कुप्रभावित होने वाले प्रतिरक्षा एककों के नाम क्या हैं तथा क्या इससे हमारे रक्षा उपायों को काफी नुक्सान होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि वे अपने अपने राज्यों के प्रतिरक्षा एककों में बिजली की कटौती न करें; और

(घ) यदि हां, तो इस पर संबंधित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) इससे प्रभावित रक्षा यूनिटें ये हैं :—

सैनिक फार्म, हवाई अड्डे, बेस रिपेयर डिपो, चंडीगढ़ तथा आर्डनेंस केबल फैक्ट्री, चंडीगढ़ । बिजली की कटौती से आर्डनेंस केबल फैक्ट्री चंडीगढ़ तथा सैनिक फार्म के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ।

(ग) तथा (घ): रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को इस आशय के पत्र भेजे हैं कि बिजली की सप्लाई में महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए । इससे स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ।

कोयले की कमी तथा नियंत्रित मूल्य पर इसकी सप्लाई

*360. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की कमी है ;

(ख) क्या कोयले के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं ;

(ग) क्या सरकार की सभी प्रकार के कोयले के मूल्य तथा वितरण पर पुनः नियंत्रण लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या नियंत्रित मूल्य पर कोयले की सप्लाई में सुधार करने हेतु कोई उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) देश में कोयले के उत्पादन में कोई कमी नहीं है । मांग की पूर्ति के लिये उत्पादन पर्याप्त है । तथापि, कोयले के लिये पर्याप्त परिवहन की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में कमी की छुटपुट रिपोर्टें मिली हैं ।

(ख) जी, नहीं । तथापि, व्यापारियों द्वारा अधिक कीमत लेने के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) और (घ) : जी, नहीं । तथापि, रेलवे, कमी वाले क्षेत्रों में कोयले की वांछित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये, वैगन उपलब्धता में सुधार करने का प्रयास कर रही है ।

देश में साम्यवादी साहित्य का आयात

3390. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में साम्यवादी साहित्य का बहुत बड़ी मात्रा में आयात हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत स्थित रूसी दूतावास को हाल ही में 'शिक्षा शृंखला' (एड्यूकेशनल सीरीज़) के अन्तर्गत साम्यवादी साहित्य की ढाई करोड़ रुपये की खेपें प्राप्त हुई थीं ;

(ग) देश में किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करने के लिये राजनयिक उन्मुक्ति का प्रयोग न करने के लिये विदेशी दूतावासों पर क्या प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और क्या इस संदर्भ में उपर्युक्त खेपों में भेजे गये साहित्य की जांच की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस साहित्य का वितरण प्रचार के लिये किया जा रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार के साहित्य के आयात में हाल में बहुत वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) वियना अभिसमय के अनुसार विदेशी मिशनों को अपने देश से संबंधित तथ्यपरक सूचना देने वाली प्रचार सामग्री का आयात, प्रसार और वितरण करने के सम्बन्ध में कुछ राजनयिक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं बशर्ते कि इससे भारतीय कानूनों का उल्लंघन न होता हो । जहां तक गैर-राजनयिक सूत्रों से प्रचार सामग्री के आयात का सम्बन्ध है, देश में अवांछनीय सामग्री का प्रवेश रोकने के लिये हमारे सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन समुचित रोक लगी हुई है ।

हिन्दुस्तान मशीन, टूल्स द्वारा अयातित ट्रैक्टरों के लिए भारतीय पूर्जे

3391. **श्री साधू राम :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा वर्ष 1972-73 में आयात किये गये ट्रैक्टरों ऐसे 32.5 प्रतिशत पुर्जों से रहित हैं जिन्हें भारत में बनाया जाता है अथवा उनमें 32.5 प्रतिशत पुर्जे आयातित नहीं हैं; और

(ख) क्या वर्ष 1972-73 में जो 2000 ट्रैक्टर आयात किये जायेंगे उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 45 प्रतिशत पुर्जे आयातित नहीं होंगे ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आयातित ट्रैक्टर 32.5 प्रतिशत भारतीय पुर्जों से रहित होते हैं ।

(ख) मार्च 1973 के अन्त तक ऐसे 500 ट्रैक्टरों की खेप जहाज द्वारा भेजे जाने की आशा है जिनमें 45 प्रतिशत पुर्जे आयातित नहीं होंगे तथा बाकी 1500 ट्रैक्टरों की खेप का अप्रैल-मई 1973 तक लदान हो जाने की आशा है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची का विस्तार

3392. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का निकट भविष्य में विस्तार होगा अथवा इसके उत्पादन में निकट भविष्य में वृद्धि होगी; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य रूपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : भारी इंजीनियरिंग निगम की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 1971-72 और 1972-73 में भारी इंजीनियरिंग निगम के उत्पादन में विशेष रूप से सुधार हुआ है । आशा है कि उत्पादन में वृद्धि बनी रहेगी ।

एल्यूमीनियम उद्योग का लायसेंस क्षमता के अनुरूप उत्पादन

3393. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी एल्यूमिनियम उद्योग अपनी अपनी पूरी लाइसेंस क्षमता के अनुसार उत्पादन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ऐल्यूमीनियम कारखानों की लायसेंस क्षमता कितनी है तथा उनकी वर्तमान उत्पादन-क्षमता कितनी-कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) देश में प्रतिवर्ष 1,78,850 टन की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता की तुलना में, 1971-72 के दौरान उत्पादन 1,81,485 टन था।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4522/73]

पिंजौर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के संयंत्र में ट्रैक्टरों का निर्माण

3395. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिंजौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड वर्ष 1973 में 6000 संख्या 2011/2511 ट्रैक्टरों का, जिनमें 32.5 प्रतिशत और 45 प्रतिशत भारतीय पुर्जे होंगे, निर्माण करेगा;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने 32.5 प्रतिशत भारतीय पुर्जों वाले कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया है तथा वर्ष 1973 के अन्त तक 45 प्रतिशत भारतीय पुर्जों वाले कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया जायेगा; और

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का वर्ष 1973-74 के लिये निर्माण कार्यक्रम क्या है और इन ट्रैक्टरों में कितने प्रतिशत भारतीय पुर्जों का प्रयोग किया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) 1972 के अन्त तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने 32.5 प्रतिशत भारतीय पुर्जों सहित 953 ट्रैक्टर बनाये हैं । उन्होंने 45% भारतीय पुर्जों का अभी तक कोई भी ट्रैक्टर नहीं बनाया है।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विचार वर्ष 1973-74 के दौरान 6000 ट्रैक्टर बनाने का है। इस उत्पादन का अधिकांश 45% भारतीय पुर्जों से बनेगा ।

फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास पर वर्ष 1971–72 के दौरान व्यय

3396. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1971-72 के दौरान फ्रांस स्थित भारतीय राजदूत तथा दूतावास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या उक्त खर्च प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बढ़ते हुए खर्च को कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास पर रु० 25.38 लाख तथा राजदूत पर रु० 1.54 लाख व्यय किया गया ।

(ख) जी नहीं; खर्च में थोड़ी सी कमी हुई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Payment of overtime allowance to non-industrial employees of ordnance depot Allahabad

3397. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether the non-industrial employees working in the Ordnance Depot, Fort, Allahabad are not being paid over-time allowance;

(b) whether working hours of that office are from 8 A.M. to 4 P.M., whereas the employees demand that the working hours should be changed so as to be from 10 A.M. to 5 P.M.; and

(c) the arrangements being made by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Non-industrial employees working in the Ordnance Depot, Fort, Allahabad, are paid overtime allowance, as admissible to them under the rules.

(b) & (c) : The working hours of the Depot are from 8 A.M. to 4 P.M. No representation has been received from the Worker's Union for any change in the working hours.

युगांडा से निष्कासित विभिन्न देशों में बसे भारतीय

3398. **श्री अम्बेश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युगांडा से निष्कासित भारत मूलक लोगों को किन देशों में बसने की अनुमति दी है; और

(ख) विभिन्न देशों में बसे भारतीयों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

उगांडा से निष्कासित भारतीय मूल के लोगों का पुनर्वास

भाग एक

भारतीय नागरिक

देश का नाम	बसाये गए लोगों की अनुमानित संख्या
भारत	4060 (इस संख्या में वे 300 भी शामिल हैं जिन्हें छूट मिली है)
यू० के० और कनाडा	लगभग 300

भाग दो

भारतीय मूल के दूसरे लोग

देश का नाम	जनवरी 1973 के अंत तक बसाये गए व्यक्तियों की अनुमानित संख्या
यू० के०	25472
कनाडा	5000
अमरीका	307
आस्ट्रेलिया	11
बैल्जियम	27
डैनमार्क	14
भारत	850
कीनिया	3
जापान	1
लेबनान	1
नीदरलैंडस	252
नार्वे	116
पाकिस्तान	1
स्वीडन	315
स्विटजरलैंड	5

टिप्पणी:—चूंकि इसके कोई आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं, अतः उपरोक्त अनुमान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं। इन आंकड़ों में वे लोग शामिल नहीं हैं जो मार्गस्थ शिविरों में और पुनर्वास की प्रक्रिया में हैं।

युगांडा से भारतीयों को निष्कासित करने के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना

3399. **श्री ग्रम्वेश:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युगांडा सरकार ने अपने देश से एशियाइयों को निष्कासित किया है;

(ख) क्या भारत सरकार ने समस्या को हल करने के लिये युगांडा से भारतीयों को निष्कासित करने के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) जी हां।

(ख) और (ग) विदेश मंत्री ने अक्तूबर 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में उगांडा से निकाले जा रहे एशियाइयों की समस्याओं का उल्लेख किया और सहानुभूति और समझदारी की भावना की आवश्यकता, उनकी परिसम्पत्तियों की न्यायोचित व्यवस्था करने और किसी भी प्रकार के जातीय भेदभाव से बचाव करने की आवश्यकता पर बल दिया । संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने उगांडा के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जिन्होंने अपने उत्तर में यह आश्वासन दिया कि जाने वाले एशियाइयों की कोई भी परिसम्पत्ति मुआवजे के बिना जब्त नहीं की जायेगी और इन निष्कासकों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा । जैसाकि सर्वविदित है, सरकार के दृष्टिकोण में, इस निष्कासन से बहुत सी परेशानियां एवं कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं । जबकि छूटी हुई परिसम्पत्तियों की क्षतिपूर्ति की नीति अभी तक उगांडा अधिकारियों ने तय नहीं की है ।

Scheme to provide employment to tribal people in Dandakaranya

3400. **Shri M. S. Purty** :Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to provide employment to the tribal people in Dandakaranya after making an assessment of their population ; and

(b) if so, the broad outlines of the scheme?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Location of Mines in Rajasthan

3401. **Shri Chandulal Chandrakar** :

Dr. H.P. Sharma :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports regarding discovery of various types of minerals in certain areas in Rajasthan;

(b) if so, the names of the places where such minerals have been located ; and

(c) whether mining work has been started there?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) Yes, Sir.

(b) As a result of surveys carried out so far in Rajasthan, various mineral deposits have been located, more important of which are copper ore in Khetri, Bhgoni pur-Dariba and Kho-Dariba in Jhunjhunu and Alwar districts; lead-zinc ore in Zawar and Rajpura-Dariba in Udaipur district; pyrite-pyrr hotite in Saladipura, Sikar district and phosphorite in Jeamar khotra, Birmania, Maton, Kanpur and Karbaria-ka-Gurha in Udaipur and Jaisalmer districts. Besides the above, Rajasthan has signficant deposits of bentonite, gypsum, limestone, dolomite, fullers earth, clay, asbestos, talc, steatite, mica, garnet, barytes, fluorite etc. located in different parts of Rajasthan. A geological and mineral map of Rajasthan has been published by Geological Survey of India. For localitywise distribution, various publications on Rajasthan by Geological Survey of India are available in the Parliament Library.

(c) Smaller deposits are generally developed by the State Government either through their own resources or by private parties. Major economic deposits where large investment is involveed, are taken up by the Central Government for exploitation. So far Government have undertaken the exploitation of copper, phosphorite and lead-zinc deposits in the State. The copper deposits at Khetri and Kolihan are being exploited by Hindustan Copper Limited. The investigation of the Maton Rock-phosphate deposits of Udaipur district has been completed and the deposit handed over to the Hindustan Zinc Limited for exploitation. The Hindustan Zinc Limited has plans to increase the production of lead-zinc mines at Balaria (Zawar mine). The multimetal deposit near Rajpura-Dariba has also been taken over by the Hindustan Zinc Limited for exploitation. The Saladipura pyrite deposit of Sikar district has been given to the Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited for exploitation.

ग्रेफाइट के खनन के बारे में बैल्लानाड मण्डलम कांग्रेस कमेटी की ओर से अभ्यावेदन

3402. **श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैल्लानाड केरल, में ग्रेफाइट के खनन के बारे में बैल्लानाड मण्डलम कांग्रेस कमेटी की ओर से फरवरी 1973 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो उसका सारांश क्या है तथा उसपर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) खान विभाग में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

अखिल भारतीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करना

3403. **श्री वयालार रवि :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करने के बारे में कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सूचित किया है कि उन्हें अखिल भारतीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी संघ के बनाए जाने संबंधी जानकारी नहीं है और यह कि संगठन के पास उसे मान्यता देने संबंधी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खास धर्मावाद कोयलाखान के मालिक तथा उस खान का उत्पादन

3404. **श्री बालजी भाई परमार** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 10 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1616 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961 में आई०बी०आर०डी० ऋण करार के आरंभ के समय उक्त खान के कौन-कौन मालिक थे ;

(ख) वर्ष 1970 तथा 1971 में इसके मालिकों के क्या-क्या नाम थे ;

(ग) वर्ष 1961, 1970, 1971 तथा 1972 में क्रमशः कितना-कितना न्यूनतम तथा अधिकतम मासिक उत्पादन हुआ ; और

(घ) 15 तथा 13 सीम के कोयले की राख की क्रमशः प्रतिशतता कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सम्यक अनुक्रम में लोक सभा के पटल पर रखी जाएगी ।

न्यू मजरी कोयला खान के विस्तार के लिये लाइसेंस देना

3405. **श्री बालजी भाई परमार** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 30 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2427 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मजरी कोयला खान को श्रेणी तीन योजना में आई० बी० आर० डी० कार्यक्रम भाग लेने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि उपयुक्त भाग का उत्तर नकारात्मक है तो 1968 से प्रति वर्ष 3,60,000 टन कोयला निकालने हेतु काफी विस्तार के लिए लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1961, 1964, और 1971 में इसके कोयले को किस श्रेणी में रखा गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पर्याप्त विस्तारण अनुज्ञप्ति की मुख्यतः इस आधार पर सिफारिश की गई थी कि फर्म ने विस्तारण के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी स्वयं एकत्र की थी ।

(ग) 1961 : ग्रेड III
1964 : ग्रेड II
1971 : ग्रेड I और IX

Merger of N.C.D.C. with Indian Coal Mines Authority

3407. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the National Coal Development Corporation is likely to be merged with the Indian Coal Mines Authority;

(b) if so, the time by which this proposal is likely to be implemented and the main object of this proposed merger;

(c) whether country's total annual demand for all varieties of coal exceeds the total annual production thereof; and

(d) if so, the time by which the entire demand is likely to be met by increased production?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) and (b) The proposal regarding the organisational set up for the taken over non-coking mines is under consideration of the Government.

(c) and (d) No, Sir. The present rate of production is adequate to meet the existing level of demand.

खेतड़ी तांबा उद्योग समूह की खानों और संयंत्रों की क्षमता

3408. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा उद्योग समूह की खानों और संयंत्रों की निर्धारित क्षमता कितनी है और अब तक कितने प्रतिशत निर्धारित क्षमता प्राप्त हो गई है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में खानों की निर्माण क्षमता (बिल्ट-इन) कितनी थी और अब कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) खेतड़ी ताम्र संकुल के लिए खानों और संयंत्रों की निर्धारित क्षमता निम्नलिखित है :

(i) 10,000 टन ताम्र अयस्क प्रति दिन

(ii) 31,000 टन ताम्र धातु प्रति वर्ष ।

(iii) लगभग 2 लाख टन ट्रिपल सुपर फास्फेट प्रतिवर्ष ।

इस समय खेतड़ी में खानें और संयंत्र निर्माणाधीन हैं ।

(ख) खेतड़ी ताम्र संकुल में खानों को, 1977 तक प्रतिदिन 10,000 टन की निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए, प्रावस्थानुसार तरीके से विकसित किया जा रहा है । नियमित उत्पादन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है । विगत तीन वर्षों में खान विकास में निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

वर्ष	रेखीय प्रगति (मीटर)	उखनन (घन मीटर)	कूपक धसाव (मीटर)
1970	2176	शून्य	81
1971	4260	11190	29
1972	3917	33219	13

जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा का रेखांकन

3409. **श्री रणबहादुर सिंह :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा के नक्शे जिन्हें भारत और पाकिस्तान ने स्वीकार किया, पाकिस्तान द्वारा तैयार किए गए थे, न कि भारत द्वारा ;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा के अंकन के बारे में हुए समझौते से पाकिस्तान को लाभ हुआ है तथा उसे वह सारा भूभाग प्राप्त हो गया है जिस पर वह दावा करता था; और

(ग) यदि हां, तो ठाको चक तथा उस भूभाग के बारे में जिसे भारत का छोड़ना पड़ा स्पष्ट व्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा के नक्शे भारत और पाकिस्तान के सेना प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए थे और उन पर भारत तथा पाकिस्तान दोनों के वरिष्ठ सेना कमांडरों द्वारा हस्ताक्षर किए गए ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् । वास्तव में रेखा भारत तथा पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा जम्मू और काश्मीर में 17 दिसंबर 1971 को अधिकृत क्षेत्र का सीमांकन करती है ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा को अन्तिम रूप देने पर विदेश मंत्री द्वारा 12-12-72 को दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है ।

वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का भविष्य

3410. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** :

श्री एम० वी० कृष्णप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए युद्ध-विराम के पश्चात् एक नए आयोग के गठन के फलस्वरूप वियतनाम में भारत की अध्यक्षता में गठित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को भंग करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) वियतनाम संबंधी पेरिस शांति समझौते तथा एक नए कमीशन के गठन को देखते हुए वियतनाम स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं अधीक्षण आयोग ने सर्वसम्मति से अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव पारित किया । इसलिए 20 फरवरी, 1973 से आयोग के कार्यकलाप स्थगित है । आयोग द्वारा सर्वसम्मति से पारित अंतिम प्रस्ताव का पाठ संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये संख्या एल० टी० 4523/73**]

आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड को आवंटित किए गए इस्पात का कथित दुरुपयोग

3411. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 21 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5398 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड कछार, आसाम को कारखाने की स्थापना करने के लिए इस्पात का बहुत अधिक कोटा दिया गया था ;

(ख) यह कोटा कब दिया गया था ;

(ग) क्या कारखाना अन्ततः स्थापित हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस्पात का निपटान कैसे किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) : सरकार को प्राप्त कुछ प्रारंभिक सूचना से पता चला है कि उद्योग निदेशक आसाम द्वारा किये गये आबंटनों के आधार पर मैसर्स आसाम शुगर मिल्स लिमिटेड ने आसाम लघु उद्योग विकास निगम से 8 मि० मि० से कम की प्लेटों के 13 क्वायल लिये थे । इस पाट ने कारखाने की स्थापना नहीं की और माल बेच दिया जिसमें से आधे से ज्यादा माल उठा लिया गया था । बाकी के लगभग 6 क्वायल को राज्य सरकार के उद्योग निदेशक के आदेशानुसार आसाम लघु उद्योग विकास निगम ने उठाने की अनुमति नहीं दी । तब पार्टी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक दीवानी दावा दायर कर दिया जो 13-1-1972 को आसाम शुगर मिल्स तथा लघु उद्योग विकास निगम के आपसी समझौते द्वारा तय कर लिया गया इस समझौते के अनुसार आसाम शुगर मिल्स को क्वायल का मालिक घोषित कर दिया गया ।

राज्य सरकार से मामले की पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है । इस बीच लोहा और इस्पात नियंत्रक ने विभागीय कार्यवाही के रूप में आसाम शुगर मिल्स को और सप्लाई बंद कर दी है ।

इस्पात और खान मंत्रालय के अन्तर्गत सरकार उपक्रमों में कर्मचारी

3412. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी उपक्रमों में संबंधित राज्यों जहां ये उपक्रम हैं, के और बाहर के श्रेणी i, ii, और iii के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : सरकारी उपक्रमों में रोजगार के आंकडे कर्मचारियों के जन्म-स्थान अथवा निवास स्थान के अनुसार नहीं रखे जाते हैं ।

Preparation of list of P.O.Ws Responsible for war crimes

3413. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have asked Government of Bangladesh to prepare a list of P.O.Ws in India responsible for war crimes so that the remaining P.O.W's might be repatriated to Pakistan; and

(b) if so, the reply received from Government of Bangladesh?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सैयद थांगल की हज यात्रा के दौरान मृत्यु

3414. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, सैयद अब्दुर रहमान बफाकी थांगल, जिनकी हाल ही में हज यात्रा के दौरान मृत्यु हुई थी, की आयु क्या थी ;

(ख) उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई ; और

(ग) क्या यह उनकी पहली हज यात्रा थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) स्वर्गीय थांगल द्वारा प्रस्तुत पासपोर्ट आवेदन के अनुसार 70 वर्ष ।

(ख) 18 जनवरी 1973 को वे यकायक बीमार पड़े और बारह घंटे की बीमारी के पश्चात् उनका देहांत हो गया ।

(ग) जी, नहीं ।

Demolition of bridge on Kali River in Pithoragarh District on Indo-Nepal Border

3415. **Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the bridge constructed on Kali River in District Pithoragarh of Uttar Pradesh on the border of India and Nepal was demolished by the Government of Nepal after a ban was imposed on the border trade and if so, the facts of the case;

(b) whether any protest was lodged with Government of Nepal asking for compensation; and

(c) the reaction of Government of Nepal in the matter and the time by which a new bridge would be constructed?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Reports have been received from the Government of Uttar Pradesh about the demolition of kachha bridges by Nepal on the Kali River.

(b) The matter has been brought to the notice of the Government of Nepal. The Government of Nepal have been requested to advise the concerned authorities in the area to desist from dismantling bridges and to restore the ones already dismantled.

(c) The Government of Nepal have replied that the matter has been referred to the concerned authorities and that a reply would be sent to the Embassy as soon it was received. The Government of Nepal have been reminded in the matter.

भारत और बंगला देश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में करार

3416. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और बंगलादेश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में हाल ही में हुए करार की मुख्य बातें क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : भारत बंगलादेश संयुक्त शक्ति समन्वयन बोर्ड के सहमति-ज्ञापन पर 4 जनवरी, 1973 को हस्ताक्षर किए गए 29 जनवरी, 1973 को भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच एक ऋण करार पर हस्ताक्षर हुए थे जिससे कि बंगलादेश भारत से 150 बसें खरीद सके । भारत और बंगलादेश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए हाल में इनके अलावा और किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए ।

गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता में समुद्रगामी (ओशन गोइंग) जहाजों का निर्माण

3417. **श्री के० बालदण्डायुतम :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता से 25,000 हंडर्डवेट तक की क्षमता के समुद्रगामी (ओशन गोइंग) जहाज का निर्माण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने जहाज बनाये जायेंगे ; और

(ग) जहाजों का निर्माण कब तक शुरू हो जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड 25,000 हंडर्डवेट तक के महासागर में चलने वाले जहाजों का यार्ड में निर्माण करने के विचार से इस समय एक आधुनिकीकरण तथा विस्तार योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं ।

(ख) यह कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले आर्डरों पर निर्भर करेगा । तथापि, विस्तार तथा आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन पर गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड महासागर में चलने वाले प्रति वर्ष दो अदद जहाज बनाने की स्थिति में हो जाएगा ।

(ग) जहाजों का निर्माण 1974 के आरंभ में बिल्डिंग ड्राई डाक चालू हो जाने के पश्चात् शुरू हो सकता हैं ।

कोयला खान क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दुकानें और उपभोक्ता सहकारी समितियां

3418. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला खान क्षेत्रों में कितनी सस्ते अनाज की दुकानें और कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियां चल रही हैं ;

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है ;

(ग) क्या खानों में सस्ती दरों पर चाय और जलपान की वस्तुएं देने हेतु श्रमिकों को अपनी ही सहकारी समितियां बनाने के लिए किसी विशेष प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया है ; और

(घ) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) देश के कोयला खनन क्षेत्रों में 370 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार और 12 थोक/केन्द्रीय सहकारी भंडार कार्य कर रहे हैं । उचित मूल्य की दुकानें संबंधित राज्य सरकारों के जिला अधिकारियों द्वारा आवंटित की जाती हैं ।

(ख) सहकारी भंडारों को कोयला खान श्रम कल्याण संगठन, धनबाद द्वारा शेयर पूंजी के लिए अंशदान, स्टाक जमा संबंधी ऋण, क्लीन क्रेडिट, ट्रकों को खरीदने और गोदामों का निर्माण करने के लिए ऋण और कार्यकारी पूंजी संबंधी ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है । भंडारों को दी गई और उनके द्वारा लौटाई गई कुल राशि निम्न प्रकार है :—

	राशि	
	अग्रिम के रूप में दी गई	लौटाई गई
प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार	7,42,000 रुपये	12,264 रुपये
थोक/केन्द्रीय सहकारी भंडार	1,79,00,000 रुपये	1,28,46,674 रुपये

(ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

इम्फाल-दीमापुर रोड पर रक्षा सेनाओं और विद्रोही नागाओं में झड़पप

3419. श्री रोबिन ककोटी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 फरवरी, 1973 को इम्फाल-दीमापुर रोड पर रक्षा सेनाओं और विद्रोही नागाओं में हुई झड़प में सेना के पांच कर्मचारी मारे गये थे और अनेक घायल हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 3 फरवरी, 1973 को लगभग 10.30 बजे इम्फाल-कोहिमा सड़क पर इम्फाल के उत्तर/उत्तर पूर्व 37 मील क्षेत्र में विद्रोही नागाओं द्वारा सुरक्षा सेनाओं के एक रक्षदल पर घात लगाकर आक्रमण किया गया। पांच सेना कार्मिक मारे गए और चार जख्मी हुए।

(ख) सुरक्षा सेनाओं द्वारा आस-पास के क्षेत्र की तत्काल खोज की गई । तथापि, विद्रोही जंगल में भागने में सफल हो गए । विद्रोही नागाओं द्वारा घात लगाने से रक्षदल को बचाने के लिए सभी संभव सतर्कता बर्ती जाती है ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा समुद्री टरबाइन का निर्माण

3420. श्री राजदेव सिंह: क्या **भारी उद्योग** मंत्री 1 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1433 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार समुद्री टरबाईन बनाने वाले सेक्शन में विस्तार करने का विचार है जिससे इसका वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन किया जा सके ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी हां ।

सेना की कमान के ढांचे में परिवर्तन

3421. श्री पी० के० देव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल एस०एच०एफ०जे० मानकशा की फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नति कर दी गयी है; और

(ख) क्या सेना की कमान के ढांचे में कोई अनुवर्ती परिवर्तन करने का विचार है, और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :(क) जी हां, श्रीमन् ; पहली जनवरी 1973 से।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

हल्की मशीनगनों में प्रयोग के लिए तेल की सप्लाई

3422. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या **रक्षा** मंत्री 7 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 343 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनरल आयल के सप्लायर्स को तेल परिशोधन की लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है जब कि तेल को पूर्व-स्वीकृति परीक्षण करने के दौरान विशिष्ठ विवरण के अनुरूप पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या परिशोधन करने के पश्चात् भी तेल जिस प्रयोजन के लिए खरीदा गया था, उसके लिए उपयुक्त नहीं पाया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग) संविदा के संबंध में विशिष्टियां भौतिक तथा रासायनिक गुणों तथा अन्य कार्य परीक्षण के संबंध में थीं ; तथा तेल के संयोजन के लिए उसमें केवल मार्गदर्शन था । यद्यपि इन विशिष्टियों के अनुसार तेल को स्वीकार करने योग्य पाया गया था, तेल को भंडार में रखने पर तेल में कुछ मिलावट के कारण उसमें जैल बनने लगा था । चूंकि जैल पैदा करने वाली मिलावट उसमें थी जिसकी जिम्मेदारी स्पष्टतया पूर्ति कर्ता की है, अतः पूर्ति कर्ता को परिशोधन की लागत अदा करने का दायित्व सौंपा गया है ।

पाकिस्तानी युद्धबंदियों की वापिसी के लिए श्रीलंका का प्रस्ताव

3423. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने पाकिस्तानी युद्धबंदियों की वापिसी तथा भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य विवादग्रस्त मामलों को सुलझाने के लिए कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेशों मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय मिशनों में मितव्ययता

3424. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जनवरी, 1973 के टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली में इकोनामी 'इण्डियन स्टाईल' (भारतीय ढंग की मितव्ययता) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अखबारी रिपोर्ट में लिखी बातों के बारे में स्थिति विवरण में बता दी गई है जो सदन की मेज़ पर रख दी है।

विवरण

हाई कमीशन के सभी खंडों में भारतीय तथा स्थानीय संवर्गों के 615 पदों में से 165 पद (22 भारत-आस्थानी और 143 स्थानीय) विदेश सेवा निरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर मार्च, 1973 के अंत तक कम कर दिए जाएंगे और इस तरह पदों की संख्या कम होकर 450 हो जाएगी। यह कमी भारतीय तथा स्थानीय संवर्गों, दोनों के वरिष्ठ और अवर पदों में होगी और इससे व्यय में तथा विदेशी मुद्रा में प्रतिवर्ष 64 लाख रुपए की आवर्ती बचत होगी।

2. उप-हाई कमिश्नर का पहला मकान लंदन के मुख्य भाग से काफी फासले पर था। यातायात की बिगड़ती दशा के कारण कार्यालय पहुंचने में सड़कों पर बहुत समय खर्च हो जाता था और इस तरह उनके सरकारी और प्रतिनिधिक कर्तव्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता था। इसलिए उनके लिए पट्टे पर एक नया मकान लेना पड़ा।

3. स्थानीय अमले के जो कर्मचारी फालतू पड़ गए थे, उन्हें सम्यक नोटिस दे दिया गया और उन्हें नियुक्ति की शर्तों के अनुरूप सेवान्तक लाभ दे दिए गए।

4. लंदन-स्थित भारतीय हाई कमीशन तथा विदेश-स्थित अन्य मिशनों में नियुक्ति पर सम्यक रूप से गठित बोर्डों द्वारा निर्णय लिया जाता है; विदेश स्थित विभिन्न मिशनों के लिए अफसरों का चुनाव करने में शैक्षिक योग्यता, पिछले अनुभव और पद के कार्य का ख्याल रखा जाता है।

5. रोम में राजदूत का पद 31 अक्तूबर, 1971 से खाली था। श्री अप्पा बी० पंत ने एक वर्ष के अन्तराल के बाद सार्वजनिक हित में 6 नवम्बर, 1972 को रोम में अपने पद का कार्यभार सम्भाला। सरकार लंदन में नया हाई कमिश्नर नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

कूटनीति के अध्ययन के लिये पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव

3425. **श्री राज देव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सभी देशों में भारत के योग्यतम व्यक्तियों को राजनयिकों के रूप में नियुक्त करने के लिए सरकार का विचार कूटनीति के अध्ययन के लिये एक पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) विदेशों में राजनयिक सेवाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारतीय विदेश सेवा में आने वाले परिवीक्षाधीन अधिकारियों को एक विस्तृत एवं विशद प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होता है जो उन्हें राजनयिक कार्य करने के लिए तैयार करने हेतु वर्षों से बहुत सावधानी से तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम तीन वर्ष का है जिसमें वे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी, दि स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज़, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दि इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारन ट्रेड, दि इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कोम्युनिकेशन में अध्ययन और जिला प्रशिक्षण एवं भारत दर्शन यात्रा करते हैं इसके अलावा वे सेना और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में मेज के काम का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके बाद परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से एक विदेशी भाषा सीखनी पड़ती है।

परिवीक्षाधीन अधिकारियों को चार महीने के लिए विभिन्न राज्यों में जिला प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाता है ताकि वे भारत के ग्राम्य जीवन के संपर्क में आ सकें और उन्हें राज्यों के प्रशासन के अध्ययन का भी अवसर मिल सके। उन्हें विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल और महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों को भी देखने का मौका दिया जाता है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए विभिन्न सेवा काल के दौरान और पुनस्चर्या कार्यक्रम भी होते हैं जिनमें अनेक वरिष्ठ सदस्य आते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां, सम्मेलन होते हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कालेज और भारत दर्शन यात्रा की जाती है जिसमें राजदूत एवं मुख्यालय को लौट कर आए भारतीय विदेश सेवा के सभी सदस्य होते हैं। सेवा काल के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम से सभी अधिकारी भारत की औद्योगिक, कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में हुई प्रगति से अवगत रहते हैं, और उन्हें प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी रहती है। अतएव, सरकार इस कार्यक्रम को पर्याप्त मानती है और वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा अन्य कोई राजनीति संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है।

बेरोजगारी बीमा योजना के बारे में प्रस्ताव

3427. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी बीमा योजना के बारे में सरकार कोई योजना बना रही है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ भविष्य निधि अंशदान की दर को वेतन के 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की सिफारिश की है और सुझाव दिया कि अतिरिक्त अंशदान का उपयोग, सीमान्तरीय समेजन के साथ बेरोजगारी बीमा सहित नये लाभों के लिए पूंजी लगाने हेतु किया जाए। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश पर निर्णय लेने के बाद बेरोज़गारी बीमा योजना को पेश करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

नेपाल की आर्थिक सहायता

3428. **श्री झारखंडे राय :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नेपाल को आगामी वर्षों में और अधिक आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ख) नेपाल को आगामी तीन वर्षों में कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस सहयाता का उपयोग किन परियोजनाओं के लिए किया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत ने आने वाले वर्षों में नेपाल को भरपूर आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।

(ख) लगभग 28 करोड़ रुपए।

(ग) जिन प्रायोजनाओं के लिए सहायता का उपयोग किया जाना है, उसकी सूची साथ लगी है।

विवरण

1. सिंचाई एवं बिजली प्रदाय

(1) छतरा नहर प्रायोजना

(2) फैवाटल बांध की मरम्मत —पोखरा

(3) काठमांडू जल प्रदाय योजना

2. स्वास्थ्य एवं समाज सेवा

(1) आयोडीकृत लवण का वितरण
(2) काठमांडू में प्रसूति गृह के अस्पताल भवन का विस्तार
(3) स्वास्थय केन्द्रों का निर्माण
(4) पोखरा के खेल स्टेडियम का निर्माण
(5) परोपकार धर्मार्थ संगठन को सहायता

3. उद्योग

(1) नेपालगंज और धरान में औद्योगिक एस्टेट
(2) पाठन औद्योगिक एस्टेट के विस्तार का चौथा चरण
(3) ग्राम, कुटीर और लघु उद्योग योजना

4. सड़कें और पुल

(1) पूर्व और पश्चिम राजमार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)
(2) कोशी क्षेत्र सड़कें
(3) काठमांडू—त्रिशूली सड़क पर तारकोल डालना
(4) काठमांडू-गोदावरी सड़क
(5) कमला और सिरस्वा प्रायोजनाओं का निर्माण
(6) पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (पूर्वी क्षेत्र) और सुनाली-पोखरा सड़क का रख-रखाव।

5. बिजली

(1) त्रिशूली पन-बिजली प्रायोजना—नाद-हीन क्षेत्र

6. दूर संचार

(1) बिराटनगर, जनकपुर और जाया में टेलीफोन एक्सचेंज

7. उद्यान

(1) मिली-जुली उद्यान योजना

8. पशु-चिकित्सा

(1) पशु-चिकित्सा योजनाओं कीउन्नति

नेपाल में शिक्षकों के रूप में सेवा करने वाले भारतीय राष्ट्रिक

3429. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने भारतीय राष्ट्रिक शिक्षकों के रूप में नेपाल में सेवा कर रहे हैं;

(ख) क्या नेपाल में क्रियान्वित की गई नई शिक्षा नीति के अंतर्गत समान योग्यताओं वाले नेपाली भाइयों की तुलना में भारतीय राष्ट्रिक स्नातकों के पद और वेतनमान के स्तर में कमी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) नेपाल के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में शिक्षकों के रूप में काम करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की अनुमानित संख्या कुछ हजार होगी।

(ख) भारत सरकार को ऐसे किसी भारतीय राष्ट्रिक स्नातक के बारे में जानकारी नहीं है जिसका पद और वेतनमान उसके नेपाली साथियों के मुकाबले में गिरा दिया गया हो। लेकिन ऐसी खबरें मिली है कि भारतीय शिक्षकों को ऐसी जगहों में केवल छह महीने के लिए सेवाकाल में अस्थायी वृद्धि दी गई है जहां नेपाल के महामहिम की सरकार द्वारा नई शिक्षा योजना आरम्भ की गई है।

(ग) भारत सरकार ने इस मामले को नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ उठाया है।

तीनों रक्षा सेवाओं में विभिन्न खेल कूदों के लिए प्रशिक्षण शिविर

3430. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीनों रक्षा सेवाओं में विभिन्न खेल कूदों के लिए प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था पर खर्च की गई राशि तथा उससे प्राप्त लाभ का व्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : सेना खेल नियंत्रण बोर्ड तीनों सेवाओं से संबंधित चुने हुए सनिक कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कैंपों का प्रबंध करता है। 1972-73 के दौरान गैर-सरकारी निधियों से लिया गया 26,210 रु० के लगभग का व्यय इन प्रशिक्षण कैंपों पर किया गया है। इनमें सम्मिलित विषय तथा उसके परिणाम इस प्रकार है : –

खेल	**प्राप्त किया गया परिणाम**
एथलीटिक	ओवर आल नेशनल चेम्पियनशिप ट्राफी जीती
जलक्रीडा	
(i) तैराकी	,,
(ii) गोता खोरी	,,
(iii) वाटर पोलो	नेशनल चैम्पियनशिप जीती
बास्केट बाल	नेशनल चैम्पियनशिप जीती
फुटबाल	प्रारम्भिक दौर में हार गए
वाली बाल	नेशनल में रनर-अप
कुश्ती	सभी तीनों पद्धतियों (ग्रियो रोमन, फ्री तथा ओरियंटल) में नेशनल चैम्पियनशिप जीती
भारोत्तोलन	नेशनल चैम्पियनशिप में रनर-अप
उत्तम शारीरिक प्रतियोगिता	सेनाओं के प्रतियोगी कैप्टन वी०पी० धांद ने भारत श्री जीती।
साइक्लिग	नेशनल चैम्पियनशिप नहीं की गई।

"मधुमती" मालवाहक पोत को बंगला देश को सौंपा जाना

3431. **श्री राम भगत पस्वान :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि पाकिस्तान के पकड़े गए मालवाहक पोत "मधुमती" को बंगलादेश को सौंप दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का औचित्य क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) "मधुमती" का बंगलादेश के प्रति सद्भावना और सहयोग प्रदर्शन के रूप में स्थानांतरण किया जा रहा है।

अमरीका की बैचल कारपोरेशन को कुन्द्रामुख और बैलाडिला परियोजनाओं के लिये सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया जाना

3432. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की बैचल कारपोरेशन की कुन्द्रामुख और बैलाडिला लोह अयस्क परियोजनाओं के लिये इंजीनियरी सलाहकार के रूप में पुनः देश में बुलाया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो बैचल कारपोरेशन को आमंत्रित करने के क्या कारण हैं जबकि उसे भारतीय तेल निगम के निदेशक मंडल ने 1969 में काली सूची में सम्मिलित किया था तथा जिसको सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति ने 66वें प्रतिवेदन में गोहाटी, सिलिगुरी और हल्दिया-बरौनी-कानपुर तेल पाइप लाइनों के निर्माण में कपटपूर्ण कार्य करने के लिये कटु भर्त्सना की गई थी?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एल्यमीनियम उद्योग के उत्पादन में गिरावट

3433. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 में उत्पादन में कमी करने के कारण एल्यूमीनियम उद्योग के कुल उत्पादन में गिरावट आई है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

देश में बनाई जाने वाली मोटर गाड़ियों की किस्म

3434. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : श्री एम० वी० कृष्णाप्पा**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बनाई जाने वाली मोटर गाड़ियां सड़क पर चलने योग्य और किस्म के बारे में किसी निर्धारित मानक के अनुसार नहीं होती;

(ख) क्या सरकार ने देश में बनाई जाने वाली मोटरगाड़ियों की किस्म का स्तर गिर जाने के बारे में प्राप्त शिकायतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कोई मानक निर्धारित करने पर विचार किया है; और

(ग) क्या हमारे देश में बनाई गई मोटर गाड़ियों के स्तर की अन्य देशों में निर्धारित स्तर के साथ तुलना करने का कोई प्रयत्न किया गया है और यदि हां, तो जांच के क्या पारिणाम निकले हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में बनाई जाने वाली मोटर गाड़ियां सड़क पर चलने योग्य कार किस्म के बारे में स्वीकृत मानक के अनुसार होती हैं।

(ख) कुछ अन्तर्वस्तुओं और हिस्सा पुर्जों के मानक भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इस संस्था से शेष अन्तर्वस्तुओं और हिस्से पुर्जों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए कहा गया है। इस बीच निर्माता अपने सहयोग कर्ताओं के मानकों का अनुसरण कर रहे हैं।

(ग) भारतीय निर्माताओं का दावा है कि जिन मोटरगाड़ियों को वे बनाते हैं, उनके सहयोगकर्ता के देश में निर्धारित मानकों के अनुसार हैं। जाँच पड़ताल से पता चला है कि व्यवहार्यरूप में इन मानकों का वास्तव में पालन नहीं किया जाता है और इससे मोटरगाड़ियों की किस्म का स्तर गिर गया है।

एस्ट्रैला लिमिटेड द्वारा श्रम अधिनियम का उल्लंघन

3435. **श्री मानसिंह भौरा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी औद्योगिक उपक्रम के लिये एक वर्ष में सामान्यता कितने कार्य दिवस निश्चित हैं;

(ख) एस्ट्रैला बैटरीज लिमिटेड ने वर्ष 1971 और 1972 में कितने दिन कार्य किया, और

(ग) क्या एस्ट्रैला बैटरीज ने 1971 में निर्धारित सीमा से अधिक काम करके श्रम अधिनियम का किसी प्रकार उल्लंघन किया था?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) से (ग) : प्रथा के अनुसार किसी उपक्रम के लिए सामान्य कार्य-दिन वर्ष में 300 होते हैं परन्तु इस सीमा को पार करने के बारे में संबंधित एकक पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैसर्स एस्ट्रैला बैटरीज़ ने सूचित किया है कि 1971 और 1972 के वर्षों के दौरान कारखाने ने क्रमशः 316 और 309 दिन कार्य किया।

"टिन पोटस" (पीपे) जैसी दिखने वाली भारत की कारें

3436. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1973 के 'पेट्रियट' में टिन पोट्स (पीपे) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत की बनी कारों को यह नाम दिया गया है और कहा गया है कि इन्हें चलाने लायक बनाने में मालिक के 2,000 रुपये व्यय होंगे, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को यह मालूम है कि देश में बनाई जा रही कारों के गुण प्रकार में जितनी अपेक्षा की जाती है उसमें काफी गुंजाइश है। उनके गुण प्रकार को सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं।

Linking of Bonus with Production

3437. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether he is of the view that Bonus should be linked with production; and

(b) if so, the time by which this scheme is proposed to be implemented by Government ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) (a) and (b) : The operation of the Payment of Bonus Act, 1965 is being reviewed by the Bonus Review Committee and one of the terms of reference of the Committee is "whether the entire bonus payment should be related in some way to production/productivity in the undertaking". The Committee's report is awaited.

आणविक अस्त्रों में आत्म-निर्भरता

3438. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आणविक अस्त्र विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि हम इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनें; और

(ग) चालू वर्ष में आणविक अस्त्रों के आयात पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : आणविक अस्त्रों के निर्माण संबंधी सरकार की नीति कई अवसरों पर संसद में स्पष्ट की गई है। यह आणविक शक्ति को केवल शान्ति प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की है। इस बारे में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) सरकार ने आणविक अस्त्रों के आयात के बारे में कभी भी नहीं सोचा है।

केरल के मालाबार क्षेत्र में चीनी मिट्टी के निक्षेप

3439. श्री सी०के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 7 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3398 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : राज्य खनन एवं भूविज्ञान विभाग विगत पांच वर्षों से मुख्यतः केरल में मिट्टी निक्षेपों का अन्वेषण करने में कार्यरत् है। इस अन्वेषण के परिणामस्वरूप, समग्रतः राज्य में मिट्टी निक्षेपों की उपलभ्य राशियों के लगभग 840.3 लाख टन अनुमानित किए गए हैं और इन निक्षेपों का अधिकांश भाग त्रिरुवनंतपुरम, क्वीलोन, ऐरनाकुलम और कन्नानौर जिलों में है। इसमें चीनी मिट्टी के 724 लाख टन, अग्नि-सह-मृत्तिका के 99.5 लाख टन और गोला मिट्टी के 16.7 लाख टन अंतर्विष्ट हैं। अभी तक अन्वेषण संपूरित नहीं हुआ है।

केरल राज्य ने हाल ही के वर्षों के दौरान राज्य में चीनी मिट्टी, अग्नि-सह-मृत्तिका और गोला मिट्टी के समुपयोजनार्थ अनेक खनन पट्टे स्वीकृत किए हैं। खनन पट्टों के लिए बहुत से आवेदन-पत्र भी इस समय राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। राज्य में पहले ही पता लगाई गई वृहद् उपलब्ध राशियों के सफल समुपयोजन के लिए बहुत अधिक कालावधि की अपेक्षा होगी।

'डीजल पावर सेट्स' का उत्पादन

3440. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के औद्योगिक एककों को डीजल सेटों के अभाव में वर्तमान विद्युत संकट के समय अपनी विद्युत् की आवश्यकता पूरी करने में असुविधा हो रही है; और

(ख) देश में 'डीजल पावर सेट्स' का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : विद्युत की कमी के संदर्भ में कतिपय औद्योगिक एककों ने अपनी अत्यावश्यक विद्युत शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार से डीज़ल जेनरेटिंग सेटों का आयात संभरण करने को कहा है। निर्धारित किये गये इतने कम समय में संभरण करने के लिये देश में जितने भी डीज़ल जेनरेटिंग सेट मिल सकते हैं उन्हें यहीं से प्राप्त करके उनकी सहायता करने के लिये कार्रवाई की जा रही है। सामान्यतः अधिक क्षमता वाले डीज़ल जेनरेटिंग सेटों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जिनका संभरण अपेक्षित समय के अन्तर देशी साधनों से करना व्यवहार्य नहीं है, सरकार का विचार तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्टेन्ड बाई डीज़ल जेनरेटिंग सेटों का आयात करके पूरा करने का है बशर्ते कि इन्हें निर्धारित समय के अन्दर ही दे दिया जाये। देश के निर्माताओं को भी विशेष सुविधाएं, जिनमें कच्चे माल तथा पुर्जों के रूप में बड़े परिणाम में आयात सम्मिलित है दी जा रही है तथा देश में ही डीजल जेनरेटिंग सेटों का उत्पादन बढ़ाने के लिये भी कदम उठाए जा रहे हैं।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन

3441. **श्री डी०डी० देसाई :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में बनाये जाने वाले प्रजनन और पारेषण उपकरणों की कार्यक्षमता का तुलनात्मक अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वरी प्रसाद) (क) और (ख) : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड भोपाल दोनों ही संयंत्रों में बनने वाली प्रजनन और पारेषण की समन वस्तुएं केवल ये हैं :—

(i) स्टीम टरबोसेट तथा टरबों आलटरनेटरस्

(ii) हाइड्रो टरबाइन्स और हाइड्रों जेनरेटरस्

जबकि हैवी इलैक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, भोपाल में निर्मित उपकरण चालू कर दिये गये हैं; परन्तु भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में बने उपकरणों को अभी लगाया जाना है और वे चालू किये जाने हैं। निर्मित उपकरणों की कार्यक्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब दोनों संयंत्रों में वे उपकरण चालू कर दिये जायेंगे।

बिजली के सामान का उत्पादन

3442. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय के बाद बिजली के भारी सामान का आयात बन्द कर देने का निर्णय किया है;

(ख) देश में बिजली के भारी सामान की उत्पादन क्षमता कितनी है और इस समय उनकी अनुमानित मांग कितनी है; और

(ग) इस सामान के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या योजना बनाई गई है और इन वस्तुओं के उत्पादन में हम किस वर्ष तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) समझा जाता है कि भारी वैद्युत सामान का आशय बिजली पैदा करने के लिए भारी वैद्युत उपकरणों से है। सरकार ने बिजली पैदा करने के उपकरणों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० भोपाल और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० नामक दो प्रमुख उद्यम स्थापित किए हैं। इस प्रकार के उपकरणों का निर्माण करने के लिए इन संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता नीचे दी गई है:

पूर्ण विकास हो जाने पर संयंत्रों की वार्षिक क्षमता

संयंत्र	तापीय संयंत्र	जल संयंत्र
हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० भोपाल	3×120 मे० वा० 1×30 मे० वा० 1×235 मे० वा०	लगभग 450 मे० वा० की कुल क्षमता वाले 6 सैट
भारत हैवी इले० लि० हैदराबाद	7×110 मे० वा०	—
भारत हैवी इले० लि० हरिद्वारा	7×200 मे० वा०	लगभग 600/1000 मे० वा० की कुल क्षमता वाले 10 सैट

योजना आयोग पांचवीं योजनावधि के अन्त तक 350-360 लाख कि० वा० के लक्ष्य पर विचार कर रहा है । इसका मतलब यह होगा कि अगले 5 वर्षों में विद्युत् पैदा करने के उपकरणों की औसत वार्षिक मांग 30से 35 लाख कि० वा० तक की हो जाएगी।

संबंधित संयंत्रों में निर्मित क्षमता के अनुरूप हैदराबाद स्थित संयंत्र के 1974-75 के अन्त तक उत्पादन के इष्टतम स्तर पर पहुंचने की आशा है और भोपाल संयंत्र का अधिकांश उत्पादन इसी अवधि में इष्टतम उत्पादन स्तर पर पहुंच जाएगा केवल भाप टर्बाईनों और सम्बद्ध विद्युत् जनित्रों को इष्टतम उत्पादन स्तर 1975-76 तक प्राप्त होगा। सम्पूर्ण रूप से हरिद्वार संयंत्र 1975-76 में उत्पादन के इष्टतम स्तर पर पहुंच जाएगा। जनित्र सेटों के आयात पर सरकार ने रोक लगा रखी है लेकिन विगत समय में कुछ अपवाद भी हुए हैं जबकि तात्कालिक आवश्यकता या अन्य विवशतापूर्ण बातों के कारण ऐसे उपकरणों का आयात करने की अनुमति दी गई है लेकिन वर्ष 1975-76 के पश्चात् देशी एककों में वैद्युत उपकरणों की सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन इष्टतम स्तर पर होने लगेगा तब विद्युत क्षेत्र की प्रत्याशित आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी की जाएगी। विद्युत उपकरणों की मांग लगातार बढ़ती जाएगी। और निर्माण करने वाले देशी संयंत्र में निरन्तर वृद्धि करने के उपाय करेंगे।

महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव

3444. **श्री पी० के० देव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में महिलाओं को अर्ध सेना अथवा नियमित सेना में सैनिक प्रशिक्षण देने संबंधी कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान कापर में हानि और उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही

3445. **श्री के० मालन्ना :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में 120 करोड़ रुपये की लागत से बने हिन्दुस्तान कापर में प्रतिवर्ष भारी हानि होती है उसकी योजना तथा खान के डिजायन दोषपूर्ण हैं तथा कर्मचारी और श्रमिकों की समस्याएं हैं और श्रमिकों द्वारा हड़ताल की जाती है;

(ख) आरम्भ में कितनी पूंजी लगाई गई थी और धीरे धीरे पूंजी बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) आरम्भ में खान अयस्क के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था और वर्ष 1973 के लिये पुनरीक्षण लक्ष्य क्या था और लक्ष्य पूरे न किये जाने के कारण धन की कितनी हानि हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) संदर्भ, हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के खेतड़ी ताम्र परियोजना की ओर प्रतीत होता है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 115 करोड़ रुपए है। परियोजना सन्निर्माणाधीन है और कोई वित्तीय हानि नहीं हो रही है। परियोजना के सन्निर्माण में, जो प्रारम्भिक अवस्था में धीमा था, पिछले तीन वर्षों में पर्याप्त सुधार हुआ है । योजना और खान डिजायन इत्यादि की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल किया गया है। जुलाई-अगस्त, 1972 के दौरान परियोजना में हड़ताल हुई थी। तथापि, कार्मिक और औद्योगिक सम्बन्धों में अब पर्याप्त सुधार हो गया है।

(ख) सम्भवतः, संदर्भ पूंजी लागत अनुमानों से है। परियोजना के लिए विस्तृत लागत अनुमान 1968 में तैयार किए गए थे। इन अनुमानों के अनुसार, परियोजना की लागत लगभग 93 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। परियोजना की लागत हाल ही में पुनः निर्धारित की गई है और अब परियोजना की लागत लगभग 115 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। लागत अनुमानों में वर्धित—पुनरीक्षण मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से है :—

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समय सारणी के अनुसार खान उत्पादन को नियत दरों पर अभिप्राप्त किया जा सके, पूर्ववर्ती खनन प्रायोजना को पुनरीक्षित करना आवश्यक हो गया।

(2) संयंत्रों के मामले में, विशेषकर प्रद्रावक और शोधनशाला के मामले में, पूर्ववर्ती अनुमान प्रारम्भिक प्रक्रिया डिजायनों पर आधारित थे। विस्तृत डिजायनिंग के सम्पूर्ण से, प्रक्रिया की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त उपस्कर उपबंधित करने पड़े जो कि पूर्ववर्ती अनुमानों में सम्मिलित नहीं थे।

(3) उपस्कर, सामग्री और सेवाओं की कीमत में पिछले चार वर्षों के दौरान साधारण वृद्धि के कारण भी लागत वृद्धि हुई।

(4) परियोजना के सम्पूरण में लगभग दो वर्षों के विलम्ब की परिणति पर्यवेक्षण इत्यादि में अतिरिक्त व्यय में हुई।

(ग) 1973-74 में अयस्क खनन का पूर्ववर्ती लक्ष्य 91,8000 टन था। यह इस अनुमान पर आधारित था कि खान विकास की दर को प्रतिमाह 60 मीटर प्रति मुख तक वर्धित करना सम्भव होगा परन्तु तकनीकी कारणों के कारण, नियत दर पर प्रगति अभिप्राप्त नहीं की गई है और वर्तमान प्रगति प्रतिमाह लगभग 30 मीटर प्रति मुख है जो इस प्रकार के खनन का राष्ट्रीय औसत है। इसलिए 1973-74 के उत्पादन लक्ष्य को 6,00,000 टन तक कम किया गया है। जब यह संयंत्र चालू हो जाएगा, अयस्क के साथ जिसका स्टाक पहले ही एकत्रित किया गया है, इससे प्रतिदिन 1000 टन पर सान्द्रक के एकल चरण का चालू होना सम्भव होगा।

चूंकि वाणिज्यिक उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ है, अतः वित्तीय हानि का प्रश्न नहीं उठता है।

Threatened Strike by Workers of Sugar Mills in U.P.

3446. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the workers of sugar mills in Uttar Pradesh have threatened to go on a State-wise strike ; and

(b) their demands and the steps proposed to be taken by the Central Government to avert this strike ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) The appropriate Government under the Industrial Disputes Act in relation to the sugar industry is the State Government. The matter has therefore, been brought to the notice of the Government of Uttar Pradesh for appropriate action. They are seized of the matter.

Non-Deposit of P.F. by the Employees of "Hitawada"

3447. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the amount of the Provident Fund of the employees of "Hitawada" a daily English newspaper published from Bhopal (Madhya Pradesh) has not been deposited for the last so many years;

(b) whether this amount is being deducted every month from the salary of the empolyees; and

(c) if so, the action being taken in this regard to get the amount of the Provident Fund of the employees deposited and the amount to be desposited in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) Yes. The establishment has not deposited the provident fund accummulation from August, 1971 and onwards.

(b) Yes.

(c) Revenue recovery certificates have been sent to the Collector to recover the outstanding dues as arrears of Land Revenue and the Director of Publicity of the State Government of Madhya Pradesh has also been approached to remit to the Fund the amount payable to the establishments on account of advertising charges. Outstanding dues of provident fund (both shares) in respect of the employees to be deposited for the period from August, 1971 to December, 1972 work out to Rs. 36,695/- (approximate). Besides, the establishment has also to pay a sum of Rs. 13,501.50 towards past accumulations as balance prior to August, 1971. A sum of Rs.15,000/- is expected to be credited to the fund towards the arrears of the establishment by the Director of Publicity of Madhya Pradesh.

मित्र देशों को शस्त्रों की सप्लाई

3448. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि भारत-निर्मित शस्त्रास्त्र और गोला बारूद सरकारी स्तर पर केवल मित्र देशों को ही बेचे जाएंगे;

(ख) क्या मित्र देशों को फालतू गोला-बारूद मुफ्त सप्लाई करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) मित्र देशों को कितनी मात्रा में फालतू शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद सप्लाई किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हमारे आयुध कारखानों में उत्पादन क्षमता अनिवार्यतः हमारी सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए है। तथापि, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेने के पश्चात् हमारी आवश्यकताओं से फालतू, मदों की बिक्री मित्र देशों को करने के लिए समय-समय पर विचार किया जाता है ;

(ख) जी नहीं श्रीमन्; और

(ग) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण

3449. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने हाल में किसी नए अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो चीन ने जिस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है वह किस दूरी तक मार कर सकता है ;

(ग) इस शस्त्र से चीन की नाभिकीय तथा आणविक शक्ति में कितनी वृद्धि हुई है, और

(घ) भविष्य में चीन के साथ होने वाले किसी संघर्ष में भारत कैसे अपना बचाव करेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ;

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार का विश्वास है कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा समुचित सैनिक तैयारी, जो अभि-सामयिक हथियारों पर आधारित हो, के द्वारा सब से अच्छी प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है। उनकी राय में नाभिकीय शास्त्रास्त्रों का रखना ऐसी सैनिक तैयारी का कोई प्रतिस्थापन नहीं है।

विद्युत संकट के कारण कारखानों के बंद कर दिये जाने के परिणामस्वरूप श्रमिकों की जबरन छुट्टी

3450. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारी विद्युत संकट के कारण कारखानों को बरबस बंद कर दिये जाने के परिणाम-स्वरूप देश में राज्यवार कितने श्रमिकों की जबरन छुट्टी कर दी गयी; और

(ख) श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है क्योंकि उनकी जबरन छुट्टी की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

देश में नौसैनिक कमान

3451. **श्री पी० वी० नायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने नौसैनिक कमान हैं;

(ख) इस समय कितने नौसैनिक जहाज निर्माण कारखाने काम कर रहे हैं; और

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान कितने-भार की नौसैनिक क्षमता होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) दो।

(ख) नौसेना का अपना पोत-कारखाना नहीं है। तथापि, जहाजों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए दो डाकयार्ड है।

(ग) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

श्रीलंका द्राविड़ मुनेत्र कज़गम द्वारा 'भारतीय नागरिकता रजिस्टर' को खोलने का अनुरोध

3453. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के सचिव ने सरकार से हाल ही में, 'भारतीय नागरिकता रजिस्टर' को पुनः खोलने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) श्रीलंका द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के अध्यक्ष ने विदेश सचिव तथा हाई कमिश्नर के नाम 12 फरवरी, 1973 को पत्र भेजे जिनमें उन्होंने श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता और भविष्य से सम्बन्धित 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन-पत्रों की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है। सरकार ने इस तारीख को बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा है।

पांचवी योजना के दौरान कोयला उत्पादन बढ़ाने की योजना

3455. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पांचवीं योजना के अंत तक कोयला उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) पंचम योजना के लिए कोयला और लिग्नाइट के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने के लिए योजना आयोग द्वारा कोयला और लिग्नाइट के बारे में स्थापित कार्यदल ने यह अनुमानित किया है कि 1978-79 तक कोयले की मांग लगभग 1430 लाख टन होगी जिसकी पूर्ति के लिए उसने निम्नलिखित कार्यक्रम परिकल्पित किया है :—

	1971-72 में उत्पादन	1978-79 में अनुमानित उत्पादन
	(लाख टनों में)	
1. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	144.00	450.00
2. भारत कोकिंग कोल	130.00	210.00
3. सिंगरैनी कोलियरीज लिमिटेड	47.00	700.00
4. अन्य कोयला खानें	395.00	670.00
	716.00	1430.00

कार्यदल ने समन्वेषण के लिए कार्यक्रम, परिवहन और उत्पादन के विस्तारण को सम्मिलित कर, अव-संरचना के उपबंध की भी सिफारिश की है। पंचम योजना कार्यक्रम में, जिसे अभी अंतिम रूप देना है, प्रगति उपदर्शित करना समय पूर्व की बात है।

राष्ट्रीय मजूरी नीति

3456. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री मूल चन्द डागा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मजूरी नीति बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) मजूरी नीति संबंधी एक समिति ने इस विषय पर सिफारिशें की हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है।

Curfew imposed on Indo-Burma Border

3457. Shri Shiv Kumar Shashtri :

Shri C. K. Chandrappan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether curfew has been imposed on 16 kilometre long Indo-Burma border for an indefinite period ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) It has been done as a Security measure.

महरचन्द एंड कम्पनी, झरिया पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का लागू किया जाना

3458. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद जिले में झरिया स्थित मैसर्स मेहरचन्द शर्मा एंड कम्पनी, सां मरचेंट पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 और उनके अन्तर्गत बनाई गई योजना को लागू कर दिया गया है और यह संस्थान भुगतान और विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में काफी समय से दोषी है;

(ख) यदि हां तो उपरोक्त अधिनियम का पालन करवाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या उपरोक्त संस्थान के तीन भाग कर दिये गये हैं ताकि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और योजना को क्रियान्वित न करना पड़े; और

(घ) यदि हां, तो इस के सभी एककों पर उपरोक्त अधिनियम लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) जी हां ;

(ख) भविष्य निधि की देय राशियों को निर्धारित करने और उनकी वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही आरम्भ की जा रही है। कई विभिन्न चूकों के लिए नियोजकों पर अभियोजन चलाने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) यह ज्ञात नहीं है कि उक्त प्रतिष्ठान को, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत निर्मित की गई योजना की कार्यान्विति से बचाने के लिए, तीन विभागों में विभाजित किया गया है। तथापि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को इस की जांच करने और मामले में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

खान श्रमिकों के श्रम कल्याण हेतु निधि का आबंटन

3459. **श्री पी० वेंकटसब्बया :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान श्रमिकों के कल्याण हेतु भारी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान कितना धन व्यय किया गया;

(ग) क्या कल्याण कार्यों पर आबंटित राशि की तुलना में वास्तव में बहुत कम राशि व्यय की गई है क्योंकि राशि की एक बहुत अधिक प्रतिशतता को योजनाओं के संस्थापन तथा प्रशासन पर व्यय किया जा रहा है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि 'रनिंग' व्यय को कम से कम किया जाये और ऐसे सभी व्यय को जिसे अन्य कार्यों पर करने से रोका जा सकता है वास्तविक कल्याण कार्यों पर लगाया जाये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) :

I. कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि

आय का मुख्य साधन कोयला खानों से भेजे जाने वाले सभी कोयले/कोक पर कल्याण उपकर है। जो उपकर पचास पैसे प्रति टन की दर से एकत्रित किया जा रहा था, उसे 17-1-1973 से बढ़ा कर 75 पैसे प्रति टन कर दिया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान निधि को हुई आय इस प्रकार है :—

1969-70	1970-71	1971-72
(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
449.04 रु०	420.08 रु०	431.23 रु०

II. अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि

उपकर की दर निर्यात पर मूल्य के अनुसार 2-1/2 प्रतिशत है। गत तीन वर्षों के दौरान निधि को हुई आय इस प्रकार है :—

1969-70	1970-71	1971-72
(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
39.86 रु०	31.47 रु०	21.97 रु०

III. लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि

उपकर की दर उत्पादन के प्रति टन पर पच्चीस पैसे है। गत तीन वर्षों के दौरान निधि को हुई आय इस प्रकार है :—

1969-70	1970-71	1971-72
(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
75.43 रु०	89.83 रु०	86.94 रु०

	1969-70 (लाखों में) रु०	1970-71 (लाखों में) रु०	1971-72 (लाखों में) रु०
(ख) कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि	483.81	543.48	393.28
अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि	52.50	43.72	63.09
लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि	43.18	61.88	68.74

(ग) जी, नहीं।

(घ) मामले की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है। प्रतिष्ठान और प्रशासन पर व्यय को न्यूनतम रखने के लिए समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान, पूना

3460. श्री पी० वेंकटासुब्बया :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री राष्ट्रीय श्रम संस्थान, पूना के बारे में 22 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 454 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में श्रम संबंधों के क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के सभी इंजीनियरों को इस संस्थान में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संस्थान के कार्यकरण के बारे में कोई योजना तैयार की है और इसे कब तक प्रकाशित कर दिया जाएगा; और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है। जैसे ही यह चालू होगा, यह कार्य-कलापों के बारे में अपना कार्य-क्रम बनायेंगा ।

'कर्वीट' किस्म के लड़ाकू जहाज बनाने का प्रस्ताव

3461. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'कर्वीट' किस्म के लड़ाकू जहाज बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन् ;

(ख) ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

कलकत्ता और बम्बई में दो सिनेमा हालों का स्वामित्व

3462. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और बम्बई स्थित दो सिनेमा हालों का स्वामित्व, जो अभी तक अमरीका के मेट्रो-गोल्डवीन-मेयर के प्रबंध और नियंत्रण के अधीन थे, हाल ही में दूसरे हाथों में चला गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें वहां के कर्मचारियों की इस आशंका के बारे में पता है कि स्वामित्व और नियंत्रण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और इस समय श्रम और रोजगार विभाग के पास इस विषय के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

3463. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात संयंत्र की जनवरी से दिसम्बर, 1972 तक महीने-वार अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन क्या है;

(ख) प्रत्येक संयंत्र में जनवरी से दिसम्बर, 1972 तक महीने-वार जितना उत्पादन हुआ है वह अधिष्ठापित क्षमता का कितना प्रतिशत है; और

(ग) इस अवधि के दौरान क्षमता के उपयोग में सुधार अथवा कमी होने या स्थिर रहने के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4524/73]

(ग) इस अवधि में भिलाई इस्पात कारखाने तथा टिस्को में उत्पादन काफी संतोषजनक रहा है तथा राउरकेला इस्पात कारखाने के उत्पादन में भी काफी सुधार हुआ है। परन्तु दुर्गापुर तथा इस्को में उत्पादन संतोषजनक नहीं रहा है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कम उत्पादन होने के मुख्य कारण मालिक मजदूर संबंध अच्छे न होना, दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की सप्लाई पर लगाये गये प्रतिबन्ध, उपकरणों में खराबी, तथा कोक ओवन गैस की सप्लाई में कमी हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इन कमियों को दूर करने के अनेक उपाय किये हैं। जिनमें औद्योगिक विवादों और शिकायतों को तेजी से निपटाने तथा अधिकाधिक उत्पादन करने में कामगरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक त्रिस्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति का गठन भी शामिल हैं। इस्कों के उत्पादन में फरवरी तथा जुलाई के बीच तेजी से गिरावट आई जिसका मुख्य कारण संयंत्र तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण की ओर सामान्यतः तथा निवारक और परिचालनात्मक रख रखाव की ओर विशेषतः पर्याप्त ध्यान न देना था। 14 जुलाई, 1972 को सरकार द्वारा इस्कों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के पश्चात से इसकी तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं जैसे—कोलतार और कोक की सप्लाई, कोक भट्टियों की आयात आधार पर मरम्मत, मेटिरियल हेंन्डलिंग उपकरणों की प्राप्ति तथा स्टील मेल्टिंग शाप में क्रेनों और अन्य उपस्करों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापना। फिर भी कारखाने की अपनी समस्याएं थीं, जैसे बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्ध, बिजली बन्द हो जाना, कोक भट्टियों में तथा स्टील मेल्टिंग शाप के उपकरणों आदि में खराबियां।

मजदूरी में वृद्धि की मांगें–दृढ़ रवैया अपनाने की सिफारिश

3464. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 जनवरी, 1973 के इकनामिक टाइम्स बम्बई में 'वेज राइज डिमांड्स––टफ लाईन फेवर्ड' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर एक व्यापक विवरण दिया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) मजदूरी की नीति उद्भूत करने के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है ।

Rehabilitation of Persons of Western Border Areas

3455. **Shri Nawal Kishore Sharma :**

Shri B.S. Bhaura :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons who had to leave their hearths and homes in the western border areas during the Indo-Pak war of 1971 ;

(b) the number of persons out of them rehabilitated so far ;

(c) the amount, in cash, spent by Government for their help ; and

(d) the time by which the remaining persons would be rehabilitated ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunatha Reddy) : According to the information received from the State Governments concerned, the position in regard to parts (a), (b) and (c) is as under :—

(a) About 8.36 lakhs.

(b) About 7.77 lakhs.

(c) About Rs. 2,287 lakhs.

(d) It is expected that the remaining persons would be rehabilitated within about 3 to 4 months in Punjab ; and by March 1974 in Jammu and Kashmir subject to availability of land.

इंसपैक्टोरेट आफ जनरल स्टोर्स (डिफेन्स) आनन्द पर्वत, दिल्ली के इंस्पेक्टर स्टाफ के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3466. **श्री हरी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्पैक्टोरेट आफ जनरल स्टोर्स (डिफेन्स), आनन्द पवर्त, दिल्ली के इंस्पैक्शन स्टाफ के अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्ट कार्यों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्, कुछ अफसरों तथा स्टाफ के सदस्यों के विरुद्ध ।

(ख) क्योंकि जांच पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई है अतः निष्कर्ष नहीं दिए जा सकते ।

Scheme to make Purchases of Indigenous Goods

3467. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to make purchases of indigenous goods to the maximum possible extent ;

(b) the nomenclature of the goods being purchased by Government from abroad at present; and

(c) whether substitute of these goods are not available in the country ?

The Minister of Supply (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) The Directorate General of Supplies & Disposals purchase indigenous stores to the maximum possible extent and resort to imports only in respect of those items which are not manufactured within the country or for which the manufacturing capacity is not adequate to meet the requirements on time after obtaining clearance from indigenous angle from the DGID or equivalent authorities. Constant efforts are being made to locate indigenous sources of supply for those items which were hitherto being imported as a measure of import substitution. Details of the nomenclature of the goods being imported at present are given in the enclosed statement.

Statement

1. Food Items

2. Chemicals & Chemical products
   (i) Fertilizers
   (ii) Others

3. Non-metallic, Mineral Products
   (i) Fuel, Oils & Lubricants
   (ii) Others

4. Basic Metal Industries
   (i) Iron & Steel
   (ii) Non-Ferrous Virgin Metals
   (iii) Others

5. Machinery (except electrical Machines)
   (i) Machine Tools
   (ii) Earth Moving Machinery & Spares
   (iii) Agricultural Machinery
   (iv) Others

6. Electrical Machinery appliances and Supplies
   (i) Electronic Equipment
   (ii) Cables & Wires
   (iii) Power Plant Equipment & Switchgear
   (iv) Others

7. Transport equipment (except Rly. Materials)
   (i) Automobiles
   (ii) Marine equipment
   (iii) Others

8. Railway materials

9. Scientific stores

10. Photographic stores

Employment of Biharis in Bokaro Steel Plant

3468. **Shri Bihbuti Mishra :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Biharis are not being provided jobs in Bokaro Steel Plant ; and

(b) if so, the action taken by Central Government to remove this ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) Bokaro Steel Limited is following the recruitment policy laid down by the Government of India for public sector projects. According to this plolicy, preference in the recruitment of unskilled workers, skilled workers, clerks and other non-technical staff, whose scales of pay are comparatively low, is given to the local people and particularly to those displaced from the areas acquired for the project and recruitment in respect thereof is made through local employment exchanges. As regards higher posts, the selection is made on an all-India basis.

उड़ीसा में लघु इस्पात संयंत्रों के लिये नींव डालना

3469. **श्री मधु दंडवते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर, मालंगलुली, संकिन्द्रा और सरगोपल्ली में 8 और 15 नवम्बर, 1972 के दौरान बहुत से लघु इस्पात संयंत्रों की नीव डाली गई थी ;

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा व्यवहार्यता योजना पर मंजूरी देने से पूर्व ये नींवे डाली गई;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने अपनी अनुमति दे दी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव के लिये सरकार ने किस आधार पर 500 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जायेगी ।

भिलाई इस्पात संयंत्र में 'मक डंप' स्क्रेप की बिक्री के बारे में 'प्रतिपक्ष' में प्रकाशित समाचार

3470. **श्री मधु दंडवते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 12 नवम्बर, 1972 के एक हिन्दी साप्ताहिक 'प्रतिपक्ष' में प्रकाशित एक समाचार पर ध्यान दिया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों ने 'मक डंप' स्क्रैप 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेच दिया ;

(ख) क्या इस 'मक डंप' स्क्रैप में 700 रुपये प्रति टन वाला केबल राड, पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्पंण आयरन बढ़िया किस्म का केबल राड मिला हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो वास्तव में कितनी मात्रा में 'मक डंप' स्क्रैप बेचा गया और इस 'मक डंप' की बिक्री से कितनी राशि वसूल हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ;

(ख) और (ग) :—संभवतः अभिप्राय लोहे/इस्पात स्क्रैप मिले खुले मुंह की भट्टी के धातु मल के ढेर की बिक्री के बारे में भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा मार्च, 1971 में दिए गए सेल आर्डर से है ।

मूल्य 50 रुपये प्रति टन था । पार्टी द्वारा प्राप्त 3 मीटर तथा इससे अधिक लम्बाई वाला इस्पात स्क्रैप कारखाने को वापिस किया जाना था और इसके लिए पार्टी को 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से भुगतान किया जाना था । लोहे तथा इस्पात के अंश अथवा कचरे की कुल मात्रा के बारे में ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में शिक्षुता करने वाले मारुति के कर्मचारी

3471. **श्री लालजी भाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कार परियोजना मारुति लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों ने हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में शिक्षुता की है अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड से पूछताछ कर ली गई है। उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि एच०ए०एल० के किसी भूतपूर्व कर्मचारी अथवा भूतपूर्व प्रशिक्षार्थी को मैसर्स मारुति लिमिटेड में ले लिया गया है । उन्होंने विशेषत: मारुति लिमिटेड के लिये किसी एप्रैन्टिस अथवा दूसरे किसी कार्मिक को प्रशिक्षण नहीं दिया है ।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में तदर्थ नियुक्तियां और पदोन्नतियां

3472. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** :

श्री जगन्नाथराव जोशी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में कितनी तदर्थ नियुक्तियां और पदोन्नतियां की गई; और

(ख) इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों और पदोन्नतियों को कम करने और कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को कम करने के लिए क्या कारगर उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

Public Undertakings Manufacturing Heavy Machine Tools

3473. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the locations of the major undertakings or factories in public and private sectors manufacturing heavy machines and heavy machine tools ; and

(b) the types of machines and machine tools manufactured in those factories?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) and (b) : Major undertakings of factories in public and private sector manufacturing heavy machines and heavy machine tools are located at Calcutta, Jamshedpur, Bombay, Madras, Bangalore, Poona, Hyderabad, Ahmedabad, Pimpri, Tiruchirapalli, Durgapur,,, Patiala, Hardwar, Hubli, Ranchi, Patna, Bhopal, Kundara, Mamla, Alwaye, Nahans Baroda, Coimbatore, Ludhiana etc. Motors, Transformers, Circuit Brakers, Generatorh Turbines, Textile processing machines, Textile Machinery, Jute Mill Machinery, Earte moving Machinery, Mobile Cranes, Excavators, Forklift Trucks, Road Rollers etc. ars manufactured in these units. The detailed information regarding the location and the type of machines and machine tool manufacture is available in the Hand Book of Indigenous Manufacturers of Engineering Stores published by the Directorate General of Technical Development, copies of which have been supplied to the Parliament Library.

Import of Steel from Japan

3474. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Japan supplied steel to Nepal at cheaper rates as compared to India; and

(b) if so, whether Government have obtained any information in this ragard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (b) Government have no information about the rates at which Japan supplied steel to Nepal.

पुनर्वास निदेशालय की गतिविधियों संबंधी प्रचार

3475. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास निदेशालय की गतिविधियों को उचित प्रचार दिया गया है जिससे भूतपूर्व सैनिक इसकी सेवाओं से लाभ उठा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रचार की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत पुनर्व्यवस्थापन निदेशालय के पास प्रचार कार्य के लिए इस समय एक संगठन है । भूतपूर्व सैनिकों की रुचि की नौकरी के अवसरों से संबंधित सूचना देते हुए एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है । इसे जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों के द्वारा वितरित किया जाता है। दूसरे भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को भी उन रेजिमेंटों को बताया जाता है जिनसे भूतपूर्व सैनिक संबंध बनाये हुए होते हैं । ऐसी सूचना सैनिक समाचार में भी दी जाती है । पुनर्व्यवस्थापन निदेशालय में प्रचार के लिए वर्तमान संगठन को अब सुदृढ़ किया जा रहा है ।

पीकिंग में एक स्वागत समारोह में बेगम भुट्टो के भाषण पर भारतीय प्रतिनिधि का बाहर चला जाना

3476. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**

श्री त्रिदिब चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बेगम भुट्टो के भाषण की ओर दिलाया गया जो उन्होंने 19 फरवरी, 1973 को पीकिंग में एक स्वागत समारोह में दिया था और जिसके परिणामस्वरूप भारतीय प्रतिनिधि बाहर निकल गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का सही सरकारी अनुमान क्या है और इस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ;

(ख) 19 फरवरी, 1973 को, पीकिंग में चीन के प्रधान मंत्री ने बेगम भुट्टो के सम्मान में जो रात्रि-भोज दिया था उसमें उन्होंने एक भाषण दिया था और भारत के विरुद्ध बिलकुल निराधार आरोप लगाते हुए भारत की तिव्र निन्दा की थी और इस प्रकार पीकिंग में हमारे कार्य-नायक को रात्रि-भोज से विरोध स्वरूप बहिर्गमन करने को विवश कर दिया ।

भारत सरकार के विचार से किसी तीसरे देश की राजधानी में इस प्रकार के झूठे प्रचार से द्विपक्षीय मामलों के समाधान में सहायता नहीं मिलती लेकिन अगर ऐसे आरोपों का विरोध न किया जाए तो इनसे विश्व-मत गुमराह हो सकता है । जहां तक भारत का सवाल है, उसका सदा से यही विश्वास रहा है कि द्विपक्षीय मामलों का समाधान सीधी और शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा ही हो सकता है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रथम श्रेणी के रक्षा कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाना

3477. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रक्षा सेवाओं के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया है ; और

(ख) इन मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) 158 ;

(ख) (1) 8 अफसरों पर मुकदमा चलाया गया था, जिनमें से 2 को कैद किया गया, 1 को सेवा-मुक्त किया गया और 5 अफसरों के विरुद्ध मुकदमें चल रहें हैं ।

(2) 2 अफसरों के विरुद्ध आरोप-पत्र कतिपय औपचारिकताओं के कारण रुके हुए हैं ।

(3) कोर्ट मार्शल कार्रवाईयों में 4 को सज़ा दी गई, 4 को दोष-मुक्त किया गया और एक के विरुद्ध मामला छोड़ दिया गया । अन्य 16 के विरुद्ध कोर्ट मार्शल कार्रवाई को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(4) 11 अफसरों को सज़ा दी गई और 2 के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई में आरोपों को वापस ले लिया गया, जबकि 33 अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई विभिन्न चरणों में रुकी पड़ी है ।

(5) शेष 77 मामलों में, 18 में जांच-पड़ताल की जा रही है, 13 के विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई, 12 के विरुद्ध जांच-पड़ताल के पश्चात मामले बन्द कर दिए गये, 2 अफसरों को सज़ा दी गई और 32 अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई विचाराधीन है ।

विभिन्न सरकारी क्षेत्र के एककों में हड़ताल तथा श्रम दिनों की हानि

3478. **श्री डी० पी० जदेजा** :

श्री बेकारिया :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 से विभिन्न सरकारी क्षेत्र के एककों के कुल कितनी हड़तालें हुई ; और

(ख) इनमें कितने श्रम दिनों की हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) और (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1969 से 1972 तक क्षेत्र में हड़तालों की संख्या और हड़तालों के कारण क्षति हुए श्रम दिनों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	हड़तालों की संख्या	हड़तालों के कारण क्षति हुए श्रम दिनों की संख्या
1969	382	1,283,250
1970	440	1,898,046
1971	382	2,026,307
1972 (अनंतिम)	476	2,493,018

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार देना

3479. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोज़गार देने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं : और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : **(क) और (ख)** एक विवरण सलंग्न है ।

विवरण

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के पुर्ननियोजन के संबंध में किए गए उपायों की संक्षिप्त रूप रेखा :—

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय/राज्य सरकारों में रोज़गार के प्रयोजन के लिए पहली प्राथमिकता प्रदान की जाती है । केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को क्रमशः श्रणी तीन तथा चार के लिए 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को 30-6-1974 तक बढ़ा दिया गया है । तथा समस्त आरक्षण को 45 से 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है । इस वृद्धि से जो अतिरिक्त रिक्त पद प्राप्त होंगे वे भूतपूर्व विक्लांग सैनिकों के पुनर्वास के लिए उपयोग में लाए जायेंगे ।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है, भूतपूर्व सैनिकों जिसमें विक्लांग तथा युद्ध में मारे गये कार्मिकों के आश्रित भी शामिल हैं, के लिए आरक्षण क्रमशः श्रेणी तीन के लिए 17½ प्रतिशत तथा क्षेणी चार पदों के लिए साढ़े सत्ताइस प्रतिशत कर दिया है ।

3. जहां प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा भर्ती प्रक्रिया है उसे छोड़कर श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के पदों में भर्ती के लिए युद्ध विक्लांग सेवा कार्मिकों को जिनके पास अपेक्षित योग्यता तथा अनुभव है उनके मामलों में साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है । यदि ऐसे व्यक्तियों को उपयुक्त पाया जाता है तो उन्हें प्रथम प्राथमिकता दी जाती है । पहली, दूसरी तथा तीसरी श्रेणी के पदों के लिए जिन्हें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जाता है युद्ध में विक्लांग हुए सेवा कार्मिकों को तीन वर्ष तक आयु में शिथिलन (अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के व्यक्तियों के मामले में 8 वर्ष तक) है । अधिकतम निर्धारित आयु सीमा में दी जाती है वशर्ते कि वह निर्धारित अपेक्षित शैक्षिणक योग्यताएं रखते हों ।

4. तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए विक्लांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 45 वर्ष तक (50 वर्ष तक यदि वे अनुसूचित जातियों/जन जातियों के भी हों) शिथिल कर दिया गया है। इन सुविधाओं/रियायतों के अतिरिक्त शक्षणिक योग्यताओं को तृतीय श्रेणी के पदों के लिए जिन्हें सामान्यतया रोजगार कार्यालयों के द्वारा भरा जाता है शिथिल कर दिया गया है। विक्लांग भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी तीन के पद पर नियुक्ति के लिए कार्य निष्पादन की उसकी योग्यता को समुचित परीक्षाओं के आधार पर नियोक्ता प्रधिकारी के द्वारा जांचा जाता है।

5. इन पदों पर भर्ती के संबंध में चिकित्सा मानक रक्षा सेवाओं के मैडिकल बोर्ड के द्वारा दिया गया फिटनस प्रमाण पत्र माना जायेगा।

6. इसके अतिरिक्त क्वीन मेरी टेकनीकल स्कूल पूना में विक्लांग सेवा कार्मिकों को व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण के लिए 100 सीटों को आरक्षित किया गया है। प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भूतपूर्व सैनिकों को जिसमें विक्लांग शामिल हैं 5 पदों को आरक्षित किया गया है, तथा प्रशिक्षणाधीन विक्लांग कार्मिकों को 75 रुपये प्रति मास की दर से वृत्ति प्रदान की जाती है।

7. श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय में भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक विशेष एकक बनाया गया है जो केवल विक्लांग भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में मारे गए कार्मिकों के आश्रितों के पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था करता है।

8. सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सेन्ट्रल रिहेबिलिटेशन आर्गनाईजेशन के नाम से गठित किया है जो विक्लांग भूतपूर्व सैनिकों तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध में मारे गए कार्मिकों के आश्रितों को तीव्रता से सीवील जीवन में पुर्ननियोजित करने में सहायता करता है।

9. सरकार ने कोई भी निधि केवल विक्लांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए नहीं बनाई है। तथापि 5 करोड़ रुपये की एक निधि का युद्ध में विक्लांग हुए तथा युद्ध में असहाय हुए लोगों के लिए बनाया गया है। जिनकी आवश्यकताएं अन्य ऐसी ही योजनाओं मे समुचित रूप में पूरी न हो सकती हों। इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसी दातव्य निधियां हैं जो कि भूतपूर्व सैनिकों, जिसमें विक्लांग भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं के कल्याण के लिए प्रयोग की जाती हैं।

10. ऊपर बताए गए उपायों के अलावा जनवरी, 1972 के पहले ही निर्णय कर लिया गया था कि युद्ध में घायल हुए सैनिकों तथा उन सैनिकों तथा रक्षा सेवाओं के अफसरों के परिवारों को जिन्होंने गत युद्ध में अपने जीवन को बलिदान किया था, उन्हें उदार दरों पर पेन्शन मंजूर की जाएगी। जो कि रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 200847-पनसी-71, दिनांक 24 फरवरी 1971 में दी गई हैं।

हानि पर चल रहे सरकारी उपक्रम

3480. **श्री सी० वाई० कुञ्जन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से लगातार हानि पर चल रहे सरकारी उपक्रमों की संख्या और नाम क्या हैं ; और

(ख) उन्हें लाभ पर चलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात और खान मंत्रालय के उन पांच उपक्रमों के नाम जिनमें पिछले वर्षों में घाटा हुआ है और उन्हें मुनाफे में चलाने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

1. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

लाभदायकता लागत उत्पादन की मात्रा तथा मूल्यों पर निर्भर है। प्रचलित मूल्यों और लागतों की कठिनाइयों के बावजूद यह आवश्यक है कि उत्पादन को अधिकाधिक किया जाए। तदनुसार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक उत्पादन को शीघ्रातिशीघ्र बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस दिशा में अनक कदम उठाये गये हैं। इनमें कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि बढ़ाने हेतु वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग, ईन्धन स्रोतों को बढाने के लिए कुछ भट्टियों में आयल फायरिंग, रख-रखाव में सुधार जिससे उपस्करों की उपलब्धि बेहतर हो सके, उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक पूंजीगत कार्यक्रमों को तेजी से पूरा करना तथा योजनाबद्ध ढंग से फालतू पूर्जों, ऊष्मसह और दूसरी आवश्यक सामग्री की प्राप्ति आदि शामिल हैं।

हाल में दुर्गापुर में एक त्रिस्तरीय संयुक्त सलाहकार मशिनरी बनाई गई है जिसका उद्देश्य औद्योगिक विवादों और शिकायतों को तेजी से निपटाना तथा अधिकाधिक उत्पादन करने में कामगारों का सहयोग प्राप्त करना है। उत्पादन में क्रमिक वृद्धि लाने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने में एक नई इनाम योजना लागू की गई है।

इस दिशा में स्टील आथोरिटी आफ इंडिया की स्थापना से काफी सहायता मिलेगी क्योंकि इससे पर्यवेक्षण तथा समन्वय प्रभावशाली ढंग से हो सकेगा, विशिष्ट परामर्श-दातृ सेवायें उपलब्ध होंगी तथा इस्पात उद्योग से घनिष्ट रूप में संबद्ध अन्य क्षेत्रों का जो इस्पात उद्योग के कोकिंग कोयला, लोह खनिज और मैंगनीज जैसे कच्चे माल के प्रमुख संभारक हैं, प्रबंधात्मक एकीकरण तथा समन्वय होगा। सरकार भी टास्क फोर्स की सावंधिक बैठकों और समीक्षाओं द्वारा इस्पात कारखानों के कार्यकरण पर सतत नजर रखती है तथा सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती है।

2. नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन

नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन को हानियां मुख्यतः खान से लिगनाइट निकालने में प्रौद्योगिक कठिनाइयों के कारण हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप लिगनाइट का उत्पादन कम हुआ, जो विद्युत और ब्रिकेटिंग और कारबोनाइजेशन कारखानों को इष्टतम स्तर पर चलाने के लिए अपर्याप्त रहा। उर्वरक कारखानों में रूपांकन प्रक्रिया और परिचालन की कठिनाइयों के कारण यूरिया के कम उत्पादन के कारण भी हानियां हुई हैं।

हानियों को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

(1) लिगनाइट के उत्पादन के 36 लाख टन के वर्तमान स्तर को 1974-75 में 42 लाख टन तक और 1975-76 से 45 लाख टन तक बढ़ाने के लिए निगम अतिरिक्त खनन उपकरण प्राप्त कर रही है।

(2) लिगनाइट के उत्पादन को प्रतिवर्ष 65 लाख टन तक करने के लिए एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवदन भी तैयार किया जा रहा है।

(3) प्रोफेसर सुब्रमानियम समिति की सिफारिश के अनुसार विस्फोटों द्वारा खानों मे ऊपर की भूमि को हटाया जा रहा है ताकि खानों से अधिक माल निकाला जा सके। इस काम के लिए दो ड्रिलों के लिए पहले ही आर्डर दिए जा चुके हैं और दो ड्रिल भी प्राप्त किए जा रहे हैं।

(4) खनन उपकरणों का अधिक अच्छा उपयोग करने और व्यय को कम करने के लिए खानों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

(5) नेवेली विद्युत स्टेशन की 50-50 मैगावाट की दो इकाइयों की अस्थायी तौर से आयल फायरिंग में बदला जा रहा है। इससे विद्युत स्टेशन का अधिक अच्छा उपयोग हो सकेगा।

3. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटड को 1969-70 से 1971-72 तक घाटा हुआ है। वर्ष 1972-73 में कम्पनी को मामूली लाभ होने के संकेत हैं।

4. भारत गोल्ड माइनज् लिमिटेड

नए खनिज भंडारों का पता लगाने और वर्तमान खानों की उत्पादिता और परिचालन कार्य-कुशलता को सुधारने के विचार से भारत गोल्ड माइनज् लि० ने खानों से अधिक अन्वेशन तथा विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं।

5. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल, 1971 से खनिज और धातु व्यापार निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को रेल तक निष्प्रभार कीमत देगी ताकि रेल भाड़ा, बन्दरगाह शुल्क और निर्मात शुल्क का खर्च खनिज और धातु व्यापार निगम को वहन करना पड़े। रेल तक निष्प्रभार मूल्य से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की लागत पूरी हो जाने की आशा है। उत्पादन लागत में कमी करने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। देशीय इस्पात कारखानों को बिक्री के लिए मूल्य-सूत्र अभी निश्चित नहीं किया गया है। अभी तक ऐसी बिक्री राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की कुल बिक्री का भाग है।

उपक्रमों में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारी

3481. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय स्टील विभागों अर्थात् हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और बोकारो स्टील लिमिटेड उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आंकड़े उसमें नहीं दिखाये जाते; और

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी सरकारी नीति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति के समक्ष 5 और 6 अप्रैल को साक्षी देते समय इस्पात विभाग के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया था, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और बोकारो इस्पात लिमिटेड की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आंकड़े इस्पात विभाग को 1972-73 की वार्षिक रिपोर्ट में दिये जा रहे हैं।

(ख) इन उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कोटे की नीति सरकार द्वारा इन उपक्रमों को दिये गये निर्देश में बताई गई है ।

स्टील एथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड) द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना

3482. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये कर्मचारियों का प्रशिक्षण स्टील एथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड) के कृत्यों में से एक होगा ; और

(ख) होल्डिंग कम्पनी के निदेशकों का चयन करते समय क्या मानदंड अपनाया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) स्टील एथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि कर्मचारियों को नौकरी में उन्नति करने के अवसर हों और इस कम्पनी तथा इसकी सहायक कम्पनियों में लोगों को उत्तरोत्तर पदोन्नति के अवसर ों और इस तरह एक 'इस्पात काडर' बनाना और उसका विकास करना है ।

(ख) 'सेल' के अध्यक्ष और पूर्ण-काल निदेशकों को उनकी योग्यताओं और उद्योग, तकनीकी, वाणिज्य, वित्त और प्रबन्ध के क्षेत्रों में उनके अनुभव के आधार पर नियुक्त किया गया है जहां तक अंश-काल निदेशकों का सम्बन्ध है, उनमें से एक को सरकारी वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिये नियुक्त किया गया है, तीन निदेशक 'सेल' की सहायक कम्पनियों से लिये गये हैं, एक को एक बड़ी सहायक कम्पनी की इकाई से लिया गया है, कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, एक 'इस्को' का करटोडियन है, जो देश का एक बड़ा इस्पात कारखाना है और जिसका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । नियुक्तियां करते समय सम्बन्धित व्यक्तियों की व्यक्तिगत योग्यताओं और अनुभव के अलावा एक और 'सेल' की विभिन्न सहायक कम्पनियों और दूसरी और सहायक कम्पनियों और 'सेल' में प्रभावी समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है । वित्त मंत्रालय के सचिव भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं । योजना आयोग के सचिव को भी अंशकाल निदेशक नियुक्त किया जायेगा । ये दो निदेशक 'सेल' के निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के दृष्टिकोण को उच्चतम स्तर पर 'सेल' के निदेशक मंडल के सामने रखेंगे ।

हिन्द महासागर के सम्बन्ध में नाटो के साथ पाकिस्तानी समझौता

3483. **श्री हरिकिशोर सिंह :**

श्री अनन्तराव पाटिल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्द महासागर की समस्याओं पर नाटो के साथ करार करने के किसी पाकिस्तानी प्रयास के बारे में पता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-कोकिंग कोयला खानों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के उपरान्त कोयला मूल्य में वृद्धि

3484. **श्री हरिकिशोर सिंह :**

श्री नरेन्द्र कुमार सोधी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-कोकिंग कोयला खानों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के - उपरांत घरेलू कार्यों के लिये प्रयोग किये जाने वाले कोयले के मूल्य में अचानक वृद्धि हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) से (ग) दुर्भाग्यवश, सरकार द्वारा गैर-कोककारी कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण के तुरन्त पश्चात् घरेलू-उपभोग में प्रयुक्त होने वाले कोयले और साफ्ट कोक की कीमतों में वृद्धि हुई है । सरकार अथवा कोयला खान प्राधिकारी द्वारा लिये गये किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि नहीं हुई । प्रबन्ध ग्रहण के तुरन्त पश्चात् की कठिनाइयों का अनाचारी मध्यजनों और व्यापारियों द्वारा उठाये गये लाभ के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई । इस कीमत वृद्धि से उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों के प्रति सरकार पूर्णतः सजग है और वह समस्त प्रमुख शहरों में स्टाक एकत्रित कर और राज्य प्रशासकों के द्वारा वितरण के माध्यम से कीमतों को कम करने के लिये कदम उठा रही है ।

'बंगला देश सहायता योजना'

3485. **श्री हरिकिशोर सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 'बंगला देश सहायता योजना' के साथ अपने को सम्बद्ध नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) सम्माननीय सदस्य का तात्पर्य संभवतः बंगला देश के विकास के लिये उस अन्तर्राष्ट्रीय बैठक से है जो बंगला देश की सरकार ने 31 मार्च को बुलाई है ।

(ख) भारत इस बैठक में भाग नहीं ले रहा है क्योंकि भारत दाता देश नहीं है । परन्तु इससे बंगला देश के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह चलता रहेगा ।

मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स को व्यापार विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए विधेयक

3486. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 7 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3481 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स को व्यापार विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिये यथाशीघ्र एक विधेयक पेश किया जायेगा, यदि हां, तो वह कब पेश किया जायेगा ;

(ख) उपरोक्त विषय सम्बन्धी राज्य सभा याचिका समिति द्वारा (अपनी 30वीं रिपोर्ट द्वारा) एक मत से सिफारिश करने तथा स्थायी श्रम समिति के 29वें अधिवेशन (जुलाई, 1970) की सिफारिशों के बावजूद फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया की मांगों को उचित अधिनियम में शामिल करने में देरी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त एसोसिएशन द्वारा बार-बार दिये गये अभ्यावेदन के प्रति श्रम मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है और सिफारिशों को इतने लम्बे समय तक लागू न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सरकार ने इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रख लिया है। यथाशीघ्र, एक विधेयक पेश करने के सम्बन्ध में इन पर और साथ ही औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में अन्य प्रस्तावों पर, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से परामर्श लेते हुए, विचार किया जा रहा है।

खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्य में वृद्धि

3487. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे अधिकार में ली गई प्रत्येक खान तीन वर्ष के उत्पादन तथा पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक खान में लगाई गई पूंजी का विवरण सभा पटल पर रखेंगे; और

(ख) इन कोयला खानों के प्रबन्ध को हाल में लेने में कितनी पूंजी लग जाने का अनुमान है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ख) इन खानों के बारे में पूंजी लागत का अनुमान समय-पूर्व की बात है।

अध्यादेश में कोयला खान मालिकों के गलत नामों का उल्लेख

3488. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **खान और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने के बारे में जारी किये गये अध्यादेश में कुछ कोयला खानों के मालिकों के गलत नामों का उल्लेख हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि गलत नामों का उल्लेख हुआ है तो कोयला खानों के वास्तविक मालिकों को किस अधिकार के अन्तर्गत कोयला खानों के स्वामित्व से वंचित किया गया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन समस्त कोयला खानों का प्रबन्ध नियत दिन से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है। अध्यादेश की अनुसूची में कुछ मामलों में स्वामियों के नाम सही नहीं दर्शित किये गये थे। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक से, जिसे लोक सभा में पुरस्थापित किया गया है, संलग्न अनुसूची में आवश्यक-शुद्धियां करने की कार्रवाई की जा चुकी है।

(ग) चूंकि अब अध्यादेश के अधीन समस्त कोयला खानों का प्रबन्ध ग्रहण किया जा चुका है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान में नजरबन्द बंगाली

3489. **श्री समर गुह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फरवरी के समाचार पत्रों में पाकिस्तानी सेना में कार्य करने वाले 28000 बंगालियों, जिन्हें नार्थ वैस्ट फ्रन्टियर प्राविन्स के विभिन्न बन्दी-शिविरों में रखा गया है, के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उन बन्दी-शिविरों में उन्हें अमानवीय दशाओं में रखा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान के बन्दी-शिविरों में पाकिस्तानी सेना की भूतपूर्व बंगाली सेना के कर्मचारियों की दशा का व्यौरा क्या है; और

(घ) उनके साथ पाकिस्तान सरकार द्वारा किये जा रहे अमानवीय व्यवहार की ओर विश्व के देशों का ध्यान आकर्षिक करने तथा उन्हें शीघ्र मुक्त कराने की स्थिति पैदा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) से (ग) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं कि पाकिस्तान के बन्दी-शिविरों में बंगाली सशस्त्र सैनिकों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है ।

(घ) बंगलादेश सरकार ने पाकिस्तानी कैद में अवैध रूप से रखे गये इन निरपराध लोगों की दुर्दशा पर विश्व का ध्यान बार-बार आकर्षित किया है । भारत सरकार बंगलादेश के राष्ट्रिकों की पाकिस्तान से वापसी के लिये किये जा रहे प्रयत्नों का निरन्तर समर्थन करती रहेगी।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में नेताजी का जन्मदिवस मनाया जाना

3490. **श्री समर गुह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी दूतावासों को इस वर्ष नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्मदिवस मनाने के अनुदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न दूतावासों ने इस अवसर पर क्या-क्या कार्यक्रम अपनाया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र प.ल सिंह) : (क) भारतीय स्वतन्त्रता के रजत जयंती समारोहों के सम्बन्ध में विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं केन्द्रों को भेजे गये सुझावों में सुभाष चन्द्र बोस जन्मदिवस को सम्मिलित किया गया है । इन सुझावों पर अमल करने का काम मिशन अध्यक्षों के ऊपर छोड़ दिया गया था जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों तथा मिशनों को उपलब्ध साधनों के आधार पर यह काम करना था ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का जन्मदिन मनाना

3491. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्मदिन सरकारी रूप से मनाने के लिये सरकार द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने इस प्रयोजनार्थ कोई कार्यक्रम तैयार किया था ;

(ख) क्या आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च कमान्डर के रूप में नेता जी की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की हैं;

(ग) क्या नेताजी का जन्मदिन विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों तथा देश के विभिन्न भाग में तैनात सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी मनाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यक्रम किया गया और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) नियम के रूप में सशस्त्र सेनाएं तथा रक्षा स्थापनाएं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन नहीं मनाती हैं । नेताजी के पश्चात् उन्हें सम्मान देने के लिये उनके नाम पर किसी नौसेनिक जहाज को नाम दिये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर ही है ।

कृष्णा ग्लास फैक्टरी, जादवपुर का फिर से खोला जाना

3492. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता के जादवपुर क्षेत्र की कृष्णा ग्लास फैक्टरी को फिर से खोलने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस फैक्टरी के बेरोजगार श्रमिकों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) आश्वासन को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक फिर से खोल दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य औद्योगिक संपर्क तंत्र के समक्ष पक्षों के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार प्रबन्धकों द्वारा मैसर्स कृष्णा सिलीकेट और ग्लास वर्क्स लिमिटेड के जादवपुर और बारहपुर एककों को पुनः खोला जाना था। इन एककों को पुनः खोलने सम्बन्धी त्रिपक्षीय समझौते को कार्यान्वित करने में प्रबन्धकों की विफलता पर, औद्योगिक विकास मंत्रालय ने, राज्य सरकार द्वारा अनुरोध करने पर, कम्पनी के कार्यों की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की । औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सरकार ने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त प्रबन्धक-बोर्ड को इस उपक्रम का प्रबन्ध संभालने का अधिकार दिया है ।

Payment of Pensions to Ex-servicemen by Money-Orders

3493. Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Shri Chiranjib Jha :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether according to news of All India Radio dated the 2nd February, 1973 Government of India have decided to remit pensions by money-orders to those ex-servicemen who are drawing pensions upto Rs. 100?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Government of India have decided that pensions upto Rs. 100/- per month of Armed Forces pensioners may, at their request, be remitted by money-order at Government expense.

इस्पात संयंत्रों के लिये प्राप्त किये गये ऋण तथा उनकी अदायगी

3494. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्र स्थापित करने तथा इस्पात संयंत्रों का विकास करने के लिये किस-किस स्रोत से कुल कितने ऋण तथा अनुदान प्राप्त किये गये;

(ख) अब तक कितनी अदायगी की गई है और कितना ब्याज दिया गया है; और

(ग) अदायगी का निर्धारित समय क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

इस्पात संयंत्रों के यार्डों में इस्पात तथा इस्पात की प्लेटों का जमा हो जाना

3495. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों के यार्डों में इस्पात तथा इस्पात की प्लेटों के बहुत बड़े-बड़े भंडार जमा हो गये हैं ;

(ख) ऐसे भंडारों का ब्यौरा क्या है, भंडार जमा हो जाने के कारण क्या हैं तथा उनके शीघ्र आवंटन तथा ढुलाई के लिये क्या योजनायें बनाई गयी हैं; और

(ग) भंडारों की किस्म को घटिया न होने देने तथा उन्हें चोरी से बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

पुनः स्थापन उद्योग निगम द्वारा चलाए जा रहे कारखाने

3496. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनःस्थापन उद्योग निगम द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कारखानों के नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां स्थापित किये गये हैं;

(ख) इन कारखानों में निगम द्वारा लगाई गई पूंजी तथा स्वीकृत ऋणों की कुल राशि कितनी है; और

(ग) कारखानों के कार्य-संचालन को सुधारने तथा निगम के पुनर्गठन के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा चलाई जा रही यूनिटों के नाम तथा उनकी स्थापना के स्थान नीचे दिये गये हैं:—

1. हैंडलूम टैक्सटाइल यूनिट, तहिरपुर
2. हैंडलूम टैक्सटाइल यूनिट, गयेशपुर
3. हैंडलूम टैक्सटाइल यूनिट, खुसवाश मोहल्ला
4. हैंडलूम टैक्सटाइल यूनिट, हवड़ा

5. हैंडलूम टैक्सटाइल यूनिट, मालदा
6. टेंट मेकिंग यूनिट, बेहला
7. लेदर वर्क्स, बान-हुगली
8. रेडी मेड गार्मेंट यूनिटें, बान हुगली, खुसवाश मोहल्ला तथा तहिरपुर
9. फ़ूट केनिंग यूनिट, बान हुगली
10. सुकुमार इंजीनियरिंग वर्क्स, बान हुगली
11. शीट मेटल यूनिट, बान हुगली
12. कास्ट आयरन फौण्डरी, दुर्गापुर
13. स्लीपर फैक्टरी, जगदलपुर (मध्य प्रदेश)
14. वुड वर्क्स यूनिट, बेहला
15. आॅटोमोबाइल यूनिट, बेहला
16. फ्यूल एण्ड सर्विस स्टेशन, बेहला
17. इलैक्ट्रिकल एंसिलरी यूनिट, बेहला
18. सीरेमिक यूनिट, रानाघाट
19. टैक्सटाइल प्रोसैसिंग यूनिट, बान हुगली।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) पुनर्वास उद्योग निगम लि० कलकत्ता की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा करने के लिये, जिसमें निगम के अधीन चल रही औद्योगिक यूनिटें भी शामिल हैं, एक विभागीय समिति का गठन किया गया था । समिति के निष्कर्ष तथा उन पर सरकार का निर्णय जब हो जायेगा तो उन्हें सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

मारुति लिमिटेड द्वारा बनाई गई कार के प्रोटोटाइप का परीक्षण

3497. **श्री आर० पी० ईलगनम्बी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके भीतर मारुति लिमिटेड, द्वारा निर्मित कार के प्रोटोटाइप का परीक्षण तथा इसे सड़क पर चलने योग्य घोषित करने सम्बन्धी स्वीकृति के लिये तैयार रहना है;

(ख) कार के परीक्षण तथा इसे सड़क पर चलने योग्य घोषित करने की स्वीकृति देने सम्बन्धी उचित प्राधिकारी कौन है; और

(ग) क्या यह प्राधिकार एक ही व्यक्ति पर आधारित होगा अथवा इस क्षेत्र में विशेष जानकारी रखने वाले अनेक व्यक्ति होंगे और क्या यह एक तदर्थ निकाय होगा अथवा नियमित ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आशयपत्र की वैधता की तिथि के भीतर एक आद्यरूप की सड़क पर चलने की उपयुक्तता की सफल जांच की जानी अपेक्षित है ।

(ख) और (ग) सुरक्षा मंत्रालय के वैहिकिल अनुसंधान और विकास संस्थान को कार के आद्यरूप की सड़क के लिये उपयुक्तता की जांच करने वाली एजेंसी नियुक्त किया गया है । यह आटोमोबाइल डिज़ाइन और इंजीनियरी के क्षेत्र में यह एक स्थायी विशिष्ठ संगठन है जिसमें सुयोग्य तथा विस्तृत ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ हैं ।

Scheme for Development of the Nationalised Coal Mines

3498. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether any scheme for development and for increasing the production capacity of 464 coal mines has been formulated by the Government after their nationalisation; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) and (b) The Government have taken over the management of these coal mines recently pending their nationalisation under the Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance 1973. A scheme for the re-organisation of the mines under consideration. After the mines are properly organised, detailed schemes will be prepared for their development.

Bangladesh Prime Minister's Appeal to U.N.O. for Aid

3499. **Shri M. S. Purty :**

Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the problem of relief in Bangladesh is reported to be rather more acute during 1973;

(b) whether the Prime Minister of Bangladesh has appealed to the United Nations Organisation for aid; and

(c) the names of the countries forthcoming for help and the extent of aid India has committed?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) According to the reports received, the task of relief and rehabilitation in Bangladesh has made considerable progress. However, the main crop of Bangladesh, recently harvested, has not been satisfactory.

(b) The Prime Minister of Bangladesh wrote to the Secreatary-General of the United Nations on the 14th October, 1972 on the need for U.N. Relief Operations during 1973.

(c) From information available with us, the U.S.A, Canad, U.K., the Federal Republic of Germany, Sweden, Norway, Australia and Japan have offiered aid during 1973.

The House is already aware of the provision of Rs. 200 crores for assistance by India to Bangladesh during the financial years 1971-72 and 1972-73. It is expected that part of this sum will spill over into the financial year 1973-74 and will be disbursed during 1973-74.

Alleged Supply of Arms to India Through U.S.S.R. or Egypt

3500. **Shri M. S. Purty :**

Shri P. K. Deo :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any allegations regarding supply of arms to India through Soviet Russia or Egypt during the last War were made by Pakistan;

(b) if so, the reaction of Government there to; and

(c) whether Government propose to make any changes in their policy towards Pakistan in view of the false allegations?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No such allegations, officially made by Pakistan, have come to Government's notice.

(b) & (c) Do not arise.

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोयोगिकी प्रगति के अध्ययन के संबंध में भूतपूर्व नौ सेनाध्यक्ष का वक्तव्य

3501. **श्री पी० के० देव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान हाल ही में दिये गये भूतपूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल एस० एम० नन्दा के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि प्रोद्योगिकी में परिवर्तन हेतु रक्षा सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को दिन प्रतिदिन होने वाली प्रोद्यौगिकी प्रगति के सम्बन्ध में निरन्तर अध्ययन करते रहना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने एडमिरल नन्दा के वक्तव्य के आशयों की जांच की है; और

(ग) एडमिरल नन्दा द्वारा दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां. श्रीमन् ।

(ख) और (ग) यह सुझाव सरकार की इस नीति के समनुरूप ही है कि सेवा के सीनियर अफसरों को सम्बन्धित क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति से अवगत कराने के विचार से देश और विदेश में यथा सम्भव सुविधायें प्रदान करनी चाहियें कोई और कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।

अरब देशों के प्रति नीति में कथित परिवर्तन

3502. **श्री पी०के० देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "मार्च आफ दि नेशन" साप्ताहिक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार अरब देशों के प्रति अपना रवैया बदल रही है ; और

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां

(ख) अरब उद्देश्य का निरन्तर समर्थन करने की भारत सरकार की नीति में और पश्चिम एशियाई समस्या के प्रति उसके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है । दूसरी बातों के अलावा अखवार में छपे वक्तव्यों में अरब मिश्र गणराज्य को सप्लाई रोकने या प्रशिक्षण सुविधाएं न देने की बात भी गलत है । अरब मिश्र गणराज्य के साथ भारत के द्विपक्षीय संबन्ध बराबर घनिष्ठ रहे हैं और भारत सभी क्षेत्रों में दोनों देशों का आपसी सहयोग बढ़ाने को उत्सुक है ।

एम० ए० एम० सी० में उत्पादन

3504. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में दुर्गापुर के माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन का वास्तविक उत्पादन कितना था; और

(ख) क्या उत्पादन के अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध में कोई सुधार करने की आवश्यकता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) 11,755 टन खरीदी गई मदें तथा सहायक उद्योगों तथा छोटे ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किया गया माल शामिल नहीं है।

(ख) जी, हां। माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन के प्रबन्धकों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में उत्पादन आयोजन तथा नियंत्रण, माल की प्राप्ति की प्रक्रिया में सुधार लाना, बेहतर रख-रखाव, इपांकन संगठन को सशक्त बनाना तथा मालिक मजदूर संबन्धों में सुधार करना शामिल है। माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की उत्पादन रूप-रेखा में फेरबदल करने का विचार है और कुछ मदों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने पर जोर देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में मोटर-गाड़ियां और ट्रेक्टर बनाने के उद्योग की स्थापना

3505. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल को सरकारी क्षेत्र में कोई 'आटो उद्योग' न होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में कोई 'आटो उद्योग' विशेषकर ट्रेक्टर और मोटर साइकिल बनाने का उद्योग स्थापित करने का है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार को इस बात का पता है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में कोई आटो उद्योग नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

ब्रिटिश आप्रवास नियमों में संशोधन

3506. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में अपने आप्रवास नियमों में संशोधन किया है ;

(ख) क्या उसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में आप्रवास बहुत कठिन हो गया है और पहले के आप्रवासी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। ब्रिटिश आप्रवास अधिनियम, 1971 तथा उसके अधीन बने नियमों के कारण राष्ट्रमंडलीय अश्वेतों का ब्रिटेन में प्रवेश और कठिन हो गया है। परन्तु सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि ब्रिटेन में पहले से रह रहे आप्रवासियों को इन संशोधित नियमों के कारण कोई विशेष कठिनाइयां हो रही हैं।

(ग) आप्रवास नियमों के जातीय भेदभाव के प्रति सरकार ने अपनी चिन्ता एवं संदेह से ब्रिटेन की सरकार को अवगत करा दिया है।

कानपुर में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा एच० एस० 748 एवरो विमानों का उत्पादन

3507. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० कानपुर एच० एस० 748 एवरो विमान में परिवर्तन कर उसे दो दरवाजे वाला मालवाही विमान बनाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक उपलब्ध हो जाएगा और पहले के विमान में क्या क्या सुधार किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एच० एस०–748 का दो दरवाजे वाला मालवाही किस्म का विमान विकसित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) यह केवल परियोजना के अनुमोदन हो जाने तथा विकास पूरा हो जाने पर ही जाना जा सकता है ।

Purchase of Miraj and MIGs by Pakistan

3508. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Pakistan have purchased second instalment of 24 Miraj (bombers) planes from France on cash payment;

(b) whether Pakistan have also received Mig-17 and Mig-19 from China; and

(c) if so, the reaction of Government of India thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) Government are aware that Pakistan is buying Mirage planes from France and Mig planes from China. It will not be in public interest to give further details in this regard. The impact of such supplies on our security and defence preparedness is reviewed from time to time.

युद्ध में मारे गये केरल राज्य के सैनिकों की विधवाओं को सहायता

3510. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध में मारे गये केरल राज्य के सैनिकों की जिन विधवाओं को केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी गई है उनके नाम क्या हैं तथा किस प्रकार की सहायता दी गई हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4525/73]

केरल में खनिजों की खोज

3511. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने केरल राज्य में आगामी पांच वर्षों के दौरान खनिजों की खोज हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा केरल राज्य में खनिज समन्वेषण के लिए विस्तृत कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के केरल सर्किल के पंचम पंच-वर्षीय योजना प्रस्ताव, जिसमें अंनतिम रूप से 12000 वर्ग किलोमीटर सुव्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण, 15 वर्ग किलोमीटर बड़े पैमाने पर मानचित्रण और 31000 मीटर व्यधन सम्मिलित हैं, परीक्षणाधीन है ।

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करना

3513. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान केरल के किन क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई और 1973-74 के दौरान किन क्षेत्रों में लागू करने की योजना है; और

(ख) केरल में यह योजना अब तक कितने कर्मचारियों पर लागू की जा चुकी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

(क) (i) 1971-72 और 1972-73 वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य निगम योजना को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है :—

(1) पुल्लुर सहित कल्लेतुमकारा

(2) कायमकुलम

(3) एरनाकुलम के बाह्य क्षेत्र

(4) मेलीला

(ii) 1973-74 के दौरान योजना को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है:—

1. पैगाप्पारा चेत्ती विल्लाकोम
2. किंदागूर और चेनगानाचेरी
3. चंगाल्लूर और पाराप्पुकारा ।
4. चेवूर
5. चेरुथुरुथी
6. कांडाकुन्नु
7. माय्यानाद
8. शेरथाल्ला
9. किल्लान्नूर
10. नेरीस्सेरी और ओल्लूवकारा
11. बादवकानाचेरी और मुल्लुरकारा
12. पात्ताम्बी

(ख) अब तक 1,63,000 कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत लाये गए हैं ।

Agreements entered into with Nepal

3514. **Shri Sarjoo Pandey :**

Shri Ishwar Chaudhury :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the main clauses of the agreement entered into between India and Nepal during the first week of September, 1972; and

(b) the items on which both the countries could not arrive at an agreement ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No agreement was entered into between India and Nepal during the first week of September, 1972.

(b) Does not arise.

Assistance to Bangladesh during 1972-73 and 1973-74

3516. **Shri M.C. Daga :**

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the type and quantum of assistance given to Bangladesh during the year 1972-73 indicating the specific purposes for which the assistance was given; and

(b) the nature and quantum of assistance proposed to be given for the year 1973-74.

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Economic assistance amounting to Rs. 132.90 crores has been given to Bangladesh during 1972-73—Rs.109.26 crores in the form of grants and Rs. 23.64 crores in the form of loans. Details of the assistance are given in the Annexure. [Placed in Library See No. L.T. 4526/73]

(b) The matter is under consideration.

नेपाल होकर पिण्डी जाना

3517. **श्री एस० ए० मरुगन्तम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी 1973 के स्टेट्समैन में 'नेपाल होकर पिण्डी जाना' (नेपाल एस्केप रूट टू पिंडी) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वस्तुस्थिति का पता लगाया जा रहा है

Survey for Minerals in Madhya Pradesh

3518. **Shri Ishwar Chaudhury :**

Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a survey has been made at those places in Madhya Pradesh where minerals including copper and iron ore are available; and

(b) if so, the names of the minerals found there ?

The Deputy Minister of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) The areas of Madhya Pradesh, where major and minor occurrences of minerals including copper and iron ores were located, have been and are being investigated by the Geological Survey of India by preliminary and detailed methods of prospecting as deemed necessary as per importance of the prospects. A Geological and Mineral Map of the State has already been published.

(b) As a result of investigations carried out so far, about 53 million tonnes of bauxite in Shahdol, Mandla, Bilaspur, Surguja, Raigarh, Balaghat and Jabalpur districts; about 4.55 million tonnes of manganese ore in Balaghat and Chhindwara districts; about 2415 millions tonnes of iron ore in Baster and Durg istricts; about 50 million tonnes of copper

ore in Balaghat districts; about 15000 million tonnes of coal in Bilaspur, Chhindwara, Raigarh, Shahdol Sidhi, Jabalpur and Surguja districts; 0.5 million tonnes of fluorite in Durg district; important deposit of diamond in Panna district and large reserves of limestone and dolomite in Bastar, Bilaspur, Durg, Jabalpur, Rewa, Raipur and Satna districts have been estimated.

Decline in Coal Production due to Power Shortage

3519. **Shri Ishwar Chaudhury :**

Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether power shortage has adversely affected the production of coal in coal mines;

(b) if so, the amount of financial loss suffered as a result thereof in each stage; and

(c) the steps taken by Government to meet this situation and the results thereof ?

The Dupty Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Yes, Sir.

(b) It has not been possible to estimate the loss in financial terms.

(c) The matter has been taken up with the concerned Electricity Board especially the Damodar Valley Corporation and the Bihar State Electricity Board, for ensuring regular and adequate supply of power to maintain the tempo of coal production.

कच्छ जिले के एक ग्राम में उच्च-कोटि के सिडराइट खनिज के निक्षेपों का पाया जाना

3520. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात भू-विज्ञान और खनन विभाग द्वारा कच्छ जिले के अखपत तालुक के भूरलई ग्राम में उच्च कोटि के सिडराइट खनिज, जो कि एक कीमती खनिज है, के बड़े निपेक्षों का पता लगाया गया है ;

(ख) क्या 10 मीटर की मोटाई में 40 लाख टन के निक्षेप होने का अनुमान है ;

(ग) क्या इस कीमती खनिज का आयात किया जाता था और क्या अब इस नई खोज के कारण आयात में कमी आएगी ; और

(घ) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जहां यह खनिज पाया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रखी जाएगी।

इस्पात निर्यात के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और दक्षिण कोरिया के बीच समझौता

3521. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने दक्षिण कोरिया को 16 000 टन इस्पात का निर्यात करने के लिए उसके साथ एक समझौता किया है ;

(ख) क्या समझौते पर हस्ताक्षर करते समय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को अन्य विदेशी कम्पनियों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो किन देशों की सरकारी एवं गैर-सरकारी कम्पनियों के साथ यह प्रतिस्पर्धा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने दक्षिण कोरिया के साथ 16,000 टन रेल की पटरी की सप्लाई के लिए एक करार किया है ।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० को जापान की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को उपलब्ध जानकारी के अनुसार जापान की मैसर्स निप्पन स्टील कारपोरेशन यह आर्डर प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी ।

Setting up of Steel Plants in Uttar Pradesh

3522. **Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of Steel and Mines be pleased** to state :

(a) whether Government propose to set up any steel plants in Uttar Pradesh during the next five years;

(b) if so, the names of the places where they would be set up and the time;

(c) the amount of expenditure involved therein ; and

(d) if not, the reasons for which such plants are not being set up there in view of the backward economic condition of Uttar Pradesh?

The Duputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) No. Sir.

(b) & (c) Do not arise.

(c) Production costs would be too high.

Setting up of Steel Plants in Hilly Regions of Uttar Pradesh

3523. **Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of Steel and Mines be pleased** to state :

(a) whether Government propose to set up Steel Plants in the Tarai areas keeping in view the deplorable condition of the hill areas of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the time by which such plants would be set up there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) No, Sir, as the production costs will be too high.

(b) Does not arise.

टेल्को एण्ड ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर (बिहार) के कर्मचारियों को तंग किया जाना

3524. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेल्को एण्ड ट्यूब कम्पनी जमशेदपुर, (बिहार) के हड़ताली कर्मचारियों ने श्रम मंत्री द्वारा 3 जनवरी, 1970 और 24 अप्रैल, 1970 संसद में तथा रेडियो और प्रेस के माध्यम से दिये गये इन आश्वासनों के बाद कि किसी को तंग नहीं किया जायेगा, अपनी हड़ताल 5 जनवरी, 1970 को वापिस लेली थी ;

(ख) क्या उक्त समझौते का उल्लंघन करते हुए 50 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है तथा उन्हें अब भी तंग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उन आश्वासनों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हड़ताल को राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों और उस समय के राज्य श्रम मंत्री द्वारा जारी की गई अपील के फलस्वरूप वापस ले लिया गया था। उस समय के श्रम मंत्री और उस समय के राज्य श्रम मंत्री ने लोक सभा में अप्रैल 23, 1970 को कहा था कि हड़ताल को वापस ले लिए जाने के बाद किसी को तंग नहीं किया जायेगा।

(ख) से (घ) : तेलको और इंडियन ट्यूब कम्पनी में श्रमिकों के कथित बरखास्तगो के सम्बन्ध में अभिवेदन किए गए थे। मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

देश में नौसैनिक स्कूलों का खोला जाना

3525 **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निकट भविष्य में कुछ नये नौसैनिक स्कूल खोले जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में पहले से ही चल रहे ऐसे स्कूलों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नौसेना, चाणक्यपुरी नई दिल्ली में नौसैनिक स्कूल चलाती है जो कि एक मिडिल स्कूल है, तथा विभिन्न नौसैनिक स्थापनाओं में 11 किंडर गार्टेन स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनमें 4 विशाखापत्तनम, 3 बम्बई, तथा लोनावाला, जामनगर, कोचीन तथा गोवा में एक एक है।

कोयला खान (प्रबंध अधिग्रहण) अध्यादेश, 1973 की संवैधानिक वैधता

3526 **श्री मोहम्मद शरीफ :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान (प्रबंध अधिग्रहण) अध्यादेश, 1973 को संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय में अनेक रिट याचिकाएं लम्बित हैं और उनका प्रतिवाद करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अतः मामला न्याय-निर्णयनाधीन है ।

मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय में पदोन्नतियां

3527. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के श्रम प्रवर्तन अधिकारी से लेकर श्रमायुक्त के स्तर के पदों पर सभी पदोन्नतियां अस्थायी आधार पर की जा रही है; यदि हां, तो प्रत्येक ग्रेड के कितने पदों को अस्थायी आधार पर भरा गया है;

(ख) क्या इस प्रकार की अस्थायी नियुक्तियों के महीनों और वर्षों से नहीं भरा जा रहा है, यदि हां, तो किस आधार पर अस्थायी नियुक्तियां की जाती हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की अस्थायी नियुक्तियों को बन्द करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) संघीय लोक सेवा आयोग या विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर नियमित नियुक्तियों के लंबित रहते हुए तदर्थ व्यवस्थाएं की जाती हैं । बहुधा तदर्थ पदोन्नतियां 1971 के दौरान या उसके पश्चात् की गई । सीधी भर्ती या विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें बुलाने के लिए आयोग के पास मांगें पहले ही भेजी जा चुकी हैं ताकि तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों को यथाशीघ्र प्रतिस्थापित किया जा सके ।

राष्ट्रपति भुट्टो को बंगलादेश आने का निमंत्रण

3528. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि शेख मुजीब ने राष्ट्रपति भुट्टो को बंगला देश में आकर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किये गये अत्याचारों को स्वयं देखने के लिये निमंत्रण दिया है;

(ख) क्या यह राष्ट्रपति भुट्टो को शेख मुजीब के साथ बातचीत के लिये परोक्ष रूप से निमंत्रण नहीं है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को इस आशय की अखबारी खबरों की जानकारी है ।

(ख) और (ग) सदन को यह ज्ञात ही है कि शेख मुजीबुर रहमान ने अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट बता दिया है कि वे पाकिस्तान तथा बंगला देश की समान प्रभुसत्ता के आधार पर ही राष्ट्रपति भुट्टो से बातचीत करेंगे। भारत सरकार इस दृष्टिकोण को पूरी तरह समझती है ।

"बम्बई नेवल शो"

3529. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1973 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "ब्यूरोक्रेसी मारस बम्बई नेवल शो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) नगर विमानन प्राधिकारियों ने ऐसी कठिनाइयों की पुनरावृत्ति को रोकने के विचार से इस मामले पर ध्यान दिया है ।

मालंजखण्ड, मध्य प्रदेश में तांबे का पाया जाना

3531. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के मालंजखंड नामक स्थान पर बहुत मात्रा में तांबे के निक्षेप उपलब्ध है जिनका खनन किये जाने पर तांबे की मांग बहुत हद तक पूरी हो सकती है और यदि हां, तो क्या इस स्थान पर उपलब्ध कुल तांबे का कोई अनुमान बनाया गया है और इसके खनन के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड के सहयोग से अभी तक किये गये समन्वेषण कार्य के आधार पर, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के मालंजखंड में 500 लाख टन ताम्र निक्षेप अनुमानित किये गये हैं। आगे का समन्वेषण कार्य प्रगति पर है। हिन्दुस्तान ताम्र लि० द्वारा प्रारम्भिक अध्ययन किये गये हैं। अब साध्यता अध्ययन तैयार करने और कार्य-स्थल पर सांद्रक संयंत्र की स्थापना करने के लिये विदेशी परामर्शदात्री अभिकरण नियुक्त करने का विनिश्चय किया गया है। परामर्शदात्री—करार को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है। मालंजखंड ताम्र निक्षेप में की जा सकने वाली संक्रियाओं की मात्रा को इस समय दर्शित करना संभव नहीं है।

भारत के लिये "हैरियर" विमान

3532. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वायु-सेना को आधुनिक बनाने के लिये "हैरियर" जैसे सीधी उड़ान भरने वाले विमान के उत्पादन करने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : सीधी उड़ान भरने वाले वायुयान का भारत में निर्माण करने के लिये इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विदेशों से राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए करार

3533. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान विदेशों से राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये भारत ने कितने करारों पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) प्रत्येक करार के अन्तर्गत सम्बन्धित देशों को परस्पर क्या लाभ होंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सुलभ सूचना के आधार पर भारत सरकार ने 1 दिसम्बर, 1972 और 1 मार्च, 1973 के बीच विभिन्न सरकारों के साथ 28 करार किये हैं।

(ख) इन करारों में बहुत से विषय आते हैं—जैसे राजनीतिक संबंधों का सुधार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आर्थिक सम्बन्ध, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग आदि। प्रत्येक करार के अमल से भारत और सम्बध देश, दोनों ही लाभान्वित होंगे ।

आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात की जरूरतों को पूरा करने हेतु इस्पात संयंत्रों की क्षमता

3534. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के इस्पात संयंत्रों की वर्तमान क्षमता इस्पात की वर्तमान तथा आगामी पंचवर्षीय योजना की जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने वाली है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। मुख्य इस्पात कारखानों की वर्तमान वार्षिक क्षमता 67 लाख टन विक्रेय इस्पात तैयार करने की है। इसके मुकाबले में राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार 1975 और 1980 में मांग क्रमश: 79 लाख टन और 133 लाख टन होगी।

(ख) इस्पात की क्षमता के विस्तार के लिये जिन बड़ी-बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है उनमें कुछ मुख्य योजनायें हैं: भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार बोकारो इस्पात कारखाने तथा विशाखापत्तनम और विजयनगर में दो नये इस्पात कारखानों की स्थापना।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में बनाये गये उपकरण

3535. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची तथा हैवी इलेक्ट्रीकल्ज लिमिटेड वर्तमान योजनाकाल में तथा आगामी योजना काल में स्थापित किये जाने वाले इस्पात, बिजली और अन्य उद्योगों के लिए उचित समय पर उपकरण सप्लाई करने की स्थिति में हैं;

(ख) क्या बिजली, इस्पात और अन्य भारी उद्योगों के लिये भारी मशीनरी बनाने हेतु सरकार का विचार इस कारपोरेशन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का है अथवा एक नया कारपोरेशन स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) विकसित क्षमताओं के आधार पर भारी इंजीनियरी निगम और हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड चौथी योजना अवधि में इस्पात, विद्युत और दूसरे उद्योगों की आवश्यकतानुसार उपस्करों की आपूर्ति करने की स्थिति में है। सरकार पांचवीं योजना अवधि में इस्पात, विद्युत और दूसरे उद्योगों की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन कर रही है। सरकार द्वारा किये गय अध्ययनों के पूरा हो जाने के पश्चात् ही पांचवीं योजना अवधि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान क्षमताओं को बढ़ाने अथवा नई क्षमतायें लगाने के प्रश्न पर निर्णय किया जायेगा।

मारे गए अथवा अपंग हुए सैनिकों और उनके परिवारों का पुनर्वास

3536. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पाक युद्ध के दौरान मारे गये अथवा अपंग हुये सैनिकों और उनके परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कितने सैनिकों और उनके परिवारों के सदस्यों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) तथा (ख) 1971 के भारत-पाक युद्ध में मारे गय सशस्त्र सेना कार्मिकों की विधवाओं तथा आश्रितों को तथा उक्त युद्ध में लगे घावों के परिणाम स्वरूप स्थाई रूप से अशक्त हुये कार्मिकों को दी गई मुख्य सुविधा उदार पेंशन लाभ है। युद्ध में मृत कार्मिकों की विधवाओं तथा आश्रितों को दिये जाने वाले बढ़े हुये लाभ अथवा बढ़ी हुई पेंशन के बराबर निलम्बित जांच पुरस्कार की राशि सभी पात्र मामलों में दी जा चुकी है। युद्ध में लगे हुये घावों के कारण सेवा से अशक्त करार किये जाने वाले कार्मिकों के मामले में पेंशन लाभों के सम्बन्ध में काम उनके अशक्त किये जाने के तत्काल पश्चात शुरू कर दिया जाता है। चूंकि काफी बड़ी संख्या में अशक्त सैनिक अभी तक विभिन्न सैनिकन हस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, अतः उन्हें सेवा से अशक्त करार किये जाने पर ही उनके मामलों पर विचार किया जायेगा।

2. इसके अतिरिक्त युद्ध में मृत तथा स्थाई रूप से अशक्त कार्मिकों के बच्चे प्रथम डिग्री स्तर तक मुक्त शिक्षा पाने के पात्र हैं, जिसमें पुस्तकों तथा स्टेशनरी, यदि आवश्यक हो तो वर्दी, आवास तथा भोजन का व्यय, जहां बच्चे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन कर रहे हों, का खर्चा भी शामिल है। इन सुविधाओं को पाने के लिये मृत कार्मिकों के सभी पात्र बच्चों को पात्रता-कार्ड जारी कर दिये गये हैं। उन कार्मिकों के मामलों में जिन्हें सेवा से अशक्त करार कर दिया गया है, यह कार्ड उनके अशक्तता आदेशों के जारी होने के पश्चात् संबंधित सेना मुख्यालय द्वारा जारी कर दिये जायेंगे।

3. मृत सैनिकों के दो आश्रितों तक को नौकरी में वरियता प्रदान करने की सुविधा दी गई है। स्थाई रूप से अशक्तों हुये कार्मिकों के मामलों में भी केन्द्रीय सरकार में नौकरी पाने में वरियता दी जायेगी। अपना कारोबार योजना तथा व्यवसाय प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता दिये जाने के भी प्रबन्ध किये गये हैं। यह दो प्रकार की रियायते विभिन्न मंत्रालयों तथा केन्द्रीय सरकार के संगठनों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा दी जा रही हैं। किसी भी स्थाई रूप से अशक्त सैनिक को नौकरी से तब तक नहीं निकाला जाता जब तक उसके अनुरूप कोई नौकरी अथवा निजी रोजगार सम्बन्धी सुविधायें नहीं प्राप्त कर ली जातीं।

सशस्त्र सेना के असैनिक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का प्रस्ताव

3537. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सशस्त्र सेना के असैनिक कर्मचारियों के वतन में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमान्। तथापि तृतीय वेतन आयोग सशस्त्र सेना के कार्मिकों के विभिन्न वर्गों की वेतन संरचनाओं का अध्ययन कर रहा है जिसमें नकद और वस्तुओं के रूप में मिलने वाले लाभ भी सम्मिलित हैं। इस बारे में वेतन आयोग की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न स्टेशनों पर फैमिली क्वार्टरों की संख्या में वृद्धि

3538. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सशस्त्र सेना के विभिन्न स्टेशनों पर फैमिली क्वाटरों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख): विभिन्न स्टेशनों पर सशस्त्र सेना 'कार्मिकों के लिये पारिवारिक मकानों की संख्या में वृद्धि करने तथा तोपों सेनाओं तथा प्रत्येक सेना में विभिन्न रैंकों के बीच एक समान प्रतिशत बनाये रखने का सुनिश्चय करने के लिये एक चरणवार कार्यक्रम शुरू किया गया है?

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए अपेक्षित धन

3539. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये विदेशी सहयोग की मांग की गई है और परिणामत: निर्यात एवं अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता में कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) उक्त कार्य के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी और वह किस संस्थान से प्राप्त होगा।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां।

(ख) चतुर्थ योजना इस्पात विकास कार्यक्रम के एक अंग के रूप में बोकारों तथा भिलाई इस्पात कारखानों में से प्रत्येक का 40 लाख टन क्षमता तक विस्तार करने की योजना है। इन विस्तार योजनाओं के पूरा हो जाने के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की 89 लाख टन पिण्ड की वर्तमान क्षमता बढ़ कर 144 लाख टन पिण्ड हो जायेगी।

सरकार भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला का और विस्तार करने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार के लिए कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करने का विचार नहीं है। विस्तार योजनाओं का रुपांकन और इन्जीनियरी कार्य भारतीय परामर्शदातृ संगठनों द्वारा किया जाएगा। उपस्कर भी यथासम्भव देशीय निर्माताओं से प्राप्त किए जायेंगे। अस्थायी तौर पर 1980 में 18 लाख टन के निर्यात-लक्ष्य पर किया जा रहा है।

(ग) इस बात का पता कि बोकारो और भिलाई के विस्तार के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदनों के, जो इस समय तैयार किए जा रहे है, पूरा हो जाने के बाद ही लग सकेगा ।

सड़क रोलरों का निर्माण

3540. **श्री बसन्त साठे :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितने सड़क रोलरों का निर्माण किया गया और कितने रौलरों का आयात किया गया और उनकी मांग कितनी थी ;

(ख) क्या देश में सड़क रौलरों की कमी विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विकास सम्बन्धी विभिन्न रचनात्मक योजनाओं की प्रगती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं ;

(ग) वर्ष 1970-71 से 1972-73 की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार ने निपटान तथा पूर्ति महानिदेशालय को कितने सड़क रौलरों के लिए मांग पत्र भेजा और उसे कितने सड़क रौलरों की सप्लाई की गई ? और

(घ) देश में सड़क रौलरों की भारी कमी को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों में रोड रौलरों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :

वर्ष	उत्पादन (संख्या में)
1970	335
1971 . . .	336
1972	751

पिछले तीन वर्षों में रोड रौलरों का आयात नहीं किया गया था ।

(ख) इस संबंध में सरकार के पास कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) वर्ष, 1971 के अन्त तक सम्मरण तथा निपटान महानिदेशालय की रोड रोलरों के सम्भरण हेतु फर्मों को सीधे आर्डर दिया करते थे ।इसलिए वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए आर्डरों और उन पर किए गए रोड रौलरों के सम्भरण के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1972-73 के बारे में अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है .

1. सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय को प्राप्त सवस्तु सूची का परिमाण	150 संख्या
2. 1-4-72 से 31-1-73 तक सम्भरित संख्या	77 ,,
3. फरवरी-मार्च, 1973 में सम्भरण हेतु आवंटित परिमाण	20 ,,

(घ) सरकार ने देश की रोड रौलरों की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है:

1. प्रमुख निर्माताओं को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ जटिल प्रकार के हिस्सों का आयात करने हेतु विशेष सहायता दी गई है ।

2. रोड रौलरों के निर्माण हेतु अनेक नई योजनाओं के लिए स्वीकृति दी गई है । इन योजनाओं में कतिपय विद्यमान एककों का विस्तार करना भी सम्मिलित है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने और मिश्र-इस्पात कारखाने में घाटा

3541. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वष के दौरान दुर्गापुर इस्पात कारखाने और मिश्र-इस्पात कारखाने को कितना-कितना घाटा हुआ और संयंत्र को अब तक कुल कितना घाटा हो चुका है ;

(ख) उक्त घाटे के क्या कारण हैं और लगातार हो रहे इस प्रकार के घाटे को रोकने के लिय क्या कार्यवाहीं की जा रही है;

(ग) उक्त कारखाने के विभिन्न एककों के बन्द होने से कुल कितने श्रम-दिवसों की हानि हुई, और

(घ) इन संयंत्रों के विभिन्न एककों/अनुभागों को कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 1971–72 में हुई हानि

	करोड़ रुपये
(i) दुर्गापुर इस्पात कारखाना	27 .52
(ii) मिश्र इस्पात कारखाना . .	5.24
31–3–72 तक हुई कुल हानि	
(i) दुर्गापुर इस्पात कारखाना	313.46
(ii) मिश्र इस्पात कारखाना	29.92

(ख) हानियां कई कारणों से हुई हैं जिनमें क्षमता का कम उपयोग, पूंजीगत खर्चों में बृद्धि, मालिक मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना, लागत में वृद्धि आदि शामिल हैं।

मालिक मजदूर सम्बन्धों की कठिनाईयों के बावजूद कारखानों के प्रबन्धक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रयत्नों में कोक भट्टियों की विशिष्ट मरम्मत, गैस की उपलब्धि बढ़ाने के लिये वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग, ईंधन के साधनों में वृद्धि करने के लिये कुछ भट्टियों में आयल फायरिंग, उपकरणों की अच्छी उपलब्धि के उद्देश्य से रख-रखाव में सुधार, उत्पादन सुविधाओं में असंतुलन को ठीक करने के लिय आवश्यक पूंजीगत कार्यक्रमों को पूरा करने में तेजी लाना, फालतू पुर्जों, उष्मसह तथा अन्य आवश्यक माल को योजनाबद्ध ढंग से प्राप्ति शामिल है। श्रमिकों के झगड़ों और उनकी शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन को अधिकाधिक करने में मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने हेतु दुर्गापुर में एक त्रिस्तरीय सलाहकार मशीनरी बनाई गई है।

(ग) और (घ): जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

एम० ए० एम० सी० में कर्मचारियों की भर्ती

3542. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान एम० ए० एम० सी० लिमिटेड, दुर्गापुर में कितने व्यक्ति भर्ती किये गये;

(ख) उक्त भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई; और

(ग) क्या ये भर्ती उद्योग की आवश्यकता का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद की गई थी और क्या यह भर्ती सरकारी और अर्ध-सरकारी संगठनों के लिए निर्धारित भर्ती नीति के अनुरूप है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम लि०, दुर्गापुर ने 1971-72 में 277 और अप्रैल, 1972 से फरवरी, 1973 तक 389 व्यक्ति भर्ती किए हैं। इन आंकड़ों में चिट्ठा कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

(ख) 400-950 रुपये और अधिक के वेतनमान वाले पदों पर भर्ती देश के बड़े-बड़े समाचार-पत्रों में विज्ञापनों द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। निचले वर्गों के तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों, स्थानीय विज्ञापनों के आधार पर प्रार्थना-पत्र देने वाले उम्मीदवारों तथा निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों में से की जाती है :—

(1) प्रायोजना के लिए अर्जित किए गए क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्ति

(2) सरकारी उपक्रमों के फालतू कर्मचारी

(3) अनुसूचित जाति/जन-जाति के व्यक्ति

(4) भूतपूर्व सैनिक, लड़ाई में मारे गए फौजी कर्मचारियों के आश्रित, निगम के सेवा-निवृत्त मृत कर्मचारी का पुत्र/पुत्री/पत्नी/निकट संबंधी।

(ग) जी, हां।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से सामान की चोरी

3543. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और मिश्र-इस्पात संयंत्र से लाखों रुपये के मूल्य का सामान चोरी चला गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान चोरी के कारण कुल कितना घाटा हुआ और क्या इन चोरी की घटनाओं के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(ग) इस प्रकार की राष्ट्रीय क्षति को रोकने के लिए और अपराधियों को दण्ड देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों का अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में पुनर्वास

3544. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 2 वर्षों के दौरान अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में पूर्वी बंगाल से आये कितने शरणार्थियों का पुनर्वास किया जा चुका है; और

(ख) हर परिवार को किस प्रकार की सुविधायें दी गयीं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 1971 और 1972 के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के किसी नए परिवार को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में नहीं भेजा गया था। फिर भी पहले भेजे गए 562 परिवार मिडिल अण्डमान, नील और लिटिल अण्डमान में पुनर्वास के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) नील द्वीप को छोड़कर, जहां प्रत्येक परिवार को धान की खेती के लिए 3 एकड़ तथा बागान के लिए 2 एकड़ भूमि दी गई है, प्रत्येक कृषक परिवार को 5 एकड़ कृषि तथा एक तिहाई एकड़ भूमि आवास के लिए दी गई है। इसके अलावा निम्नलिखित वित्तीय सहायता भी मंजूर की गई है :—

I. सहायता की मदें	वित्तीय सीमा
अनुदान निर्धारित दर पर पुनर्वास के प्रथम वर्ष में छः माह की अवधि के लिए अधिक से अधिक 75/- रु० प्रति माह प्रति परिवार भरण पोषण अनुदान।	
II. ऋण सहायता	
(*i*) पुनर्वास के द्वितीय वर्ष में छः माह की अवधि के लिए उक्त (i) में वर्णित दर की आधी दर पर भरण पोषण सहायता।	(रुपयों में)
(*ii*) आवास ऋण	2,000
(*iii*) हल चलाने के जानवर खरीदने के लिए	800
(*iv*) कृषि औजार तथा संयंत्र आदि की खरीद के लिए	400
(*v*) बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि की खरीद के लिए	1,500
(*vi*) धान की खेती में मेंड बन्दी तथा भूमि संरक्षण उपाय	1,200
(*vii*) सहायक आमदनी के लिए	800
(*viii*) कुएं खोदने के लिए	200

लघु व्यापारी परिवारों के लिए सहायता की पद्धति में व्यवसाय एवं आवासीय कार्यों के लिए 2/3 एकड़ भूमि, पुनर्वास के प्रथम वर्ष में अधिक से अधिक तीन महीने के लिए अधिकतम 75/- रुपये प्रति परिवार प्रति माह की निर्धारित दर पर भरण पोषण अनुदान और अधिक से अधिक 2000/- रुपये तथा 5000/- रुपये क्रमशः आवास ऋण तथा लघु व्यापार ऋण।

पुनर्वास परियोजनाओं में शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधायें भी प्रदान की गई हैं।

एम० ए० एम० सी० लिमिटेड, दुर्गापुर के तैयार माल का अधिक मूल्यांकन

3545. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार**: क्या भारी **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक के अर्ध-वार्षिक तुलनपत्रों के लिए माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर में तैयार माल का अधिक मूल्यांकन किया गया था ;

(ख) क्या उपर्युक्त दोनों स्टाक शीटों में दिखाये गये सभी सामान वस्तुतः उस समय वहां थे, और उस अवधि की स्टाक शीटों में दिखाया गया मुख्य सामान कब भेजा गया था;

(ग) क्या नियंत्रक तथा लेखा महापरीक्षक और वाणिज्यिक लेखा परीक्षा अधिकारी उक्त अधिक मूल्यांकन की जांच कर रहे हैं; और

(घ) क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) खान और सम्बद्ध मशीनरी निगम के 31 मार्च, 1972 को तैयार उत्पादों के मूल्यन की लेखा परीक्षा वैध लेखा-परीक्षकों और वाणिज्य लेखा परीक्षक निदेशालय द्वारा की गई थी। उनकी रिपोर्ट पर खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम के निदेशक मण्डल ने विचार किया था और उन्होंने परीक्षित मूल्यन को स्वीकार किया था। मूल्यन के आधारों का वर्णन खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट (1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972) जिसे 22 दिसम्बर, 1972 को सभापटल पर रखा गया था के परिशिष्ट-पृष्ठ 36 में दिया गया है जो 1971-72 के लेखे का एक भाग है। कोई अधि-मूल्यन नहीं किया गया है।

30-9-72 को तैयार उत्पादन का मूल्यन खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम के प्रबन्धकों की सुविधा के लिए किया गया था। मूल्यन की लेखा परीक्षा नहीं की गई है और 30-9-72 की स्थिति का प्रमाणिक तुलन पत्र तैयार नहीं किया गया था।

(ख) तैयार उत्पादों के स्टाक की वास्तविक जांच की गई थी और यह माल 31-3-72 को कम्पनी के पास था।

(ग) और (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मजदूर संघों के बीच विवाद

3546. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में दुर्गापुर संयंत्र और मिश्र-इस्पात संयंत्र में ठेकेदारों और मजदूरों के बीच हुए विवादों और मजदूर संघों के पारस्परिक टकराव के कारण कुल कितनी घटनायें हुईं;

(ख) इस प्रकार की घटनाओं के लिए उत्तरदायी मजदूर संघों के नाम क्या हैं और वे किन-किन केन्द्रीय मजदूर संघों से सम्बद्ध हैं;

(ग) क्या इन घटनाओं के परिणामस्वरुप पूरे कारखाने अथवा उसके किसी भाग विशेष में कार्य बन्द हो गया था; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं के कारण संयंत्रों को कितना घाटा हुआ और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) मामला अनिवार्य रुप से राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। इस विषय पर श्रम मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को रिहायशी आवास उपलब्ध कियां जाना और मकान किराया भत्ता दिया जाना।

3547. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और मिश्र-इस्पात संयंत्र में कुल कितने श्रमिक। काम कर्मचारी/कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को पूर्ण ग्रावास सुविधा उपलब्ध है; ग्रौर

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता / ग्रार्थिक सहायता देने के लिए क्या कार्यावाही की जा रही है, जिन्हें क्वार्टर नहीं मिले हैं ?

इस्पात ग्रौर खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) ग्रद्यतन जानकारी प्राप्त की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों का बसाया जाना

3548. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी :** क्या **श्रम ग्रौर पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों के कितने परिवारों को बसाया गया है; ग्रौर

(ख) प्रत्येक परिवार को दी गई सुविधाग्रों का क्या ब्यौरा है ?

श्रम ग्रौर पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 100 परिवार।

(ख) (i) साफ की हुई 10 एकड़ भूमि खेती के लिए ग्रौर एक एकड़ ग्रावास के लिए।

	राशि (रुपयों में)
(ii) घर से कैम्पबेल की खाड़ी (ग्रेट निकोबार) तक मुफ्त परिवहन	600
(iii) सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मुफ्त राशन :	
(क) प्रथम वर्ष 100% की दर से 1800/- रुपये	
(ख) द्वितीय वर्ष 75% की दर से 1350/- रुपये . .	4,050
(ग) तृतीय वर्ष 50% की दर से 900- रुपये . .	
(iv) घरेलू सामान तथा बर्तनों ग्रादि के लिए ग्रनुदान	2,500
(v) कृषि ग्रौजार तथा पशु ग्रादि की खरीद के लिए ग्रनुदान	3,000
(vi) गृह निर्माण के लिए ग्रनुदान	5,000
(vii) बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशकों के लिए ग्रनुदान	2,500

दुर्गापुर स्थित उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ते की ग्रदायगी

3549. **श्री रोबिन सेन :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता तथा ग्रन्य बड़े शहरों, जहां नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाता है, की तुलना में ग्रधिक निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए दुर्गापुर स्थित विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने की ग्रावश्यकता पर विचार कर रही है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसे कब से लागू किया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एम० ए० एम० सी० लि० दुर्गापुर द्वारा अदा किया गया समयोपरि भत्ता

3550. **श्री रोबिन सेन :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० ए० एम० सी० लि० दुर्गापुर के प्रवन्धकों ने वित्तीय वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान समयोपरि भत्ते और प्रोत्साहन राशि के रूप में कितनी राशि अदा की;

(ख) उपर्युक्त दो "शीर्षों" पर व्यय में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) क्या उक्त वार्षिक वृद्धि बढ़े हुए उत्पादन और उत्पादकता के अनुरूप है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के वित्त वर्षों में खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम द्वारा समयोपरि भत्ते और प्रोत्साहन के रूप में किया गया भुगतान इस प्रकार है।

(लाख रुपयों में)

	1970–71	1971–72	1972–73 (प्रत्याशित)
प्रोत्साहन . . .	10.61	24.51	34.62
समयोपरि भत्ता	3.35	7.56	10.45

(ख) पिछले वर्षों की तुलना में 1971-72 और 1972-73 में समयोपरि भत्ता और प्रोत्साहन खर्च में वृद्धि की प्रतिशतता इस प्रकार हैं :—

	1971–72	1972–73
प्रोत्साहन	131%	41%
समयोपरि भत्ता	126%	52%

(ग) 1970-71 की तुलना में 1971-72 में उत्पादन 54.9% अधिक हुआ। वर्ष 1972-73 में उत्पादन 1971-72 से 30% अधिक होने की आशा है।

जबकि 1970-71 से 1972-73 तक शिब्बन्दी के खर्चे में 26% की वृद्धि हुई इस अवधि में उत्पादन में 103% और उत्पादन के मूल्य में 210% की वृद्धि हुई। अतः 1971-72 और 1972-73 में प्रोत्साहन और समयोपरि खर्च में वृद्धि इन वर्षों में उत्पादन और उत्पादिता में हुई वृद्धि के अनुरूप है।

त्रिचूर, केरल में कर्मचारी भविष्य निधि के उप-क्षेत्रीय कार्यालय का खोला जाना

3551. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिचूर, केरल में कर्मचारी भविष्य निधि का उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि से सम्बद्ध किसी संघ से सरकार को कोई ज्ञापन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने के सामान्य प्रश्न, जिसमें त्रिचूर में भी एक उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलना शामिल है, पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) मैसर्स कालीकट माडर्न स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, डाकघर चेलाम्बरा, कालीकट की दो कर्मचारी यूनियनों और कुछ अन्य ट्रेड यूनियनों ने केन्द्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं, जिनमें यह प्रार्थना की गई है कि केरल के केन्द्रीय स्थान में भविष्य कर्मचारी निधि संगठन का एक उप कार्यालय खोला जाय। प्रस्ताव पर विचार करते समय इन सभी ज्ञापनों को ध्यान में रखा जायेगा।

शिमला में तीन जवानों की मृत्यु

3552. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1973 में शिमला में एक कमरे में तीन सैनिक कर्मचारी मृत पाए गए थे; और

(ख) इस बारे में की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) एक जांच अदालत द्वारा मामले की जांच की जा रही है, जांच के परिणाम के संबंध में एक नोट सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

पाकिस्तान में कैदी बनाये गए इण्डियन मर्चेन्ट के नाविकों को रिहा करना

3553. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 के युद्ध के पश्चात से अभी तक अनेक मर्चेन्ट नाविक पाकिस्तान की कैद में हैं ?

(ख) इन व्यक्तियों की कितनी संख्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन को रिहा कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) कुछ भारतीय व्यापारी नाविक 1971 के युद्ध के समय से लेकर अब तक पाकिस्तानी जेलों में थे। भारत सरकार उन्हें छुड़ाने के लिए बराबर प्रयत्न करती रही और उसके परिणामस्वरूप शनिवार, 10 मार्च, 1973 को पाकिस्तानी हिरासत में से 79 भारतीय नाविकों को बाघा सीमा पर भारत वापस भेज दिया गया।

मध्य प्रदश के कपड़ा मिलों में हड़ताल

3554. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय:

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1973 में मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलों में हड़ताल हुई थी;

(ख) श्रमिकों की मांगें क्या थीं; और

(ग) श्रमिकों की मांगें पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन्दौर और उज्जैन की 11 कपड़ा मिलों में श्रमिकों ने सवेतन स्वाधिकार छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी तथा बोनस की वृद्धि संबंधी अपनी मांगों के समर्थन में 20 फरवरी, 1973 से हड़ताल की थी। संबंधित पक्षों में राज्य श्रमायुक्त के समक्ष यह समझौता होने के बाद कि विवादास्पद विषयों को पंच फैसले के लिए राज्य के मुख्य मंत्री के पास भेजा जाय, उज्जैन की चार कपड़ा मिलों में हड़ताल पहली मार्च, 1973 को समाप्त हो गई। यह भी प्रतीत होगा कि इन्दौर की कपड़ा मिलों की हड़ताल राज्य के मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप के पश्चात्, 2 मार्च, 1973 को समाप्त हो गई।

भारी मशीनरी का निर्माण करने वाले उद्योगों की क्षमता

3555. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उपकरणों/मशीनरी की मांगों को पूरा करने के लिए, भारी उपकरणों/मशीनरी का निर्माण करने वाले वर्तमान निगम/संयंत्र सक्षम हैं, अथवा उनके सक्षम हो जाने की आशा है ;

(ख) यदि नहीं, तो भारी उपकरण/मशीनरी के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना की मांग की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ख). पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भारी उपकरणों और मशीनरी की मांग और इस मांग को पूरा करने की विभिन्न कारखानों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है। यह मूल्यांकन कर लेने के पश्चात् इस मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय किए जायेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्रों की सप्लाई पुनः आरम्भ किए जाने का समाचार

श्री समर गुह (कन्टाई) : माननीय मंत्री को अपना वक्तव्य लगभग आध घण्टा पहले हमें उपलब्ध कराना चाहिए था। परन्तु यह केवल एक मिनट पूर्व ही हमें दिया गया है। आप इस बारे में आवश्यक अनुदेश जारी करें।

अध्यक्ष महोदय : इसका कहना यह है कि वह इसे पढ़ देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं **विदेश** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई पुनः आरम्भ की जाने के प्रस्ताव के संबंध में अमरीकी विदेश विभाग के श्री जेम्स सिम्बो का कथित वक्तव्य।"

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : वाशिंगटन में विदेश विभाग ने कल सरकारी तौर पर यह घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने पर लगाई गई रोक तत्काल समाप्त करता है। इसके फलस्वरूप पाकिस्तान को तत्काल ही 300 बक्तरबन्द सैनिक गाड़ियां, अमरीकी वक्तव्य के अनुसार जिनका मूल्य 1 करोड़ 30 लाख डालर बताया गया है, और 11 लाख डालर मूल्य के वायुयान-इंजिन, सैनिक सामान के अतिरिक्त पुर्जे तथा पैराशूट भी मिलेंगे। घोषणा से यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त राज्य अमरीका सरकार पाकिस्तान को अघातक सैन्य उपस्कर प्राप्त करने की अनुमति देने के साथ ही साथ अमरीका द्वारा पाकिस्तान को पहले दिए गए घातक हथियारों के फालतू पुर्जे प्राप्त करने की भी अनुमति देगी।

पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा हथियारों की सप्लाई फिर शुरू करने पर कल हमने अपनी गम्भीर चिन्ता प्रकट की थी तथा यह आशा व्यक्त की थी कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार हथियारों की सप्लाई के निहित परिणामों पर अच्छी तरह विचार करेगी तथा हथियारों की सप्लाई नहीं करेगी। कल नयी दिल्ली में हमारे विदेश सचिव ने अमरीकी राजदूत को इस विषय पर हमारी तीव्र भावना से अवगत कराया क्योंकि इससे भारत-अमरीकी सम्बन्धों तथा इस उपमहाद्वीप की स्थिति को सामान्य बनाने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत भी इस निर्णय पर हमारी गंभीर चिन्ता से अमरीका को अवगत कराने के लिए तत्काल इस विषय को संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के साथ उठा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने अपनी पुरानी नीति में परिवर्तन नहीं किया है। अमरीकी सरकार जो कुछ कहती है उसको उसी रुप में यहां पर स्वीकार कर लिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि आरमर्ड पर्सनल कैरियर घातक हथियारों की श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं? मेरे विचार में यह घातक हथियार हैं और सैनिकों को सीमाओं पर ले जाने तथा उनकी रक्षा के काम आते हैं, अतः सरकार को अमरीका के कहने के अनुसार इन्हें गैर-घातक हथियार नही मान लेना चाहिए।

फालतू पुर्जों के मिलने से पाकिस्तान के पुराने, खराब हुए उपकरण पुनः ठीक हो जायेंगे। अमरीकी स्टेट वियाना के एक अधिकारी के कहने के अनुसार अमरीका पहले किये गये सौदों का सामान सप्लाई कर रहा है, क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है कि ये सौदे क्या हैं? क्या इनमें घातक हथियारों के सौदे भी शामिल है। तथाकथित 'वन टाइम एक्सटेंशन रूल' के अन्तर्गत अमरीका ने 1965 के युद्ध के बाद भी पाकिस्तान को उपकरण दिये थे। इस रूल के अन्तर्गत अमरीका पुराने वायदों को पूरा कर रहा है।

अमरीका सरकार की ओर से बार बार यह कहा गया है कि कोई अन्य देश बिना अमरीका कीअनुमति के पाकिस्तान को अमरीकी हथियार सप्लाई नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि

अमरीका की सहमति से ऐसा संभव है। इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि अमरीका पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार तथा सहायता दे रहा है। तुर्की आदि से भी पाकिस्तान को यह सहायता दे सकता है क्योंकि तुर्की को भी ऐसे हथियार अमरीका से मिले है।

इस बारे में देश में जो गंभीर चिन्ता व्यक्त की जा रही है माननीय मंत्री उसे अपने वक्तव्य में व्यक्त करने में असफल रहे हैं।

1971 में जब अमरीका ने हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाई थी तब भी अनेक जहाज सैनिक सामग्री लेकर पाकिस्तान की ओर जा रहे थे और कुछ जहाजों में न्यूयार्क में उपकरण भरे जा रहे थे। अतः पिछले अनुभव के आधार पर ही माननीय मंत्री को अपने वक्तव्य में ऐसी कोई बात कहनी चाहिए थी।

अमरीकी पत्रिकाओं में यह प्रकाशित हुआ था कि पाकिस्तान द्वारा पूर्वी बंगाल में कार्यवाही शुरु किये जाने के पश्चात अमरीका ने पाकिस्तान को लगभग पांच लाख डालर मूल्य के फालतू पुर्जे सप्लाई किये थे। हालांकि अमरीकी सरकार ने हथियारों की सप्लाई पर उस समय प्रतिबन्ध लगाया हुआ था। अमरीका के जनरल एकाउटिंग आफिसर के कहने के अनुसार अमरीका ने पाकिस्तान को 1965 के बाद से 113 मिलियन डालर के हथियार सप्लाई किये हैं।

ऐसा लगता है कि अमरीका का ध्येय पाकिस्तान को अपने अड्डे के रुप में बनाये रखना है और दूसरे भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सुधारने से रोकना है। अमरीका पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों के हाथ मजबूत करना चाहता है। इस प्रकार वह भारत पर दबाव डालना चाहता है जिससे देश अपने साधनों के विकास कार्यों में न लगा रह कर रक्षा मामलों पर लगा रहे। माननीय मंत्री को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि अमरीका की एशिया, विश्वव्यापी तथा इस उप-महाद्वीप के संबंध में नीति के बारे में उनका मूल्यांकन क्या है?

क्या अमरीकी राजदूत को कहा गया है कि वह अपनी सरकार को सूचित करें कि हम अमरीका की इस कार्यवाही को एक अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही समझते हैं? क्या सरकार अमरीका को प्रसन्न करने की नीति को छोड़ेगी?

आज के स्टेट्समैन में यह प्रकाशित हुआ है कि वाशिंगटन स्थित हमारे दूत इस बात को अमरीकी सरकार के साथ उठा रहे हैं। प्रश्न यह है कि हमारे राजदूत को इस बारे में पहले खबर क्यों नहीं लगी? अमरीका के इस रवैये की निन्दा के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प पास किया जाना चाहिए और अमरीका के इस रवैये की कठोर शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

श्री स्वर्ण सिंह: माननीय सदस्य ने जो भावनायें व्यक्त की है वह इस सदन तथा इस समूचे देश की भावना है। उन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है मैं उससे सहमत हूं। अमरीका की इस कार्यवाही से हमारे लिए एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इससे पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के हमारे प्रयासों को भी धक्का लगेगा।

आरमर्ड पसर्नल कैरियर घातक हथियार हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं हैं। अमरीकी सरकार का कहना है कि इसके बाद उन्हें घातक हथियार सप्लाई नहीं किये जायेंगे। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि फालतू पुर्जों की सप्लाई में पाकिस्तान की मार करने की शक्ति बढ़ जायेगी। इससे हमारी सुरक्षा

को खतरा है। इसके अतिरिक्त अमरीका का इरादा पाकिस्तान को लड़ाकू विमान अथवा बमवर्षक विमान देने का नहीं है। अमरीका अपने शब्दों पर स्थिर रहता है अथवा नहीं यह एक अलग बात है। हमारा पहला अनुभव इसके विपरीत है। समय समय पर अमरीकी सरकार की ओर से यह कहा गया है कि ईरान तथा तुर्की को सप्लाई किया गया सामान पाकिस्तान को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। एक बार यह कहा गया था कि पाकिस्तान को सप्लाई किया जाने वाला सामान भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं होगा। परन्तु हमने इस स्थिति को कभी भी स्वीकार नहीं किया। हमें पता है कि ईरान ने पहले भी पाकिस्तान को सैनिक सामान विशेषकर लड़ाकू जेट विमान सप्लाई किये थे। प्रतिरक्षा के बारे में योजना बनाते समय हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं।

अमरीका की इस कार्यवाही से पाकिस्तान को निश्चय ही प्रोत्साहन मिलेगा और इससे शिमला समझौते को क्रियान्वित करने में बाधा पड़ेगी। इससे पाकिस्तान के सैनिक तत्वों के हाथ भी मजबूत होंगे। इससे हमारे ऊपर भी अधिक जिम्मेदारी आती है कि हम भी अपनी सुरक्षा के लिए और अधिक प्रबन्ध करेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इससे हमारे ऊपर और बोझा पड़ेगा।

हमने सदा इस बारे में अपनी स्थिति को स्पष्ट करके कहा है और हमने अमरीका द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को हथियार देने का विरोध किया है। यह कहना गलत है कि हमने अमरीका को प्रसन्न करने की नीति अपनाई है। हमें साहस तथा दृढ़ता से स्थिति का सामना करना है और सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त कार्यवाही करनी है।

हमारे राजदूत ने अमरीकी प्रशासन को हमारी नीति के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है, यह कहना गलत है कि उन्होंने अपना कार्य नहीं किया है।

पिछले कुछ महीनों से हमारे पास इस बात की जानकारी थी कि अमरीका हथियारों की सप्लाई पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के लिए गम्भीरता से विचार कर रहा है। हमारे राजदूत ने हमारे दृष्टिकोण को अमरीकी सरकार को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि इससे श्री भुट्टो का रवैया सख्त होगा और इससे इस उप-महाद्वीप की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के परिणामस्वरूप भारतीय उप-महाद्वीप में शान्ति को गम्भीर ख़तरा पैदा हो जायेगा और अमरीका के साथ हमारे सामान्य सम्बन्ध बनाये जाने में भी बाधा पड़ेगी । पाकिस्तान अमरीका, चीन और ईरान तथा कुछ अन्य देशो से सैनिक उपकरण प्राप्त कर रहा है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री भुट्टो ने शिमला समझौते की भावना को समाप्त कर दिया है । भारतीय उप-महाद्वीप में स्थाई शान्ति स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य समाप्त हो गया है । अमरीका के चीन और रूस के साथ सम्बन्धों के बारे में नई नीति और वियतनाम के शन्ति समझौते से स्पष्ट था कि अब अमरीका युद्ध और तनाव का क्षेत्र बढ़ाना नहीं चाहता । अब वह शान्ति, समझदारी और सहयोग का क्षेत्र बढ़ाने में रूचि रखता है । इसी लिये भारत की जनता को अमरीका की इस कार्यवाही से धक्का पहुँचा है क्योंकि ऐसा करने से भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार से तनाव कम नहीं होगा । अमरीका द्वारा हथियार सप्लाई किये जाने के कारण ही पाकिस्तान ने भारत के साथ एक दशक में तीन बार युद्ध किया । वर्ष 1954 में अमरीका का पाकिस्तान को हथियार देने के बारे में यह तर्क था कि पाकिस्तान को साम्यवादियों से खतरा है और भारत को आश्वासन भी दिया गया था कि वे पाकिस्तान को वे हथियार भारत के विरूद्ध प्रयोग नहीं करने देंगे । परन्तु अब उनका कहना है कि वे पाकिस्तान की रक्षा क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और उसकी अखण्डता

सुनिश्चित करना चाहते है । एक ओर वे उप-महाद्वीप में स्थाई शान्ति की दुहाई देते हैं और दूसरी ओर जलती आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई से जनरल टिक्का खां के हाथ मज़बूत होंगे और वहां पर लोकतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो जायेगी । हथियारों की सप्लाई सीधे पाकिस्तान को ही नही बल्कि ईरान के माध्यम से भी की जा रही है । ईरान ने हाल ही 3 बिलियन डालर के मूल्य के हथियार प्राप्त करने के लिये अमरीका के साथ समझौता किया है । फिर ईरान ने पाकिस्तान के साथ सैनिक साठगांठ कर रखी है । भारत-पाक युद्ध के बाद उन्होंने संयुक्त सैनिक अभ्यास भी किये है । अतः हमारे विचार में यह 3 बिलियन के मूल्य के हथियार भी ईरान के माध्यम से पाकिस्तान ही पहुंचेंगे । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे दूत ने अमरीका को अभ्यावेदन दिया था तब अमरीका की क्या प्रतिक्रिया थी और जब श्री मोयनिहान नई दिल्ली में विदेश सचिव से मिले थे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अमरीका से 910 लाख डालर के संचार उपकरण खरीदने पर विचार कर रही है अथवा वे इन उपकरणों को किस अन्य साधन से प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ? क्या सरकार अमरीका से विशिष्ट रूप से यह पूछेगी कि क्या ईरान को दिये जाने वाले हथियारों को पाकिस्तान को दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा और क्या सरकार बंगला देश के साथ परामर्श करके अमरीका से संयुक्त रूप से विरोध प्रकट करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने के परिणामस्वरूप उप-महाद्वीप में स्थाई शान्ति स्थापित करने और अमरीका के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने में बाधा पड़ेगी । जब हमने अमरीकी सरकार के साथ इस सम्बन्ध में बात-चीत की तब उन्होंने हथियार सप्लाई करने का अपना इरादा बताया था और अब प्रतिक्रिया यह है कि उन्होंने हथियार सप्लाई करने आरम्भ कर दिये हैं । जहां तक अमरीका से अन्य उपकरण खरीदे जाने का सम्बन्ध है, में माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह यह प्रश्न उपयुक्त समय पर रक्षा मंत्री से पूछें ।

श्री समर गुह : श्री सिस्को ने कहा है कि हम पाकिस्तान को गैर-घातक सामान देने के साथ-साथ भारत को भी 910 लाख डालर मूल्य के संचार उपकरण देने पर सहमत हैं । अतः मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी चिन्ता और हमारा विरोध इस प्रकार का वक्तव्य देने मात्र से समाप्त नहीं हो जाता है । जहां तक ईरान द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने की बात है, वह किसी हद तक सम्भव हो सकता है यद्यपि अमरीका का यह कहना है कि बिना उनकी अनुमति के ईरान ऐसा नहीं कर सकता । फिर ईरान और पाकिस्तान 'सेंटो' के सदस्य भी है अतः दोनों देशों में सैनिक करार भी है । बंगला देश ने भी अमरीका के इस निर्णय के विरूद्ध काफ़ी रोष प्रकट किया है ।

श्री प्रिय रंजनदास मुन्हरो (कलकत्ता दक्षिण): गत दो या तीन महीने से हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम अमरीका के साथ अपने सम्बन्ध पुनः सामान्य बना रहे है मानो हमने अमरीका के साथ पहले कोई ज्यादती कर दी हो । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका ने भारत के साथ मित्रता स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है जिससे उप-महाद्वीप के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे । यदि यह बात ठीक है तो वह पाकिस्तान को हथियार क्यों सप्लाई कर रहा है ? यह कहना गलत हैं कि वह अपने वचन का पालन कर रहा है । इस सहायता का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान अमरीका की नीति का अनुसरण करे । सम्भव है कि शिमला समझौता निक्सन प्रशासन को अच्छा न लगा हो ।

यदि अमरीका की नीति इस उप-महाद्वीप की शान्ति भंग करने के लिये हथियार देने की है तो हमारी सरकार और विदेश मंत्री उसके साथ अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने की बातें क्यों करते हैं। हमारे विदेश मंत्री को आज सभा में यह कहना चाहिये था कि हम अमरीका के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने में असफल रहे हैं क्योंकि अमरीका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है जो इस महाद्वीप और भारत के खिलाफ कार्यवाही है। आज हमारे विदेश मंत्री को अमरीका के विदेश मंत्री को बता देना चाहिये कि भारतीय सरकार पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की अमरीकी सरकार की नीति की कड़ी निन्दा करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को 10 लाख पौंड के अमरीकी हथियार मिले हैं जबकि पाकिस्तान को 7930 लाख पौंड के हथियार मिले हैं। वास्तव में अमरीका इस उप-महाद्वीप में शान्ति स्थापित नहीं होने देना चाहता। हमें निक्सन प्रशासन को बता देना चाहिये कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के कारण भारत और अमरीका के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने के काम को काफ़ी धक्का पहुंचा है। विदेश मंत्री को एक ऐसा वकतव्य देना चाहिये जिसमें जनता की भावनाएं प्रदर्शित हों और जिससे हमारी सरकार की साम्राज्यवाद के विरूद्ध नीति परिलक्षित हो।

श्री स्वर्ण सिंह: अमरीका सरकार का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान को जो पहले वचन दिया हुआ है उसमें से वह सैनिकों को ले जाने वाली बख़तरबन्द गाड़ियों के बारे में अपना वचन पूरा कर रही है और कोई घातक हथियार नहीं दिये जा रहे हैं। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वह इस बात पर कहां तक कायम रहते हैं। परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे फ़ालतू पुर्जों को सप्लाई करने से जिनसे घात्तक हथियारों को फिर चलाने योग्य बनाया जा सके, पाकिस्तानी सेना की क्षमता बढ़ जायेगी। इसमें कोई संदेह नही है।

जब अमरीका ने इसका संकेत दिया है कि वे पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहे है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार की गुंजाइश है? मैंने संसद में पहले भी इस आशय का वक्तव्य दिया है कि अमरीका द्वारा हथियार सप्लाई किये जाने से हमारे उसके साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने में बाधा उपस्थित होगी। परन्तु जब तक वास्तव में हथियार सप्लाई कर नही दिये जाते तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस बात का प्रयत्न करते रहे कि वे यथा सम्भव सप्लाई न किये जाये। हमने अमरीका को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि पाकिस्तान को हथियार देने से हमारे उनके सम्बन्धों को सामान्य बनाने में रुकावट पड़ेगी।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : प्रत्येक देश को किसी भी देश से हथियार खरीदने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान ने अमरीका से ही हथियार नहीं बल्कि रूस से भी टैंक प्राप्त किये है। परन्तु अमरीका द्वारा पाकिस्तान को घातक हथियार सप्लाई करने पर वर्ष 1971 में लगाया गया प्रतिबन्ध हटा लेने की यदि हम स्पष्ट शब्दो में निन्दा नहीं करते अथवा इसको अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही नहीं बताते तो इसका अर्थ यह होगा कि हमें अपने कर्तव्य का अहसास नहीं है। उपरोक्त प्रतिबन्ध का तात्पर्य यह था कि जब तक उप-महाद्वीप में स्थिति समान्य नहीं हो जाती तब तक यह प्रतिबन्ध लगा रहेगा। इस सम्बन्ध में हमें श्री सिसको के उस वक्तव्य पर ध्यान देना चाहिये जिसमें उन्होंने हथियारों की सप्लाई को सैनिक असन्तुलन और शक्ति सन्तुलन आदि का नाम दे कर उचित करार दिया है हमें अमरीका को चेतावनी देनी चाहिए कि उसे हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। हमारा विचार यह था कि शिमला समझौता हो जाने के बाद सैनिक व्यय में कटौती हो जायेगी और वह धन-राशि आर्थिक पुनर्निर्माण पर खर्च की जा सकेगी। परन्तु बड़ी शक्तियों की इस प्रकार की नीति के परिणामस्वरुप इस उप-महाद्वीप में निरन्तर तनाव बना रहेगा और दोनों देशों का राष्ट्रीय रक्षा बजट और भी बढ़ेगा। हमें अमरीका की जनता तक अपने विचार

3 LSS/73—8.

पहुँचाने चाहिये ताकि वहां पर अमरीका की इस कार्यवाही के विरोध में जनमत तैयार किया जा सके। जब पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है तो हमें पाकिस्तान और श्री भुट्टो को भी इस बात से अवगत कराना चाहिये कि वहां पर लोक तंत्र पर सैनिक तंत्र के प्रभुत्व का खतरा है। अन्त में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अमरीका ने भारत के सम्बन्ध में भी यह प्रतिबन्ध हटा लिया है और क्या संचार और रडार उपकरणों सहित घातक और गैर-घातक हथियार भारत को उपलब्ध किये जा रहे है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि हमें अमरीका की जनता को उप-महाद्वीप की घटनाओं और समस्याओं से अवगत कराना चाहिये और वहां पर जनमत तैयार करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यदि हम श्री भुट्टो से यह कहे कि सैनिक सहायता प्राप्त करने से जनरल टिक्का खां की स्थिति अधिक मजबूत होगी तो उसका उत्तर यह मिलेगा कि वह इस बात को अच्छी तरह जानते है कि उनके लिये कौन सी बात अधिक श्रेयस्कर है। जहां तक भारत द्वारा हथियार खरीदे जाने का सम्बन्ध है उसका वर्तमान स्थिति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अमरीका पाकिस्तान और भारत की तुलना करने का प्रयत्न करता है ताकि भारत और विश्व के अन्य भागों में रहने वाले लोगों पर उनकी नीति का कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। इस प्रकार की तुलना वान्छनीय नहीं है। पाकिस्तान के हथियार अधिकतर अमरीका के बने हुए है और यदि उन्हे फालतू पुर्जो अथवा नये घातक हथियारों की सप्लाई की जाती है तो निश्चय ही पाकिस्तान की सैनिक क्षमता बढ़ेगी जहां तक हमारे इलेक्ट्रानिक उपकरण खरीदे जाने का सम्बन्ध है, इस प्रकार का सामान खरीदा जा सकता है क्योंकि हम कोई सामान मुफ्त में नही ले रहे है। इस प्रकार के सामान और सैनिक समान की तुलना करना उचित नहीं है। माननीय सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ने खुले बाजार और चीन से सैनिक सामान खरीद कर अपनी स्थिति वर्ष 1971 से भी अधिक मजबूत बना ली है। अत: क्या मैं पूछ सकता हूं, कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति का सरकार किस प्रकार मुकाबला कर रही है ? अमरीका के एक प्रवक्ता श्री चार्लस ब्रे ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा था कि अमरीका का दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है। उनके विचार में इस निर्णय का भारत और पाकिस्तान के बीच सैनिक शक्ति के अनुपात पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़गा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करें। क्या भारत सरकार को अमरीका के इस इरादे की पहले कोई जानकारी थी ? अमरीका ने भारत के इस तर्क को स्वीकार क्यों नहीं किया कि उप-महाद्वीप में शान्ति भंग हो जायगी ? क्या सरकार ने विश्व के अन्य देशों को इस बात की जानकारी दी है ? यदि नहीं तो क्या सरकार अब ऐसा करेगी ? क्या सरकार यह समझती है कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करना एक तीसरे देश द्वारा शिमला समझौता को समाप्त करने के निश्चित प्रयत्न के समान है ?

श्री स्वर्ण सिंह: हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सैनिक संतुलन के इस सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। भारत की आवश्यकताएं अधिक होने के अनेक कारण हैं। भारत बहुत बड़ा देश है। हम शक्ति संतुलन के तथा कथित सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते।

अमरीकी सरकार द्वारा हमारे रवैये को स्वीकार न किये जाने के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। इस बारे में मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता।

हम इस मामले के बारे में किसी अन्य देश में भी बातचीत करना, मेरे विचार से उपयुक्त नहीं है क्योंकि उससे कोई लाभ होने की आशा नहीं है ।

श्री पी० एस० मेहता : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय 'श्री ब्रे' के वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ अधिक प्रकाश डालें । श्री ब्रे ने कहा था कि अमरीका का दक्षिण एशिया में शस्त्रों की भागदौड़ में भाग लेने की कोई ईरादा नहीं है । पाकिस्तान और भारत को अमरीका के इस निर्णय की सूचना दे दी गई है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकता कि श्री ब्रे ने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नौसेना (पेंशन) पहला संशोधन विनियम

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं रक्षा मंत्री की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (पेंशन) पहला संशोधन विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मार्च ,1973 में अधिसूचना संख्या सां०नि०आ० 56 में प्रकाशित हुए थे सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 4502/73]

लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) नियम

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 82 में प्रकाशित हुए थे सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 4503/73]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1970–71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4505/73]

नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नौसेना औपचारिकता सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम 1957 की धारा

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०नि०आ०55 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई संख्या एल० टी० 4505/73 दखिये]

कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम और कर्मचारी भविष्य निधि (नौंवा संशोधन) स्कीम और विवरण

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी) : मैं निम्नलिखित पग सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पैंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1187 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपयुक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने मैं हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई संख्या एल० टी० 4506/73 देखिये]

(2) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पैंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (नौवां संशोधन) स्कीम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अक्तूबर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 1348 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय मे रखी गई संख्या एल० टी० 4507/73(देखिये]

नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग के बारे में

RE. DEMAND FOR INCLUSION OF NEPALI IN THE EIGHTH SCHEDULE OF THE CONSTITUTION.

श्री इन्द्रजीत गुहा (अलीपुर) महोदय, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि प्रधान मंत्री का ध्यान एक अविलम्बनीय महत्व की ओर दिलाया जाए । दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र से सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री से कल मिलने आया था तथा उनकी मांग थी कि नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए । हमें ज्ञात नहीं है कि प्रधान मंत्री ने उनके साथ विचार-विमर्श करके क्या निष्कर्ष निकाला ।

जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है । क्षेत्र तथा भाषा को लेकर देश में बढ़ते हुए तनाव को ध्यान में रखकर मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए असंतोष भड़कने से पूर्व ऐसे मामलों को सुलझा देना चाहिये । नेपाली भाषा बोलने वालों की संख्या लाखों में है तथा इस मामले पर सभी दलों के सदस्यों ने मिलकर मांग की है ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

अतः मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री कृपया हमें भी यह बताने का कष्ट करे कि वहां के प्रतिनिधि मण्डल को क्या उत्तर दिया गया ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर)**

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के इस सुझाव से पूर्णतः सहमत हूं कि स्थिति को उत्तेजनात्मक होने देने के बजाय मिलकर मामले पर कोई निर्णय कर लेना अधिक उपयुक्त है । हम भी यही प्रयत्न कर रहे हैं । हमने दार्जिलिंग क्षेत्र से आये सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल को अपनी कठिनाइयों से अवगत करा दिया है तथा उन्हें यह भी बताया गया है कि हम उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं । प्रतिनिधि मण्डल ने भाषा सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ अन्य बातों का भी उल्लेख किया है । उनका कहना है कि उस क्षेत्र की जनता को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं । पश्चिमी बंगाल सरकार ने किसी भी प्रकार के भेद-भाव को दूर करने के लिये उपाय किये हैं तथा उस क्षेत्र की भाषा के रूप में नेपाली को स्वीकार कर लिया गया है । इस बार प्रतिनिधि मण्डल का रवैया कुछ भिन्न था । उन्होंने कहा है कि यह मांग भावनात्मक है । मैं माननीय सदस्य तथा सदन को यह आश्वासन दिलाती हूं कि इस मामले की जांच की जा रही है ।

मुर्शिदाबाद जिले के गंगा से हो रहे भूमि-कटाव के बारे में

Re:—LAND EROSION BY GANGES IN MURSHIDABAD DISTRICT

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय ! मुर्शिदाबाद जिले के गाजीपुर सब डिवीजन में गंगा से कई बार भूमिकटाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है जिससे लगभग 6,400 एकड़ आवास भमि को क्षति पहुंची है । यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 144,000 कच्चे मकान तथा 1,800 पक्के मकान गिर गये थे । मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किये 63 करोड़ रुपयों के अनुमान पर विचार करें जिससे वहां की जनता की रक्षा की जा सके ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : हमें उक्त अनुमान प्राप्त हो गया है तथा उसकी जांच की जा रही है । फिलहाल मैंने पश्चिम बंगाल के मंत्री महोदय को यह सलाह दी है कि वे उन स्थानों का पता लगाकर जहां अधिक क्षति हुई है उनकी सुरक्षा के लिये प्राथमिकता दें तब तक अनुमान की जांच-पड़ताल कर ली जायेगी तथा आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not Recorded.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, दक्षिणपूर्व रेलवे कर्मचारियों की यूनियन के महामंत्री श्री रामचौधरी और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है । जिस दिन गोली चली है उस दिन उस क्षेत्र में हड़ताल थी । मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

संगचल कर्मचारी भूख-हड़ताल पर हैं तथा वे हड़ताल भी कर सकते हैं । अतः मेरा अनुरोध है कि रेल मंत्री महोदय से इस बारे में भी एक वक्तव्य देने के लिये कहा जाए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : महोदय ! केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्माताओं को भारी संख्या में लाइसेंस दिये जाने के कारण 200 लघु उद्योग बन्द हो गए हैं तथा इससे बेरोजगारी फैल गई है । क्या इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ये लाइसेंस वापस ले लिये गये हैं ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, I have received a telegram from the President of Railway Employees Federation, Ratlam in regard to repression being caused to railway employees. In these circumstances employees may go on strike. I request that Government should immediately solve the problems of these employees.

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही पार्टी के लोग भिन्न भिन्न प्रश्न उठा रहे हैं, यह उचित नहीं है । कृपया अब आप लोग बैठ जाइये ।

कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक, 1973

Statutory Resolution Re. Disapproval of the coal Mines (Taking over of Management) ordinance and coal Mines (Taking over of Management) Bill.

Shri G.P. Yadav (Katihar) : Sir, I beg to move that :

"This House disapproves of the Coal Mines (Taking Over of Management) Ordinance, 1973 (Ordinance No. 1 of 1973) promulgated by the President on the 30th January, 1973."

The Government have adopted quite undemocratic measure for nationalising non-coking coal mines by way of promulgating ordinance. It was undemocratic because of the fact that after 15 days of its budget session of Parliament was due to start.

It has been observed that the interests of the workers are not protected even after nationalisation of the industries. Workers are exploited both in Private undertaking and Public undertaking by the bureaucrats.

The arguments in favour of nationalization of coal mines placed by the Government are the lack of investment in the coal mines by the owners, inadequacy of production of coal etc. But according to a Reserve Bank study, the rate of growth in gross fixed investments in coal industry in the last four years was 6.3 per cent which is higher than those of textile, cement, steel industries etc. Machineries worth Rs. 17 crores required for making coal mines industry modern have been imported. Coal mines in Private sector produced 45.5 million tonnes of coal that is above the target, while Public sector could not produce more than 10.67 million tonnes of coals.

On April 11, 1963, Shri K.D. Malaviya, the then Minister admitted that it was a fact that the private sector coal industry had gone ahead and they had over-stepped their targeted production.

So far as the dues of Provident funds against these industries are concerned Rs. 2,88,85,572 were outstanding against Bharat Coking Coal Limited and Rs. 1,34,69,898 against Industrial Reconstruction Corporation of India. I think several other measures could have been taken to recover these outstanding amounts.

In view of the findings of the Ministry of Labour to the effect that 80% of workers were enjoying the benefits of Wage Board recommendations, full implementation of the Wage Board recommendations can be ensured by the Government by taking measures other than nationalization of coal mines. Since 1958 private contractors are being engaged in N.C.D.C. and they are exploiting the labour.

It has been proved that Public sector undertakings are running in loss while Private sector undertakings are earning profits. Government could not improve the working and economic conditions of the Public sector undertakings and they want to mislead the people of our country by adopting such measures. So far as the taking over of important industries is concerned we have got no objection in this regard. In view of the existing exploitation of workers in Private as well as Public sector industries. I would like to demand strongly labour participation in all industries. There were clear indications in the election menifesto of the Congress Party regarding the proposal of workers participation in the industries creating aspirations among the workers and their leaders. But in spite of providing them certain facilities Government are unwilling to fulfil their genuine demands. I am sorry to observe that seven workers were killed by the police at Kargaliwhere above 60-70 workers gathered to demostrate. (Interruption)

A coal washing factory near Kargali employing about 150 workers has been closed by the N.C.D.C. I request that Government should restore that factory.

Bihar State is quite rich in coal deposits. But I am constrained to say that people of Bihar have been diseminated against resulting in discontentment among them. They are being exploited in the name of coustodians. I demand that full justice should be done to the sons of the soil and the posts of custodians should be filled among the sons of soil.

I would like to know the exact position regarding the reported transfer of the head offices of N.C.D.C. and the office of steel company.

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० मोहन कुमार मंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि कोयला उत्पादन के युक्तिपूर्ण और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा देश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल कोयला स्त्रोतों का अधिकतम उपयोग करने के लिये, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने तक, लोकहित में, उनके प्रबन्ध-ग्रहण और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक के बारे में कुछ कहने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने श्रमिकों के प्रति भारी सहानुभूति व्यक्त की है । किन्तु उन्होंने अपने भाषण के गैर-सरकारी उद्योगों का अत्यंत पक्ष लिया है तथा उनके भाषणों से ऐसा लगता है कि जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केवल दोष ही दोष है ।

मैं सरकारी क्षेत्र में विद्यमान त्रुटियों का निराकरण तो नहीं करता किन्तु इतना अवश्य कहता हूं कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के बारे में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में भारी अन्तर है । मेरे पास कस्टोडियन की ओर से प्राप्त रिपोर्टें हैं जिनसे स्पष्ट विदित होता है कि गैर-सरकारी मालिकों ने श्रमिकों को कितना धोखा दिया है तथा उनके साथ कितना अन्याय किया है । उन्होंने भारी काला धन एकत्र किया है तथा हर प्रकार का भ्रष्टाचार किया है । आज जो कोयला खान मालिकों का पक्ष लेता है वह निस्संदेह शोषण करने वाले पूंजीवादी वर्ग का पक्ष लेता है । वर्ष 1973 में इस प्रकार की बातें सुनकर आश्चर्य होता है ।

वर्ष 1963 से 1973 तक की अवधि में सरकारी क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है और गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है । गैर-सरकारी क्षेत्र में पांच करोड़ रुपयों से कम की पूंजी लगाई गई है । अत्यंत आश्चर्यजनक बात यह है कि अनेकों खानों का देश में विद्यमान कानूनों का उल्लंघन करके खनन किया जाता रहा है । खान मालिकों ने श्रमिकों का इतना शोषण किया कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता ।]

यह सच है कि अध्यादेश सत्र आरम्भ होने से 19 दिन पूर्व जारी किया गया था । माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार के कानून को अध्यादेश के अतिरिक्त लागू करना असम्भव है । पहले विधेयक लाने की स्थिति में माननीय सदस्य तथा उनके सहयोगी कुछ अन्य अहितकर कार्य कर सकते थे क्योंकि वास्तव में प्रजातंत्र के हामी नहीं हैं किन्ही अन्य शक्तियों के पक्षपाती हैं ।

यह अध्यादेश जारी किये जाने के मुख्य रूप से दो कारण हैं । पहला कारण यह है कि सरकार ने यह समझ लिया है कि कोयला इस देश में ऊर्जा का प्रमुख साधन है तथा कोयले के उत्पादन में 70 से 75 मिलियन टन तक वृद्धि की जाय । बहुत से कोयला खान मालिकों ने सरकार को कोयला उत्पादन के बारे में सही आंकड़े ही नहीं बताए हैं अतः इस सम्बन्ध में हमें अनुमान ही लगाना पड़ेगा ।

कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार को इस उद्योग में लगभग 500 करोड़ रुपयों का पूंजी निवेष करना होगा। भूतपूर्व गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपयों की पूंजी लगानी होगी।

अध्यादेश जारी किये जाने से एक दिन पूर्व 29 जनवरी को समाचारपत्रों में यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ था कि गर-सरकारी क्षेत्र पांचवीं योजना में लगभग 78 करोड़ रुपयों की पूंजी लगाने को तैयार है। किन्तु हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि गत 10 वर्षों में उन्होंने केवल पांच करोड़ रुपयों की पूंजी ही लगाई है।

दूसरा कारण यह था कि सरकार कोयला खान श्रमिकों को उचित न्याय दिलाना चाहती थी। खान मालिकों ने रजिस्टरों में श्रमिकों के वेतन को बहुत अधिक दिखाया हुआ था किन्तु वास्तव में बहुत कम वतन दिया जाता था।

ईस्ट लोहा पटनामी माइन्स में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या 530 है, परन्तु केवल 124 ही माइनर्स प्राविडेन्ट फन्ड के सदस्य हैं। दस हजार से भी अधिक मज़दूर भविष्य निधि कम सुविधा से वंचित हैं। कई कोयला खानों में दस प्रतिशत मजदूरों को भी आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है और जिन्हें आवास सुविधा उपलब्ध है भी वह गन्दी से गन्दी बस्ती से भी बदतर है। इन सब सुविधाओं को उपलब्ध करने में अभी समय लगेगा।

अधिग्रहण के पश्चात् श्रेणी I की मंजूरी दी जा रही है। मजदूरों को नियमित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है, परन्तु बदली अथवा नैमत्तिक कर्मचारियों को नियमित करने में कुछ समय अवश्य लगेगा। 50 अथवा 60 कर्मचारियों वाले संगठन की सहायता से 2 लाख मजदूरों को नियमित करने का काम आसान नहीं है। फिर भी हम यथाशीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं। कोल्फील्ड्स रिक्रूटमेन्ट आर्गेनाइजेशन जो मध्यकाल और अमानवीय दमन का प्रतीक था, को समाप्त करने का हमने कल ही निर्णय किया है। गोरखपुर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए गोरखपुर श्रम संगठन को जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की जाएगी।

मूल्यों के बारे में कल हमने सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक में विचार-विमर्श किया था कि घरेलू उपभोग के कोयले और ईंटों को पकाने के काम आने वाले कोयले की कीमतों को कैसे नियन्त्रित किया जाए। हमें आशा है कि हम पर्याप्त मात्रा में बड़े शहरों और जिलों में कोयला सप्लाई कर सकेंगे।

सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि खानों का अधिग्रहण एक आसान काम नहीं है। हमने 730–740 कोयला खानों का अधिग्रहण किया है और एक दो घटना को छोड़कर कोई ऐसी बड़ी घटना भी नहीं हुई है। छः राज्यों में बिखरी पड़ी कोयला खानों का अधिग्रहण कुशलतापूर्वक और कम से कम हानि और अधिक से अधिक सम्भावनाओं के साथ किया गया है।

मैं सभी राज्य सरकारों और सभी मजदूर संघों तथा कोयला खान प्राधिकरण को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं श्री भट्टाचार्य को भी धन्यवाद देता हूं। पिछले दो महीनों के दौरान मजदूर संघों ने जो सहयोग हमें दिया है, वह काफी महत्वपूर्ण है और भविष्य में हमें उनसे जो सहयोग प्राप्त होगा, वह और भी अधिक महत्व का होगा।

49 कस्टोडियनों और अतिरिक्त कस्टोडियन जैसे चार-पांच वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति भी मैं सराहना के कुछ शब्द कहना चाहूंगा। अध्यादेश जारी होने के बाद स्थिति काफी कठिन थी । खासकर पहले 24–36 घण्टों तक गैर-कोककारी कोयले की खानों के अधिग्रहण की तरह इन खानों का अधिग्रहण आसान नहीं था, क्योंकि ये खानें महाराष्ट्र से आसाम तक और बंगाल एवं बिहार में बिखरी हुई थीं। ये अधिकारी भी सरकारी क्षेत्र क उपक्रमों से प्रति नियुक्त किये गये थे।

श्री यादव प्राइवेट सेक्टर के प्रोपेगन्डा के शिकार हैं। इन्स्ट्रूमेन्टेशन कोटा, इण्डियन आयल कारपोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स, तिरुची जैसे सरकारी क्षेत्र के बहुत से संगठन भारी मात्रा में मुनाफा कमा रहे हैं। बोकारो के हमारे इंजीनियरों और तकनीशियनों ने काफी सराहनीय कार्य किया है।

श्री यादव ने कहा है कि केवल प्राइवेट सैक्टर ही लाभ अर्जित करता है और सरकारी उपक्रम घाटे में चलते हैं। यह गलत है। गैर-सरकारी उपक्रम, जो घाटे में चलते हैं, हमें उनका अधिग्रहण करना पड़ता है। (व्यवधान) सरकारी क्षेत्र के उन अधिकारियों की आप निन्दा अथवा आलोचना कर सकते हैं, जिनका कार्य सन्तोसजनक नहीं है।

सरकार ने भारत के सबसे पुराने उद्योग का अधिग्रहण इसलिए किया है ताकि देश के अत्यधिक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन अर्थात् कोयले का युक्तिसंगत और वैज्ञानिक प्रयोग हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि कोयला उद्योग के पांच लाख मजदूर, हजारों इंजीनियर, प्रबन्धक और गेंगमन निष्ठा और लगन के साथ काम करें। कोयले के बिना इस्पात कारखाने, तापीय बिजलीघर अथवा रेलों को नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए सरकार के निर्णय का महत्व अधिक हो जाता है।

हम सब यह चाहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो और कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार हो। मुझे विश्वास है कि विधेयक के पारित हो जाने पर कोयले की भारी मात्रा का राष्ट्र के हितों में प्रयोग किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी। हम संकल्प और विधेयक दोनों को एक साथ ले रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं सरकार के इस कदम का हृदय से समर्थन करता हूं। मैं तो शुरु से ही इस मत का रहा हूं कि देश में कोयले की एक समेकित नीति निर्धारण के लिए और भण्डारण और उचित संरक्षण के लिए कोककारी और गैर-कोककारी दोनों ही प्रकार की कोयला खानों का अधिग्रहण किया जायें।

मैं सरकार के इस अभिमत से भी सहमत हूं कि कोयला खानों में श्रमिकों का शोषण होता रहा है। भविष्य निधि आदि की अदायगी नहीं की गई है।

वर्ष 1937 में कोयला खान समिति और 1945 में कोयला क्षेत्र जांच समिति ने सरकारी हस्त-क्षेप की जोरदार सिफारिश की थी और यह हस्तक्षेप 1973 में आकर ही हो सका।

तीसरी पंच वर्षीय योजना में उत्पादन का लक्ष्य 915 लाख टन रखा गया था जबकि वास्तविक उत्पादन केवल 677 लाख टन ही हो सका है अर्थात् 310 लाख टन की कमी रही है। इस अवधि के दौरान कई खानें बन्द हो गई हैं और अनेक खानों ने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया है। मजूरी बोर्ड के पंचाट पर अमल नहीं किया गया और श्रम कानूनों पर भी अमल नहीं किया गया। भविष्य निधि की राशि भी बकाया रही और राज्य सरकारों को रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया। पिछले कार्यकरण को और गैर-सरकारी उद्योग के संगठनात्मक तथा पूंजीगत ढांचे को देखते हुए यह स्पष्ट है कि गैर-सरकारी क्षेत्र पांचवीं योजना के दौरान अतिरिक्त राशि का विनियोजन नहीं कर पाता।

जहां तक गैर-कोककारी कोयला खानों का सम्बन्ध है, बिहार और बंगाल में 70%–उत्पादन 55 कोयला खानें करती हैं। शेष 30% में कुछ उत्पादन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम करता है और बाकी उत्पादन 600 अथवा 700 कोयला खानें करती थीं, जो अलाभकर खानें थी। इन पर सरकारी राशि भी बकाया थी।

55 बड़ी कोयला खान कम्पनियां श्रमिकों के हितों की परवाह किये बिना सारे देश में अव्यवस्था फैला रही थीं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यथा शीघ्र कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पेश करें ।

बिधेयक के खण्ड 7 के अनुसार कोयला खान के मालिको को 20 पैसे प्रति टन के हिसाब से अदायगी की जायगी। अगर 1 वर्ष में 7 करोड़ टन उत्पादन होता है, तो सरकार को 1,40,00,000 रु० प्रति वर्ष देने होंगे। यह राशि उन शोषणकर्त्ताओं को दी जायगी, जिन्होंने श्रमिकों को भविष्य निधि की राशि नहीं दी और सरकार को शुल्क नहीं दिए। उत्तर यह दिया जायगा की संविधान के अनु-सार अदायगी करना अनिवार्य है। सरकार दो या तीन साल की अवधि के लिए बिना मुवआवजा दिए ही प्रबन्ध को अपने हाथ में ले सकती थी।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : जिन खानों का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया है उनका उत्पादन सिर्फ 370 लाख अथवा 380 लाख टन ही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : फिर भी राशि 70 अथवा 75 लाख रुपये बैठती है। अगर सरकारी वक्तव्य के अनुसार गैर-कोककारी कोयले के कुल उत्पादन का एक तिहाई उत्पादन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम करता है, तो यह राशि 95 लाख रुपये बैठती है।

विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं कि यह राशि छोटे अथवा मध्यम स्तर के शेयरधारियों को अदा की जायगी। जैसा कि आम बीमे के बारे में किया गया था। ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि पहले इस राशि में से भविष्य निधि की बकाया राशि अथवा बकाया वेतन तथा भतों का भुगतान किया जायगा। सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई अर्थ ही नहीं है, यदि कोयला उद्योग की कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का शीघ्र निदान नहीं किया जाता। सरकारी करण के बाद कोयले की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई है, विशेष रूप से घरेलू उपयोग के कोयले में।

वैगनों की भी कमी है। कोयला खान प्राधिकरण के तकनीकी सचिव श्री बी० सी० विश्वास के अनुसार 2800 वैगनों की प्रतिदिन आवश्यकता है, जबकि केवल 1700 वैगन ी उपलब्ध किये गये हैं और 1100 वेगनों की प्रतिदिन कमी रही है।

मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार कोयला खानों में 500 करोड़ रु० की पूंजी लगायेगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक परियोजनायें हीं नहीं, अल्प कालिक परियोजनायें भी बनाई जानी चाहिए और उनका उचित रूप से क्रियान्वयन होना चाहिए। वितरण के लिए भी उचित नीति बनाई जानी चाहिए और उसका सही तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। वितरकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए।

कोयला देश का एक प्रमुख ईन्धन है। कोयले की उपलब्धता और उसकी कीमत ही नहीं बल्कि तेल की उपलब्धता और उसकी कीमत को ध्यान में रखते हुए एक उचित राष्ट्रीय ईन्धन नीति बनाई जानी चाहिए।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि वर्ष 1978-79 तक 1420 लाख टन उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की आशा है और इस समय उत्पादन लगभग 700-750 लाख टन ही है। इसे कौन प्राप्त करेगा। कोयला खानों के लिए कस्टोडियनों की नियुक्ति तो केवल एक अस्थायी व्यवथा है।

वर्ष 1970-71 के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1.02 करोड़ रुपये का घाटा रहा है। अगर किसी सरकारी उपक्रम या राष्ट्रीयकृत कम्पनी में घाटा है, तो उसकी निन्दा ही की जाए, ऐसा मेरा दृष्टिकोण नहीं है। जब राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यकरण में त्रुटियां देखी गई हैं, तो फिर बहुत सारी कोयला खानों के लिए इसी प्रकार के निगम की स्थापना क्यों की जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि भविष्य में इन कोयला खानों का संचालन करने के लिए एक उचित प्रबन्ध नीति बनाई जाए।

जहां तक श्रमिक सम्बन्धों का प्रश्न है, मैं न मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या देश के 50,000 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को कोयला उद्योग में रोजगार उपलब्ध किया जायगा।

श्री कल्याण राय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका के अनुसार एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अन्य पार्टियों के मजदूर संघों से सम्बद्ध मजदूरों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें कोयला क्षेत्रों से निकाला जा रहा है। यह रोका जाना चाहिए, अन्यथा कोयला क्षेत्र में शान्ति नहीं हो सकती और अधिक उत्पादन नहीं हो सकता ।

Shri R.N. Sharma (Dhanbad) : I heartily welcome the ordinance issued for taking over the coal mines as also the Bill now moved in the house on my behalf and on behalf of the 4 lakh workers engaged in Colliecries. The workers had gone on strike on 15th January, 1973.

The Committees set up in 1937 and 1947 had also recommended the nationatisation of collieries. The Balwant Rai Mehta Committee set up in 1956-57 had also recommended the amalgamation. Though related, but it is a right step in the right direction.

There was so much mis-management in 700 collieries, which have recently been taken over by the Government that the production was only 25-30% only instead of 70 or 80%. They were not investing any thing in the coal mines and there was huge loss of the national resources.

I would like to congralutale the officers for their utmost vigilance after the issue of the ordinance. The hon'ble Minister called a meeting of the labour representatives and examined the problems. He gave instructions to appoint 49 custodians, 4 additional custodian general 12 Deputy custodian general and one Custodian General.

There is no provision in the Bill to protect the interests of the workers. The workers are getting a minimium wages of Rs. 7.16 p. of first Category according to the wage Board after the take over of the coal mines. It was a wrong statement made by shri Yadav that wage Board award had been implemented in 80% of the cases. There in no provision in the Bill regarding the outstanding amount of Provident fund and bonus. So far as Provident fund dues are concerned, an amount of 22 crores of Rupees is outstanding for 4 lakhs workers since 1960 and no stern action has been taken in this regard. The Government should feel responsibility for this purpose also. This should be governed by the Employees Provident Fund Act.

The coal mines Welfare organisation has 7 crores of rupees in its fund. The Government should start welfare schemes with the Co- operation of the workers. The coal Board and the Stowing Board should be done away with, as they create unnecessary obstacles.

When Coking Coal Mines Bill was introduced, the first charge was given to the scured creditors. If this is done in the present case also, the whole money would go to the relatives of the mine-owners, because they have been made the secured-creditors and outstanding dues like provident fund, bonus, Railway fares, Royalty and welfare cess etc. could not be realised.

The Government of India has planned to double the production of coal to 15 crores of tons during the fifth five year Plan. There were 4 lakh workers in collieries in 1947 and even now there are four lakh workers in the coal mines. The Government shoujd increase the manpower to help achieve the target fixed for the fifth Plan. This, would also ease the unemployment problem.

The rise in prices of coal has been mentioned by most of the members. It has been stated that the prices of coal have gone up only after the take over of coal mines by the Government. The honourable Minister has stated that 97% of the coal goes to the industry and only 3.7% of total coal is earmarked for domestic Consumption. But it is not 3.7% only, because the mine owne of private sector have been illegally mining the Coal with out informing the authorities so that they could evade the payment of bonus. Royalty etc. They had been supplying this additional coal to the consumers direct through trucks. This flow of coal through trucks was stopped for four or five days when collieries were taken over. Now the Government should provide coal to the people by arranging more transport.

डा० रानेन सेन (बारासाट) : श्रीमान जी मैं अध्यादेश और विधेयक का स्वागत करता हुं । यह विधेयक भारत कोकिंग कोल माइन्स के बारे में पारित किये गये विधेयक से बेहतर है । मुझे यर भी कहना पड़ेगा कि सरकार तब तक कार्यवाही नहीं करती जब तक वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हो जाती। सारा देश और कोयला खानों के श्रमिक पिछले कई साल से खानों के अधिग्रहण की मांग कर रहें थे। यह कदम देरी से लिया गया है, परन्तु सही कदम है।

राष्ट्रीयकरण की एक मात्र मांग के समर्थन में रानीगंज और आसनसोल खानों के मजदूरों ने एक दो महीने पहले एक दिन की हड़ताल की थी।

अब मैं विधेयक की कुछ कमियों का ज़िक्र करता हूं। सरकार के दिल में कोयला खान मालिकों के लिये अनुराग है क्योंकि वह उन्हें कुछ राशि देना चाहती है, वर्षों से बन्ध पड़ी खानों को भी राशि दी जा रही है। जो लोग खानों में काम कर रहे हैं वे संरक्षकों की कृपा पर निर्भर रहते हैं अन्यथा इस प्रकार की धारा लाने की आवश्यकता क्या है जो उनके सिर पर हमेशा तलवार की तरह लटकी रहती है। यह धारा कर्मचारियों के लिये बहुत खतरनाक है।

मंत्री महोदय ने कुछ समय पहले कहा था कि ठेके की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। लेकिन यह कब तक समाप्त होगी इसका कोई पता नहीं है? इसे समाप्त करने का अब समय आ गया है। खानों में ठेके की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ सके तथा श्रमिकों का भी कल्याण हो सके।

कोयले के दाम भी बढ़ गये हैं। हर जगह दाम बढ़ गये हैं और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। छोटे उद्योग पतियों को दाम की इस वृद्धि से बहुत हानि सहनी पड़ रही है। मंत्री महोदय को इस वृद्धि के बारे में तुरन्त जांच करनी चाहिए।

कोयला खानों के संचालन में कर्मचारियों की कोई अवाज़ नहीं रहती। मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कर्मचारियों को कोयला खान के संचालन में शामिल किया जाये।

कोयला खानों को अपने हाथ में लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। इनके राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विधेयक तुरन्त आना चाहिए।

श्री हरिकिशोर सिंह (पुपरी) : मैं मंत्री महोदय को कोयला खानों के सरकारीकरण के लिये बधायी देता हूं। सदन में इस अध्यादेश तथा विधेयक के बारे में काफी सहमत्ति है।

भारत कोकिंग कोल में कोयले की चोरी तथा उटाइगिरी एक बड़ी समस्या है जिसकी ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

यह बात समझ में नहीं आती कि टाटा ग्रुप को अध्यादेश तथा विधेयक से बाहर क्यों रखा गया। यह बात समझ में नहीं आती कि टाटा की कोयला खानों को हाथ में लेने के लिये सरकार क्यों संकोच कर रही है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि टाटा की कोयला खानों का भी सरकारीकरण किया जाये।

कोयला खानों के श्रमिकों का वेतन आदि भी बढ़ गया है। अतः कोयले के दामों में वृद्धि होना आश्चर्यजनक नहीं है।

* **श्री जे० माता गोडर (नीलगिरि)** :—मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि कोयला खान मालिक श्रमिकों का शोषण करते आये हैं और राष्ट्रीय सम्पत्ति को हड़पते आ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जब ये लोग शोषक हैं तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने तक कोयला खान मालिको को 20 पैसे प्रति टन की दर से भुगतान किया जाये जो प्रति मास 12 लाख रुपये के करीब बैठेगा इन शोषकों को यह मुआवजा क्यों दिया जाना चाहिये?

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

चूंकि टाटा ग्रुप सत्तारुढ़ दल को चुनावों के दौरान सहायता करता आया है, इसलिए उस ग्रुप को कोयला खानों का सरकारीकरण नहीं किया गया है। सरकार टाटा ग्रुप की कोयला खानों के सरकारीकरण का साहस नहीं दिखा सकती है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान कोयला बोर्ड ने कोयला खान मालिकों को उत्पादन बढ़ाने तथा श्रमिकों को जीवन की सुविधायें प्रदान करने के लिए 18.12 करोड़ रुपये की संकटकालीन सहायता प्रदान की लेकिन मालिकों ने सारी राशि का गबन किया और श्रमिकों को कोई भी सुविधायें प्रदान नही की मेरे विचार में कोयला खान के मालिकों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये।

Shri Srikishan Modi (Sikas) : In the present context of things the term capitalist needs to the re-defined. 592 small scale coal industries should be encouraged by the Government and their owners should be protected.

The hon. Minister gave an assurance last time when he brought forward mines Bil that they will not put the small scale industries into losses and everything will be done to protect their interests.

श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए

(Shri S.A. Kader in the chair)

The small scale coal industrialists should be protected and their mines should be returned to them or they should be paid 1½ times more compensation than the big industrialists:

Employment should also be provided to the former workers of taken over mines whose number is about ten thousand.

The rules and regulations to govern the taken over mines should be framed in a way which leave no chance for blackmarketing and corruption. How when we are nationalising the coal mines, there should be no rise in prices of the coal.

श्री सुदर्शनम् (नरसारावपेट) : रेलवे मंत्री तथा खान मंत्रालय के बीच तालमेल होना चाहिये क्योंकि कोयले का परिवहन देश के विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के लिये करना पड़ता है । रेल मंत्रालय को इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए जिसके द्वारा कोयले की सप्लायी के लिये वैगन शीघ्र अति शीघ्र प्रदान किये जा सकें।

20 पैसे प्रति टन का मुआवजा बहुत कम है क्योंकि कोयला खान के कार्यालयों के कर्मचारियों पर बहुत व्यय होता है। इन कर्मचारियों को निगम में खपाया जाना बहुत ज़रुरी है ताकि वे बेरोजगार न हों। राष्ट्रीयकरण जितनी जल्दी हो जाये उतना ही अच्छा है। कोयला खान के शेयरहोल्डरों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिये।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कोयले का स्थान महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा नान-कोकिंग कोयला खानों को अध्यादेश द्वारा हाथ में ले लेना आपत्तिजनक है। यह संसद का अपमान है। नान-कोकिंग कोयला खानों को हाथ में लेने के बाद वह हाल नहीं होना चाहिये जो भारतीय उर्वरक निगम अथवा भारतीय खाद्य निगम का हुआ है।

मैं सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा जाये तथा मजदूर संघों तथा बोनस के अधिकारों पर कोई तिबंध नहीं लगाया जायेगा। बोनस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिये ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मुझे इस बात की खुशी है कि ये बोनस की बात करते हैं।

श्री पी० के० देव : इस बार कोयला विकास निगम को 6.2 करोड़ रुपये की हानि हुई है। 214 खानों में उत्पादन घट गया है। यह हमारी उपलब्धि है।

व्यवधान

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को राष्ट्रीयकरण के लिये विधेयक लाना चाहिये। यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उनको वही वेतन तथा वही लाभ मिलेगा, जो अब तक मिलता रहा है। गैर-कोकिंग कोयला खानों के सरकारीकरण के बाद प्रबंध कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्हें बकाया राशि दी जानी चाहिये। सरकार द्वारा इन खानों के सरकारीकरण से पूंजी लगाने वाले उद्यमकर्त्ताओं में अनिश्चितता सी उत्पन्न हो गई है।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : माननीय सदस्य ने केवल परिवहन संबंधी समस्या और बिचौलियों का उल्लेख किया है और कोयले की ऊंची कीमतों का उल्लेख नहीं किया।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh): Sir, I welcome this Bill. It has been said that by taking over the small collieries Government has created a climate of uncertainty in the investment field of the country. The number of small collieries was 800–850 before they were taken over by the Government but after taking over the number reached up to 1000 in Governments record. It proves that 200 collieries were not in Governments record and these mine owners were selling coal at higher prices. The owners of small collieries, who are now asking for protection and compensation had been fleecing the public. They did not pay any royalty and cess on unaccounted production.

The hon. Minister has just stated that in a colliery, where 300 persons are working 108 persons are members of provident fund. These figures are not correct. There are a number of collieries where thousand persons are working but only five persons are members of Provident Fund. The hon. Minister had given an assurance in Jharia that the arrears of Provident Fund will be treated as first charge. But that assurance is yet to take practical shape. I would like the hon. Minister to ensure that arrears are treated as first charge and only the balance amount is given as compensation to the colliery owners.

Ketla and Jharkhand collieries of Bihar have not been taken over by the Government. There are 8000 workers which are without employment Government should take over these collieries without any delay, and the loophole in the laws, if any, should be plugged.

Some new arrangement will have to be done to run small and big collieries taken over by the Government. We should not use labour saving device because there is no dearth of labour in India. Government should give guarantee for more employment. But I would like that Government should not provide jobs to such persons who are looting the workers.

Total productions of coal is 70 million tonnes. Out of that price of 7—8 metric tonne of coal, which is used for brick burning and domestic consumption has been raised. Government should look into the reason for price rise. The middle men are fleecing the consumers purposely. Then should not be allowed to harass the Public.

Distribution system should also be stareamlined. The plea that price of coal has risen because wage bill of workers has gone up, is not correct. I would like the hon. Minister to ensure the supply of coal at cheap rates.

श्री समर गुह (कन्टाई) : गैर कोकिंग कोयला खानों के प्रबंध को अपने हाथ में लेकर सरकार ने समाजवादी कदम उठाया है पर साथ ही कोकिंग कोयला खानों का प्रबंध भी सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये, सरकार का यह रवैया ठीक नहीं है कि वह पहले प्रबंध अपने हाथ में लेती है, फिर राष्ट्रीयकरण करती है। इसमें गलतफहमी की गुजाईश होती है। सरकार को चाहिये कि वह सीधा राष्ट्रीयकरण करे।

राष्ट्रीयकरण एक अच्छा कदम है बशर्ते इसका संचालन ठीक प्रकार से किया जाए। आजकल सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है तथा उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हो रही है। इसमें तो राष्ट्रीयकरण के नाम को कलंक लगता है। यदि ऐसा चलता रहा तो एक दिन मांग की जाएगी कि यह सरकारी उपक्रम गैर सरकारी क्षेत्रों को सौंप दिया जाए।

कोयला-खानों के प्रबंध ग्रहण से पूर्व इसकी खबर पहले ही लग गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि लेखा पुस्तकों को वहां से हटा दिया गया और कोयला तत्काल ही कम दामों पर बेच दिया गया। यह खबर समय पूर्व कैसे पता लगी, इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

अमृत बाजार पत्रिका में यह समाचार छपा है कि परचून विक्रेताओं की दुकान पर कोयले का स्टाक नहीं है और अगर कोयला मिल भी रहा है तो इतने ऊंचे दामों पर कि आम आदमी उसे खरीद नहीं सकता।

गैर कोकिंग-कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद घरेलू उद्योग में काम आने वाले कोयले के मूल्यों में हुई वृद्धि ने लोगों को परेशान कर दिया है। प्रबंध ग्रहण से पूर्व कलकत्ता को 40,000 मीटरी टन गैर-कोकिंग कोयला दिया जाता था लेकिन अब केवल 6,000 मीटरी टन ही दिया जाता है।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : यह खबर विश्वसनीय नहीं है।

श्री समर गुह : अगर माननीय मंत्री को खबर पर विश्वास नहीं होता तो कम से कम कोयला इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा गृहिणियों की बात पर तो विश्वास करना चाहिये।

कोयला खानों का सरकार ने प्रबंध अपने हाथ में इसलिये लिया कि मजदूरों को उचित वेतन नहीं मिलता था, हड़तालें होती थी। प्रबंध ग्रहण के बाद सरकार का कर्त्तव्य है कि वह मजदूरों को उचित वेतन दे और उनकी आवश्यकताएं पूरी करे।

सरकार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधिकारियों को महाअभिरक्षक उपमहाअभिरक्षक और अतिरिक्त महाअभिरक्षक के रूप में नियुक्त कर रही है। मेरा अनुरोध है कि ये अधिकारी केवल कागजी कार्यवाही जानते हैं और इन्हें व्यावहारिक अनुभव नहीं है। अनुभवी अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। श्रमिकों को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि वे ही कोयला खानों के मालिक है और उन्हें प्रबन्ध कार्य में हिस्सा लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि श्रमिकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा तो वे भी राष्ट्र की आवश्यकताओ को पूरा करेंगे।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : अच्छा ही हुआ कि सरकार ने कोयला खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। इससे पूर्व मजदूरों को उनकी बैध मजदूरी नहीं मिलती थी। और न हीं राज्यों को रायल्टी। कोयला खान मजदूरों को अपनी खान पद्धति सुधारने के लिए अवसर दिया गया परन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया।

अब हमें विकास करना है। हमारा उत्पादन 700–750 लाख मीटरी टन है। और हमें इसे 1500 लाख मीटरी टन तक पहुंचाना है। इसके लिए सतत प्रयत्न की आवश्यकता है।

सबसे पहले हमें एक वृहत योजना बनानी है और वर्तमान कोयला भंडार का पुनः अनुमान लगाना है ताकि योजना को सही परिपेक्ष में शुरू किया जा सके।

मशीनीकरण के मामले में हमें होशियार रहना और चरणबद्ध मशीनीकरण करना है।

प्रति वर्ष योजना काल के लिए सही रूप रेखा बनाई जानी चाहिए इसके लिए इस्पात और खान मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच सम्पर्क होना चाहिए।

गैस वाली खानों में दुर्घटना को रोकने के लिए मेथानो मीटर (Methanometer) से ही काम नहीं चलेगा बल्कि हमें स्वचालित रिकार्डर भी फिर लगाने पड़ेंगे चाहे उनका आयात क्यों न करना पड़े **(व्यवधान)**।

हमारी लागत लेखा पद्धति संतोषजनक नहीं है। कुछ खनन इंजीनियरों को लागत लेखा बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

अतः संचार के लिए सूक्ष्म तरंग व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान संचार व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।

हमें केवल श्रमिकों की आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करना है बल्कि उपभोक्ताओं को भी उचित दाम पर कोयला उपलब्ध कराना है।

Shri M.C. Daga (Pali) : Taking over of coal mines is a commendable step, taken by the Government but actually this step should have been taken much earlier. In this connection I would like to refer to the statement made by the hon. Minister, shri Kumaramangalam. He has said:

> "The Government did not intend to nationalise these mines as long as the mine owners invested adequately out of the profits they made so as to be able to build up for production in future, implemented the Wage Board recommendations, so far as the labour was concerned and paid the royalty dues to the Government as well as the Provident Fund dues to the workers".

But what these Mine owners did ? They swallowed Provident Fund amount and royalty and showed loss of Rs. 30 crores.

The condition of small collieries is very deplorable. They have not got scientific instruments. Therefore, they are not in a position to speed up their production. It is because of the colliery owners that the condition there has become so bad.

Government should see that honest and hard working officers are appointed in the management.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : Sir, I rise to support the Bill. This Bill will replace the ordinance issued earlier in this connection. Some hon. Members have said that ordinance should not have been promulgated in inter-session-period of Parliament. But this was very necessary to stop the malpractices that could have followed. It has rightly been stated that taking over of coal mines should have been done 20 years ago. Government

3 LSS/73—9

should see that the workers do not live in miserable conditions as they were living in before the taking over of coal mines. They were exploited by middlemen. Organisation like C.R.O. which exploited mines, should also be worked up. There should be through medical check up of the miners every year. Casual labourers should be made permanent.

Government should pay according to one's ability. Points have been raised about rise in price of domestic and brick-burning coal. Transportation of coal should be rationalised so that it could be supplied at cheaper rates. Adequate supply of coal should be ensured to brick clins.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Sir, I welcome this Bill. Taking over of the management of coal mines is the first step towards total nationalisation. Coal is natural resource. Exploitation and use of the natural resources of a country which are indispensable for the life of community should not be left to the mercy of individuals. They should be nationalised.

Government should see that the contractors and other third persons involved in the coal trade should not suffer on account of the take over.

After the promulgation of the ordinance our Custodian General issued a circular. I want to read out few lines from it.

> "The Custodian General requests the cooperation of all customners in payment of monies to the new organisation directly even if they had middlemen involved in the transactions."

We should see that contractors should not suffer in any way as they do not have any concern with the mine owners.

The hon. Member Shri Chatterjee has said that 20 paisa per tonne will have to be paid to the coal mine owners. This is too much. When we are investing, why should we pay so much?

You have made a provision for imprisonment and fine for non-transfer of assests etc. to the custodian. A person who saves his assests, it is immaterial for him to pay a fine of 10 to 20 thousands of rupees. It should be the duty of the mine owner to give figures within a reasonable time.

You have said that those persons who had been in service of collieries would be absorbed. The owners have manipulated their records prior to nationalised by appointing their near relations on high posts. Such persons should not be retained.

Shri Ram Singh Bhai Verma (Indore): I welcome this measure. These mine owners were exploiting the labour to a great extent, by paying them less and showing more in pay rolls . This they were fleeing the people. It is apparent for the list of accidents that during 1970, there were 212 deaths and during 1971, the number of deaths was 231. The demand and supply of coal have both risen.

Our production during 1960-61 was 5 crore 50 lakhs and 72 thousand tonnes and during 1971-72 it was 7 crore 10 lakhs and 56 thousand tonnes. It is surprising that the number of mine workers has decreased from 4 lakhs 11 thousand in 1961 to 3 lakhs 50 thousand in 1972.

So far as payment of compensation is concerned, according to the constitution, you can pay one paisa per ton in place of 20 paise per ton. It should be paid on the basis of average production for the last 4 years. From the amount due on account of compensation, the amount of provident fund due to workers and royalty should be recovered.

Shri Vasant Sathe (Akola): Sir, I want that no compensation should be paid to them and if at all it has to be paid it should be paid after deducting recoveries on account of Provident Fund.

Representation should be given of the labour in management and if you make it result oriented you would succeed in the matter.

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं सदस्यों को इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस बारे में एक भी सदस्य ने विरोध नहीं किया। कुछ सदस्यों ने इस बारे में अध्यादेश जारी किये जाने का विरोध किया है । जब सिद्धान्त रूप से सभी सहमत हैं, तो ढंग पर क्यों विवाद किया जाए। यदि हम ऐसे मामलों में अध्यादेश का उपयोग न करें, तो इसका संबन्धित वर्ग द्वारा अनुचित लाभ उठाया जा सकता है ।

विरोध का दूसरा कारण पूंजी लगाये जाने के सामान्य मामले के बारे में था । कोयला उद्योग का अंतराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयकरण किया गया है । ब्रिटेन और अमरीका में भी इस उद्योग को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया था और इसे उन्होंने गैर-सरकारी उद्योगपतियों को लौटाया नहीं है ।

क्षतिपूर्ति के बारे में जो विचार व्यक्त किए गये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं । क्योंकि हमारा इरादा उद्योग को उनके स्वामियों को वापस करने का नहीं है, अतएव हमें प्रबन्ध क्षतिपूर्ति देनी है । और 2, 3 अथवा 5 वर्ष पश्चात् क्षतिपूर्ति संविधान की व्यवस्था के अनुसार दी जाएगी। श्री श्री कृष्ण मोदी ने छोटे खान मालिकों के हित की बात कही थी। वास्तव में यह बड़े खान मालिकों का मामला ही नहीं है । छोटी खानों के स्वामी श्रमिकों के प्रति उदार नहीं थे, अपितु अधिक कठोर रहे हैं । इसलिए छोटी और बड़ी खानों में भेद-भाव नहीं किया जा सकता।

कोयले के अलावा इस्पात के मामले में भी भिलाई और रूरकैला में भी प्रगति हुई है। वहां पर कोई नये व्यक्ति नियुक्त नहीं किए गये। वास्तव में उनके अधिकारीगण प्रशंसनीय कार्य कर रहे है । इस्पात उद्योग में पिछले महीने से प्रबन्धकगण उत्पादन के मामले पर श्रमिकों से बातचीत करते रहें हैं। इन मामलों में हमसे कुछ भूलें हुई हैं।

कोयला खानों के श्रमिक नेताओं से भी उत्पादन के मामले पर परामर्श किया गया है कि इन मामलों में प्रबन्धकों से क्या भूलें हुई हैं इसके बारे में हमें सूचित करें। उनकी बिना कारण निन्दा न करें । उन्होंने अच्छा कार्य किया है और भविष्य में और भी अच्छा कार्य कर सकते हैं ।

श्री आर० एन० सेठी ने खानों के पुनर्गठन का मामला उठाया है जोकि महत्वपूर्ण है । हम इस बारे में कार्य कर रहे हैं और माननीय सदस्य के सुझावों का आदर करेंगे।

हम जैसा भी पुनर्गठन करें, इस बात का ध्यान रखेंगे कि विभिन्न संगठनों में लगे कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है । इन संगठनों के कार्य में सुधार लाने के लिए हमें कार्यवाही करनी है ।

खण्ड 16 के बारे में डा० रानेन सेन ने संदेह व्यक्त किया है । इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था लगभग राष्ट्रीयकरण के सभी मामलों में रही है परन्तु उनका कभी उपयोग नहीं किया गया। हमें प्रत्येक पद के समाप्त किये जाने का स्पष्टीकरण देना होता है । सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किए हैं कि अनावश्यक व्यक्तियों को सेवा में न रखा जाए। इसी उद्देश्य से खण्ड 16 में निहित अधिकार आवश्यक है ।

टिस्को कोलरीज को अधिकार में न लिए जाने का कारण यह है कि वहां के श्रमिकों को वेतन बोर्डों द्वारा निर्धारित वेतन दिए जा रहे हैं। वहां निर्मित कोयला टाटा के इस्पात संयंत्रों के ही उपयोग में आता है । यदि उन्हें कोई कोयला बाहर भेजना पड़ेगा, तो यह हमारे निदेशों के अनुसार ही किया जा सकेगा । अन्य इस्पात संयंत्रों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई है, क्योंकि उनके कार्य में कोई व्यवधान नहीं पैदा करना चाहते। इस वर्ष टिस्को का इस्पात उत्पादन 17.50 लाख टन रहा जोकि उनकी क्षमता का 87.5 प्रतिशत है । आप यह न कहें कि मैंने पूंजी पतियों से धन लेकर उनका समर्थन करना शुरू कर दिया है ।

टिस्को में एक छोटी सी हड़ताल के मामले को लेकर उसके राष्ट्रीयकरण की बात नहीं उठाई जा सकती ।

श्री वसन्त साठे : क्षतिपूर्ति में मामूली रकम क्यों न दी जाये, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : क्षतिपूर्ति के लिए संविधान में दो अनुच्छेद हैं । 31(2) में 31 (ग) संविधान में उल्लेख है कि क्षतिपूर्ति में राशि दी जाए परन्तु उसमें यह व्यवस्था नहीं है कि क्षतिपूर्ति नाममात्र हो ।

सरकारी क्षेत्र में वर्ष 1952 में 90 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी परन्तु आज यह 5000 करोड़ रुपये हैं । जबकि हमारे देश में मिली जुली अर्थ-व्यवस्था है तब जिन उद्योगों को हम अधिकार में लेते हैं, उनको क्षतिपूर्ति हमें देनी होती हैं । पच्चीसवें संशोधन में यह व्यवस्था है कि जो भी राशी क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी उस पर न्यायालय में पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। कोयला उद्योग के बारे में हमने व्यवस्था की है कि अदायगी से पूर्व भविष्य निधि आदि की राशियां दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि में से काट ली जाएगी ।

श्री वसन्त साठे : क्या राष्ट्रीयकरण से पूर्व आप कोई क्षतिपूर्ति नहीं देंगे ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : कोकिंग कोयला खानों के बारे में प्रबन्धकों को दी गई क्षतिपूर्ति सर्वथा न्यूनतम थी ।

श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार और भी उपाय करेगी ।

मैं घरेलू उपभोक्ताओं अथवा ईंट-भट्टे वालों के महत्व को कम नहीं करता। हमें उनके हितों की ओर ध्यान देना चाहिये । अभी कल ही हमने वितरण प्रबन्धों के पुनर्गठन के संबन्ध में अनेक राज्यों से बातचीत की है, अतः सरकार को मामले की गंभीरता का पता है । मैं इस संबन्ध में किए जा रहे उपायों के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। परन्तु मैं सदन को इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में हर संभव उपाय कर रही है । यह ठीक है कि लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है परन्तु इस प्रकार के उद्योग का यदि कभी पुनर्गठन हो, तो उस अवसर पर इस प्रकार की कठिनाइयां स्वाभाविक हैं । इन्हें कम किया जायेगा। सरकार की योजना वर्ष 1978-79 तक कोयले का उत्पादन बढ़ा कर 14 करोड़ मीट्रिक टन करने की है । परन्तु इसके लिए हमें विशेष रूप से मजदूर संघों के सहयोग की आवश्यकता है । इसे प्राप्त करने के लिए सरकार श्रमिकों को प्रबन्ध में शामिल करने के अनेक प्रयास कर रही है ।

जहां तक केडला-झारखंड कोयला खान को सरकारी अधिकार में लेने की बात है, माननीय सदस्य स्वयं ही इसके कारण जानते हैं । मुझे आशा है कि हम 17 तारीख तक इसे अधिकार में ले सकेंगे।

आन्ध्र प्रदेश बजट 1973-74

The Andhra Pradesh Budget 1973–74

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आन्ध्र प्रदेश विधान सभा भंग नहीं की गई है । राज्यपाल की रिपोर्ट में उल्लेख है कि राज्य के मुख्य मंत्री को विधान सभा के 288 सदस्यों में से 217 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है । परन्तु राज्य की प्ररिस्थितियों को देखते हुए राज्य को कुछ समय राष्ट्रपति शासन के अधीन लेना आवश्यक है, जिससे कि स्थिति में सुधार हो सके ।

परन्तु इस प्रतिवेदन के पश्चात् स्थिति में बहुत परिवर्तन हो चुका है । मुख्य मंत्री के त्याग पत्र के पश्चात् कांग्रेस दल का बहुमत समाप्त हो गया है । रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन कुछ समय के लिए लागू करने की बात कही गई थी । इस बात को दो महीने व्यतीत हो चुके हैं। अतः राज्य विधान सभा का सत्र बुला कर वहां पर बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have also a point of order to raise.

Mr. Chairman : Let me reply to the first point of order.

Shri Atal Bihari Vajpayee : My point of order is related to the same matter. I submit that instead of giving permission to the Government to present the budget, it should be directed to lift the President's rule and either summon the Assembly or dissolve it and hold fresh elections. President's rule was imposed for a brief spell but now it is being prolonged.

Shri M. Satyanarayan Rao (Karimnagar): President's rule in the State is in fact the rule by Congress President.

मुख्य मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष के दबाव में आकर त्यागपत्र दिया था । अतः मेरा भी यही अनुरोध है कि सरकार को निदेश दिया जाये कि राज्य विधान सभा का सत्र बुलाया जाए और यह बजट वहीं पर पेश किया जाए। अन्यथा विधान सभा को भंग करके यहां पर बजट पेश किया जाये ।

Shri D.N. Tiwari (Gopal Ganj): President's rule has been imposed because an submission of resignation by the Congress Chief Minister no other party is in a position to form the Government. It is, therefore, necessary in the Circumstances to present the State Budget here.

श्री पी० वेंकट सुब्बाया (नंदयाल) : श्री गिरि ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह मामले से बिल्कुल असम्बद्ध है । कांग्रेस मुख्यमंत्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त है । उनके त्यागपत्र देने पर कोई अन्य दल मंत्रिमंडल के गठन की स्थिति में नहीं है । अतः राज्य विधान सभा की अनुपस्थिति में राज्य का बजट यहां पर पेश करना बिल्कुल ठीक है ।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : श्री गिरि द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न ठीक है । राज्य विधान सभा भंग नहीं है । अतः उचित यही है कि विधान सभा का सत्र बुलाया जाए और यह बजट वहां पर पेश किया जाए और यदि विधान सभा बुलाई नहीं जा सकती तो स्थगित कर दिया जाए और तब यह बजट यहां पर पेश किया जाये ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): If there is any other majority party, it should come forward and submit the list of members to the Government. If there is no other alternative, the Governor has to take this recourse.

श्री समर गुह (कन्हाई): विगत तीन वर्षों में अनेक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। परन्तु इतनी अभूतपूर्व स्थिति कहीं भी नहीं थी। कांग्रेस दल को बहुमत का समर्थन प्राप्त है परन्तु फिर भी विधान सभा को निलम्बित रखा जा रहा है। हमने देखना है कि क्या इन परिस्थितियों में हम राज्य के बजट पर संसद में विचार कर सकते हैं।

राज्य कांग्रेस का दो गुटों में विघटन हो गया है। गवर्नर का कर्त्तव्य है कि विधान सभा का सत्र बुला कर जिस गुट को भी बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, उसे सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। जब तक उन्हें यह अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक यहां पर बजट पेश नहीं हो सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलिपुर): समझ में नहीं आता कि जब मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है तो यदि विधान सभा का सत्र फिर से बुलाया जाए तो काम किस प्रकार चल सकता है, जबकि कोई सरकार नहीं है, कोई मंत्रिमंडल नहीं है ?

श्री एम० सत्यनारायण राव : विधायकों को नया नेता चुनने की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा। श्री गिरि ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति के अध्यादेश के अधीन आन्ध्र प्रदेश विधान सभा निलम्बित है, अतः विधान सभा का कार्य संसद को करना है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : इनके विरोध में हम सभा से उठकर जा रहे हैं।

(इसके पश्चात् माननीय सदस्य, श्री सत्य नारायण तब सभा से उठ कर बाहर चले गए।)

(The hon. Member, Shri M. Satyanarayan Raw then left the house.)

श्री एस० बी० गिरि : यह विधान सभा के साथ धोखा है। मैं भी विरोध में उठकर बाहर जा रहा हूं।

(इसके पश्चात् माननीय सदस्य, श्री एस० बी० गिरि तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गए।)

(The hon. Member, Shri S.B. Giri and some other hon. Members then left the house.)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 1973-74 की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

सभा का समय बचाने के लिए मैं आंध्र प्रदेश राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

श्री जी० विश्वनाथन : उन्हें यह पढ़ने को कहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं उन्होंने इसे सभा पटल पर रख दिया है। अब सभा शुक्रवार, 16 मार्च, 1973 के 11.00 बजे मध्यान्ह पूर्व तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् सभा शुक्रवार, 16 मार्च, 1973/25 फाल्गुन, 1894 (शक) के 11.00 बजे म० पु. तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 16, 1973/ Phalguna 25, 1894 (Saka).

MGIPRRND—3 LSS/73—S. (II N.S.)—14-7-73—490.